ISSN-0971-8397

योजना

सितम्बर 2020 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा

फोकस
सरकार में जवाबदेही
मीनाक्षी गुप्ता

विशेष आलेख
भ्रष्टाचार की रोकथाम
टी एस कृष्णमूर्ति

सरकारी खर्चे पर चुनाव : एक अवलोकन
एन गोपालस्वामी

समसामयिक विषय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
संजय धोत्रे

कानून का शासन
एम एन त्रिपाठी, सपना चड्ढा

नैतिकता की कसौटी पर मीडिया
जगदीश उपासने

74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बातें

- आजादी का यह पावन पर्व सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को, आजादी के वीरों को, स्वप्नांकुरों को, वीर शहीदों को नमन करने का पर्व है। साथ ही माँ भारती की रक्षा और सामान्य मानव की सुरक्षा में जुटे सेना के जांबाज जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के जवानों को भी हम नमन करते हैं। कोरोना के इस कालखंड में 'सेवा परमो धर्मः' के मंत्र के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से माँ भारती के लालों की सेवा करने वाले सभी कोरोना योद्धाओं को भी मैं आज नमन करता हूं।
- कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया- आत्मनिर्भर बनने का... जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो दुनिया को उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है... और इसलिए हमें उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने-आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है।
- आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है और इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए भी ये भारत का कर्तव्य है।
- हमारे देश में अथाह प्राकृतिक संपदा है। आज समय की मांग है कि हमारे इन प्राकृतिक संसाधनों में हम वैल्यू एडिशन करें, हम अपनी मानव संपदा में मूल्यवृद्धि करें, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
- वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी जैसे एक्ट में इतने बदलाव हो जाएंगे।
- आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए- वोकल फॉर लोकल... हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका हमें गौरवगान करना चाहिए। आइए, हम मिल करके संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल जीवन मंत्र बन जाए और हम मिल करके भारत की उस ताकत को बढ़ावा दें। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ-साथ मेक फॉर वर्ल्ड इस मंत्र को लेकर भी हमें आगे बढ़ना है।
- देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किये जाएंगे। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। हम मल्टी मॉडल कनेक्टीविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं और यह एक नया आयाम होगा, बहुत बड़ा सपना लेकर के इस पर काम शुरू किया है।
- बीते छह वर्षों में देश के मेहनतकश नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक अभियान चलाए गए हैं। आप देखिए बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माताओं-बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीब से गरीब को बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, पांच लाख रुपये तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो- हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उसको लाभ पहुंचाने में पिछले छह साल में बहुत अच्छी तरह प्रगति की है।
- आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों पर भी बल दिया है। उसकी किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलर पम्प उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पॉल्ट्री हो, ऐसी अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि उसकी आय दोगुनी हो जाए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं।

कवर 3 पर जारी...

योजना
वर्ष : 64
अंक : 9
सितम्बर 2020
भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1942
मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 52
वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

प्रधान संपादक : धीरज सिंह
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24366672

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत अथवा
योजना की सदस्यता लेने या
पुराने अंक मंगाने के लिए
pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें
या संपर्क करें-
दूरभाष: 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

पत्रिका के संबंध में अधिक जानकारी लेने के लिए
तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 56, भूतल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India

इस अंक में

समसामयिक विषय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
संजय धोत्रे.......6

फोकस
सरकार में जवाबदेही
मीनाक्षी गुप्ता.......12

विशेष आलेख
भ्रष्टाचार की रोकथाम
डॉ एस कृष्णामूर्ति.......16

सरकारी खर्चे पर चुनाव : एक अवलोकन
एन गोपालस्वामी.......19

सरकार में सूचना का आदान-प्रदान
सुस्मिता डावरा.......22

कानून का शासन
एस एन त्रिपाठी, सपना चड्ढा.......25

नैतिकता की कसौटी पर मीडिया
जगदीश उपासने.......30

मीडिया संचालन : लोकाचार, मूल्य और निष्ठा
विश्वजीत दास, शिशिर कक्कड़.......34

कॉरपोरेट संस्थानों में सदाचरण
डेनियल कोशी.......38

सदाचार और नैतिकता : गांधीवादी दृष्टिकोण
प्रो एन राधाकृष्णन.......43

योजना-सही विकल्प.......47

पुस्तक लोकार्पण.......49

नियमित स्तंभ

विकास पथ
74 वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बातें.....कवर 2 एवं 3
क्या आप जानते हैं?
नागरिक चार्टर (घोषणा-पत्र).......11

पुस्तक चर्चा.......50

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृष्ठ 29

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

संपादकीय

सदाचार

"मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम दुविधा में हो, या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए, तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो–जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं यह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर कोई नियंत्रण फिर मिलेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा?
तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघल कर खत्म हो गए हैं।"

– महात्मा गांधी – द लास्ट फेज, खंड दो (1958), पृ. 65

सत्य, उच्च जीवन-मूल्य, करुणा और संवेदना कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करते हैं। सदाचार और नैतिकता के इन्हीं कठोर सिद्धांतों तथा मूल्यों को लेकर कोई समझौता किए बिना इनका निरंतर अनुपालन करते रहने को इंटेग्रिटी (या निष्ठा) कहा जाता है। इंटेग्रिटी शब्द लैटिन भाषा के 'इंटीगर' से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है 'संपूर्ण'। इसके बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं होता। किसी व्यक्ति में असाधारण क्षमताएं और कौशल हो सकते हैं या वह अपार धन-दौलत का स्वामी भी हो सकता है, लेकिन अगर वह अपनी निष्ठा को लेकर कोई समझौता कर ले, तो उसके अन्य सभी गुण संदिग्ध हो जाते हैं।

चाहे पेशेवर (प्रोफेशनल) जिंदगी हो या व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक हो या कॉरपोरेट, व्यक्ति उच्च वर्ग का हो या मामूली दिहाड़ी मजदूर, अच्छे आचरण और नैतिकता का इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता कि आप क्या हैं या किसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सदाचारी व्यक्ति अपने विश्वासों और मूल्यों पर अडिग रहता है और इनपर उसकी आस्था कभी कम नहीं होती। ब्रिटिश लेखक सी.एस. लुइस ने इसी बात को बड़े सुंदर तरीके से कहा है। उनके अनुसार जब कोई भी नहीं देख रहा हो तब भी सही बात करते रहना ही निष्ठा है।

और सही व गलत का यही विवेक कि क्या करें और क्या न करें और इसे कैसे करें, यह सदाचार के नियमों का निर्माण करता है। ये नैतिकता के ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी व्यक्ति को अनुशासित करते हैं। यहां यह सवाल पैदा हो सकता है कि क्या सदाचार के नियम अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं? कोई व्यक्ति जिसे सही समझता है क्या वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है। यहीं पर उसके प्रयोजन या इरादे का सवाल सामने आता है। अगर गलत साबित हुआ कोई निर्णय अच्छे इरादे और सोच-समझ कर लिया गया हो तो यह नैतिक आचरण ही कहा जाएगा क्योंकि गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। लेकिन अगर नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करके दुर्भावनावश किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा आचरण निश्चित रूप से नैतिक आचरण नहीं है।

मूल्य प्रणाली के जटिल ताने-बाने में लोगों के नैतिकता संबंधी दिशा-सूचक यंत्र भिन्न-भिन्न संकेत दे सकते हैं। वे स्थितियों का अलग-अलग तरह से आकलन कर सकते हैं। नैतिकता को समझने का उनका तरीका भिन्न हो सकता है, किसी खास स्थिति में उनके द्वारा अनैतिक आचरण करने की आशंका हो सकती है और उनके समग्र आचरण में विसंगतियों की गुंजाइश भी रह सकती है। यह बात व्यक्तिनिष्ठ और निर्देशात्मक लग सकती है, मगर नेक इरादे से किये गये नैतिक व्यवहार का कोई विकल्प नहीं होता। यह अपनी विश्वसनीयता और सत्यता का निर्णय स्वयं कर लेता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको किसी और बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता।

जब बात संगठन के स्तर पर की जा रही हो, तो चाहे सार्वजनिक संगठन हो या निजी, विभिन्न प्रकार के लोगों से एक जैसे नैतिक व्यवहार का अनुपालन करवाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनमें से हर एक व्यक्ति संगठन का ही एक चेहरा है। अलग-अलग कामकाजी नैतिकता वाले विभिन्न लोगों से एक जैसी कठोर आचार संहिता और नागरिक अधिकार पत्र पर निरपवाद रूप से अमल करवाने से ही हमारी नैतिक कार्य-संस्कृति का निर्धारण होता है। अगर आप किसी ब्रांड पर भरोसा करते हैं तो आप उसके उत्पादों पर भी यकीन करना शुरू कर देते हैं। आप उसी ब्रांड की दूसरी वस्तुएं ढूंढ़ना शुरू करते हैं और इस तरह आपका भरोसा कायम होता है। यही बात संगठनों और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होती है।

आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक विषय पर 'योजना' के इस अंक में महान चिंतकों के ज्ञान और विवेक का संकलन और स्मरण किया गया है। इसमें शंकाओं और दुविधाओं का समाधान करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक आचरण और निष्ठा को परिभाषित करने वाली स्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। 'योजना टीम' को आशा है कि यह अंक जीवन में 'दुविधा' वाली स्थितियों से निबटने में आपकी मदद करेगा और नेक आचरण के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। ■

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

संजय धोत्रे

29 जुलाई, 2020 को जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। भविष्य को ध्यान में रखकर बनायी गयी इस नीति में आज के ज़माने में शिक्षा के तमाम पहलुओं के बारे में बताया गया है। यह कई मायने में इससे पहले के सभी शिक्षा नीतियों से अलग है और इसमें हमारी शैक्षिक आवश्यकताओं की नयी दृष्टि से विवेचना की गयी है।

शिक्षा व्यक्ति, सामाजिक समूहों, राष्ट्रों और मानव समाज की मूलभूत आवश्यकता रही है। आधुनिक विश्व इसे मौलिक मानवाधिकार के रूप में देखता है। भारतीय गणराज्य की स्थापना के समय से ही शिक्षा के बारे में अधिकांश प्रमुख समितियों या आयोगों ने सबके लिए शिक्षा के विचार को निर्विवाद रूप से रेखांकित किया है। समसामयिक शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण सरोकारों का इससे पहले के नीति संबंधी दस्तावेज में भी उल्लेख किया गया है। लेकिन पहले की रिपोर्टों और नीतियों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश की शैक्षिक यात्रा बड़ी असमान रही है और स्वतंत्रता के सात दशक पूरे हो जाने के बाद भी कई वाजिब उम्मीदें पूरी नहीं हो पायी हैं।

यहां यह दावा करना अनुचित होगा कि हमारे पूर्ववर्तियों ने कम से काम नियोजन के स्तर पर इन सरोकारों पर पर्याप्त निष्ठापूर्वक कार्रवाई नहीं की। बहरहाल, भारत जैसे विशाल, घनी आबादी वाले और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से चरमराते विविधतापूर्ण देश के लिए किसी भी नीति पर अमल कर पाना हमेशा एक चुनौती है। यह बात 1950 के दशक से प्रकाशित किये जा रहे नीति संबंधी दस्तावेज या रिपोर्टों में शिक्षा को लेकर जताई जाती रही मूल चिंताओं से स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाती है।

आखिरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। इसके बाद के 34 वर्षों में विश्व अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। टेक्नोलॉजी संबंधी विकास के कारण विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आये हैं जिनसे जाति, वर्ग, संस्कृति, स्त्री-पुरुष, भौगोलिक दूरियां जैसी भेद-भाव की अनेक दीवारें काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं। इससे लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं जोरदार तरीके से जाग चुकी हैं। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खुलने के बाद तीव्र आर्थिक विकास ने ज्ञान और विशेषज्ञतापूर्ण कौशल की मांग काफी बढ़ा दी है। आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ होने के ढाई दशकों के दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से जारी व्यापक कमियों और विकास की आकांक्षा में आतुर भारत की छटपटाहट को दूर करने के लिए कोई विस्तृत राष्ट्रीय परिकल्पना सामने नहीं आ पाई थी।

यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने व्यापक आधार वाली और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति

लेखक केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ईमेल: mos-office@meity.gov.in

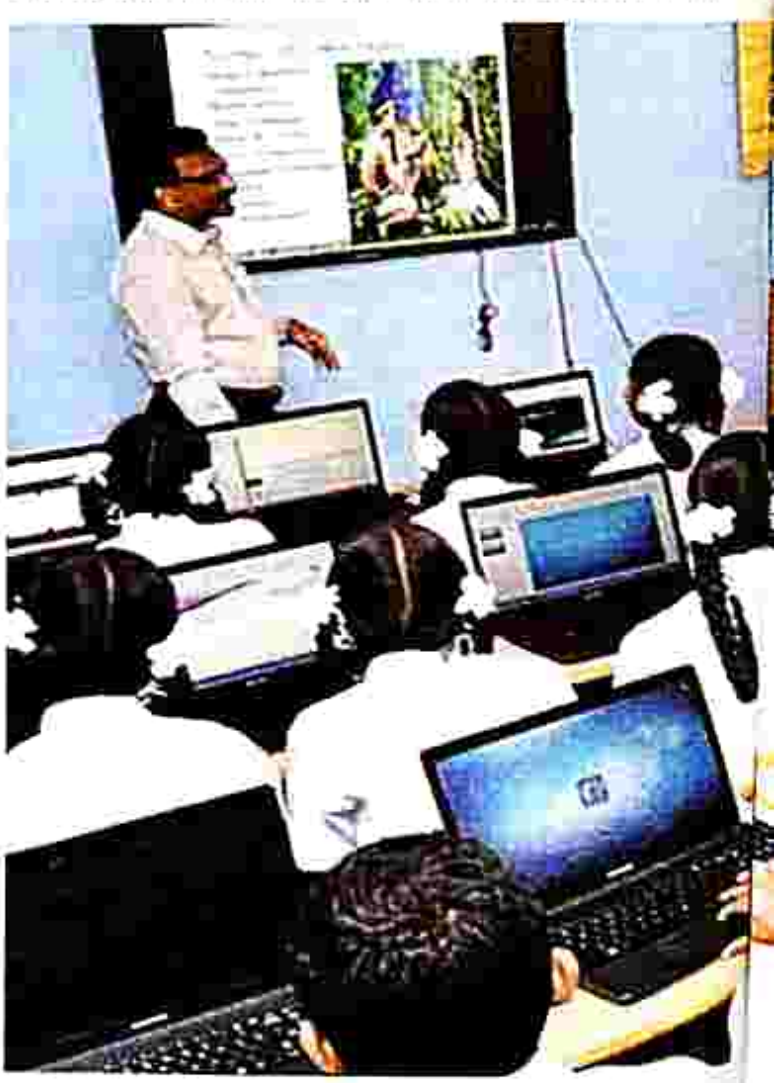

को प्राथमिकता दी है। इस नीति को तैयार करना एक बहुत बड़ा कार्य था। दो समितियों ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने समाज के सबसे निचले स्तर से मिले फीड बैक को बड़ी बारीकी से संकलित किया और सभी संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श भी किया। राज्य सरकारों को भी इस प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया। नीति संबंधी दस्तावेज का पुनरीक्षण किया गया और मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजने से पहले कई बार संशोधित और परिमार्जित किया गया।

29 जुलाई, 2020 को जारी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी इस नीति में आज के जमाने में शिक्षा के तमाम पहलुओं के बारे में बताया गया है। यह कई मायने में यह इससे पहले की तमाम शिक्षा नीतियों से भिन्न है और इसमें हमारी शैक्षिक आवश्यकताओं को नयी दृष्टि से विवेचना की गयी है।

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

जनजातियों की बहुलता वाले इलाकों की आश्रमशालाओं और तमाम तरह के वैकल्पिक स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से अमल

देश की शिक्षा नीति में जिस आवश्यक और बुनियादी विषय पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया वह है- 'प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल और शिक्षा' (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ईसीसीई)। किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मूलत: उसके जीवन के शुरुआती वर्षों में आहार और पोषण के साथ शुरू होता है। नयी शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक संचयी विकास छह वर्ष से पहले के शुरुआती दिनों में हो जाता है। इससे यह संकेत मिलता है जीवन के प्रारंभिक दिनों में मस्तिष्क की समुचित देखभाल करना और प्रोत्साहन देना कितना जरूरी है। न्यूरो साइंस (तंत्रिका विज्ञान) और मस्तिष्क विकास के क्षेत्र में ताजा अनुसंधानों से प्राप्त प्रमाणों से यह धारणा सामने आयी है। शुरुआत के वर्ष मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बाद में जो संज्ञानात्मक, बौद्धिक और कौशल संबंधी विकास होते हैं वे प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उत्पन्न हुई क्षमताओं पर ही आधारित होते हैं। दुर्भाग्य से देश के करोड़ों बच्चे अपने परिवारों की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की वजह से अब भी गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ईसीसीई) से वंचित रह जाते हैं।

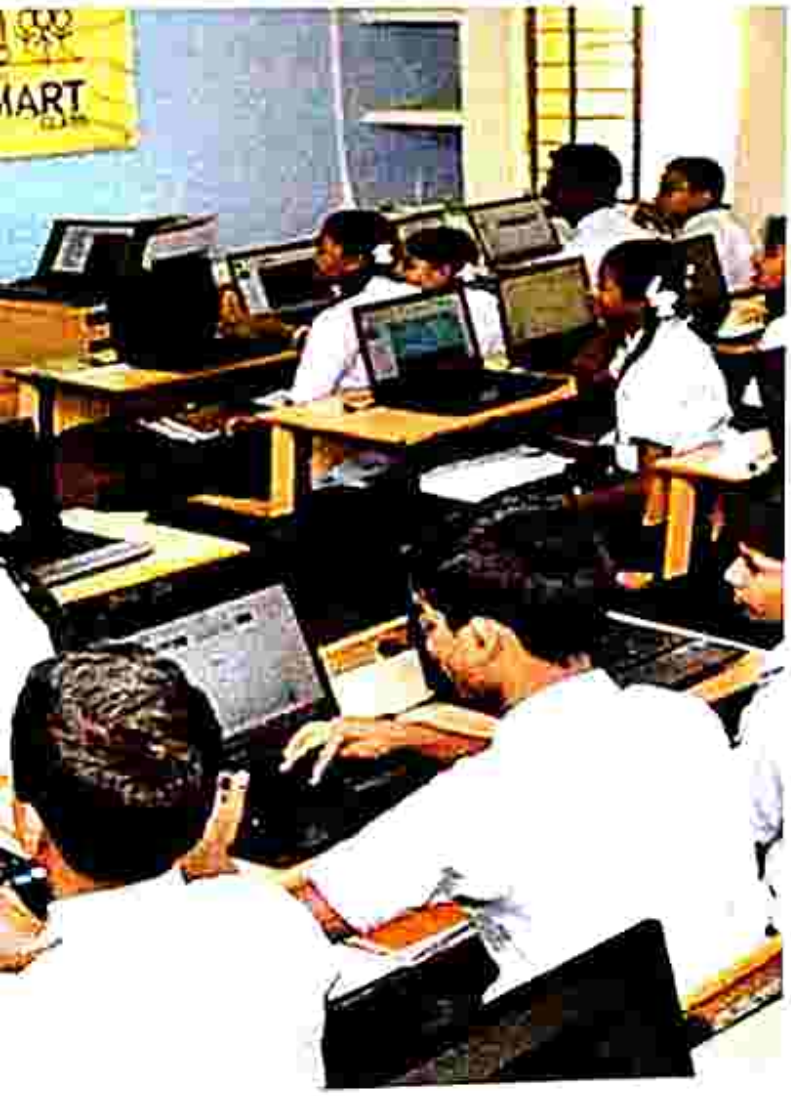

इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर नये सिरे से विचार किया है और बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के इस चरण को मौजूदा औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ समन्वित करने की परिकल्पना की है। इसलिए शिक्षा की 10+2 प्रणाली के स्थान पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा औपचारिक स्कूली शिक्षा को मिलाकर 5+3+3+4 मॉडल लाने का प्रस्ताव किया है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विस्तार से बताने की आवश्यकता है। ईसीसीई तीन साल की उम्र से बच्चे के 6 साल का होने तक आंगनवाड़ियों, बालवाटिकाओं और प्ले स्कूलों में दी जाएगी। इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई स्कूलों में होगी। अगर इन दोनों को साथ लेकर चलें तो शिक्षा के नये मॉडल में ईसीसीई के तीन साल और स्कूली शिक्षा के पहले दो साल शामिल होंगे। ये पांच वर्ष वे साल हैं जब बच्चे की शिक्षा की बुनियाद पड़ती है। इसके बाद तीसरी से पांचवीं कक्षा (तीन साल), छठी से आठवीं (तीन साल) और नौवीं से बारहवीं (चार साल) पूरी करने पर स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी।

स्कूली शिक्षा के समूचे ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव करते समय शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास

के विभिन्न दौर से गुजर रहे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखा गया है। प्रस्तावित ढांचे का बच्चों के आयु-वर्ग या विकास के चरणों के साथ भी पूरा तालमेल रखा गया है। जैसा कि नयी नीति में कहा गया है : समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के बच्चों को उच्च कोटि की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध रहे। इससे उनके स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण और देखभाल की सुविधा ही उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि उनकी संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर (मन:प्रेरक) क्षमताओं के साथ-साथ प्रारंभिक साक्षरता तथा गणनात्मक क्षमता के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) नेशनल करीक्यूलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय ढांचा-एनसीपीएफ-ईसीसीई) का विकास करेगी। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षक तैयार करने समेत ईसीसीई के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। शिक्षा नीति में ईसीसीई पर जिस तरह से जोर दिया गया है उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ सुचारू रूप से समन्वित करने के लिए चार महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों को आपस में एकजुट करने की योजना बनायी गयी है। ये मंत्रालय हैं: मानव संसाधन विकास (यानी शिक्षा मंत्रालय), महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। नयी शिक्षा नीति 2020 के निर्माताओं द्वारा बताए गये तरीके से एक बार कारगर अमल शुरू होने के बाद ईसीसीई शिक्षा के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन का संवाहक (गेमचेंजर) बनेगा।

जहां तक स्कूली शिक्षा का सवाल है, नीति निर्माताओं ने सीखने की प्रक्रिया को समग्र, प्रयोग आधारित, समन्वित और आनंददायक बनाने पर विशेष जोर दिया है। नीति का उद्देश्य समझने और सीखने की प्रक्रिया को सही अर्थों में बच्चों को सिखाने पर है। 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में रट कर सीखने की समस्या के समाधान के प्रयासों पर खास तौर पर जोर दिये जाने के बावजूद इसके अब भी जारी रहने पर नयी नीति में दुःख व्यक्त किया गया है। सोचने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न देने वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय अक्ल का इस्तेमाल किये बिना रटे हुए को उगल कर रख देना बेकार और असंबद्ध सूचनाओं को दिमाग में ठूंस कर रखने के सिवाय और कुछ नहीं है। ज्ञान के लिहाज से भी ऐसा दुष्कर कार्य है जिसका अक्सर कोई फायदा नहीं होता। नयी नीति में प्रस्तावित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण में संजीदा चिंतन और विश्लेषण के जरिए गहन सोच पर आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है ताकि जिज्ञासा, खोज, चर्चा और विश्लेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले।

इतना ही नहीं, पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों और करिक्यूलर, करिक्यूलर तथा एक्स्ट्रा करिक्यूलर क्षेत्रों के बीच अभेद्य दीवारों को भी नयी नीति में नकार दिया गया है। विविधतापूर्ण पाठ्यचर्या पर आश्रित इस तरह का शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाने से कला और खेल-कूद से समन्वित शिक्षा को मजबूत आधार मिल जाएगा। पाठ्यक्रम चयन में लचीलापन लाकर भी विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या में एक और फायदा मिलेगा। पाठ्यचर्या में इस आमूल-चूल परिवर्तन के पीछे सोच ऐसे समग्र सर्वगुणसम्पन्न व्यक्तित्व वाले नागरिकों का निर्माण करने की है जो 21वीं सदी के कौशलों से युक्त हों। लीक से हटकर सोच पर आधारित शानदार पुस्तक *द फज़ी एंड द टैकी* में स्कॉट हार्टले का तर्क है कि नवप्रवर्तन को केवल टेक्नोलॉजिस्ट (टैकी) ही बढ़ावा नहीं देते, बल्कि मानविकीविद् और समाज वैज्ञानिक (फज़ी-यह शब्द शायद तिरस्कार के लिए गढ़ा गया है) कारोबार को सफल बनाने या नीति संबंधी सोच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पाठ्यचर्या में आमूल परिवर्तन और संरचनात्मक ढांचे के पुनर्निर्धारण के बावजूद नयी नीति के परिणाम पेशेवर क्षमता और अध्यापक की सोच की बराबरी नहीं कर सकते। अध्यापक की क्षमता तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक सेवा से पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा, सेवा शर्तों और भर्ती व तैनाती की शर्तों पर नये सिरे से ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता और उसमें सुधार नहीं होते। नीति में इन सरोकारों से विस्तृत और संवेदनशील तरीके से निपटा किया गया है। उत्कृष्ट विद्यार्थियों को अध्यापन के व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए नीति में चार वर्ष का समन्वित बी.एड. पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप

से ध्यान केन्द्रित करते हुए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां बड़े पैमाने पर देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) को सुदृढ़ किया जाए और विषय संबंधी अंतर्वस्तु और शिक्षण शास्त्र, कक्षा अध्यापन, अध्यापन के पेशे के लिए लगन और प्रेरणा तथा स्थानीय भाषा में अध्यापन में दक्षता के आधार पर कई मानदंड बनाए जाने चाहिए। इसलिए इस तरह के परीक्षणों के दौरान अध्यापन कौशल के प्रदर्शन और इंटरव्यू को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अपना कार्य असरदार तरीके से करने की शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए मनमाने तरीके से बार-बार होने वाले तबादलों को बंद कराना होगा ताकि वे बीते जमाने की बात हो जाएं। शिक्षकों को ऐसा काम करने के लिए नहीं सौंपा जाना चाहिए जिसका उनके अपने कार्य से कोई संबंध नहीं हो। शिक्षकों की पेशेवर स्वायत्तता बहाल की जानी चाहिए और उनके कार्यकाल, पदोन्नति तथा वेतनमान का विस्तृत तथा योग्यता पर आधारित ढांचा बनाया जाना चाहिए। नीति में यह भी व्यवस्था है कि शिक्षक-शिक्षा का कार्य धीरे-धीरे (2030 तक) विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण देने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के परामर्श से 2021 तक अध्यापक शिक्षा का नया और विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार करेगी।

उच्च शिक्षा के बारे में हमारे नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण बहुआयामी रहा है। उच्च शिक्षा की एक विभेदक विशेषता यह है कि यह ज्ञान के ऐसे संसाधन उत्पन्न करती है जिनके माध्यम से सारी शिक्षा संभव हो पाती है और समाज इन संसाधनों का उपयोग समय के साथ अपनी प्रगति की रूपरेखा तैयार करने के लिए करता है। उच्च शिक्षा के सरोकार बड़े विविधतापूर्ण और जटिल हैं। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और दूसरों से आगे रहने के लिए हमें उच्च शिक्षा के जटिल ताने-बाने पर और गंभीरता से ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है।

नयी शिक्षा नीति को लेकर कार्य कर रही समिति ने भारत के संविधान में परिकल्पित सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय सुनिश्चित करने वाले लोकतांत्रिक, न्यायोचित, सामाजिक दृष्टि से जागरूक, सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में भारत में मानवीय तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा की भूमिका की स्पष्टत: पहचान की थी। नयी शिक्षा नीति के निर्माताओं के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के मार्ग में बाधा डालने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं-विषयों के बीच कठोर विभाजन रेखाएं, अध्यापकों की सीमित संख्या, स्वायत्तता की कमी, उच्च कोटि के और प्रासंगिक अनुसंधान की कमी और कमजोर संस्थागत अभिशासन।

देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रभावी संचालन और उनकी प्रगति में बाधा डालने वाली इन तथा अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नयी शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की परिकल्पना की गयी है। इस बात का स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया जा रहा था कि नीति निर्माता, नयी नीति में पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन और शैक्षिक प्रशासन में व्यापक बदलाव करेंगे। यहां यह बताना जरूरी होगा कि नयी नीति में उच्च शिक्षा के ढांचे में ऐसे व्यापक बदलाव किये गये हैं जिन्हें क्रांतिकारी कहा जा सकता है। बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षा में लचीलापन और स्वायत्तता इन सुधारों के केन्द्र में हैं। इन महत्वपूर्ण घटकों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली के इस चरण में नवीनता और जीवंतता का संचार करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के विभिन्न विषयों के बीच खींची गयी अभेद्य दीवारों को ढहाने का फैसला किया गया है। पाठ्यक्रमों को क्रेडिट आधारित बना दिया गया है और उनमें प्रवेश लेने और उसे छोड़ने के प्रावधानों को आसान बना दिया गया है जिससे विद्यार्थी अर्जित क्रेडिट के साथ स्वेच्छा से पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे जो उनके लिए सही माने में आज़ादी के समान है। नयी नीति विद्यार्थियों को इस बात की आज़ादी देती है कि वे क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं। अब कोई विद्यार्थी चाहे तो गणित के साथ संस्कृत और भौतिक विज्ञान के साथ संगीत पढ़ सकता है। पुरानी प्रणाली में संकायों के बीच विभाजन रेखाएं इतनी मजबूत होती थीं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच कोई औपचारिक या संस्थागत संपर्क

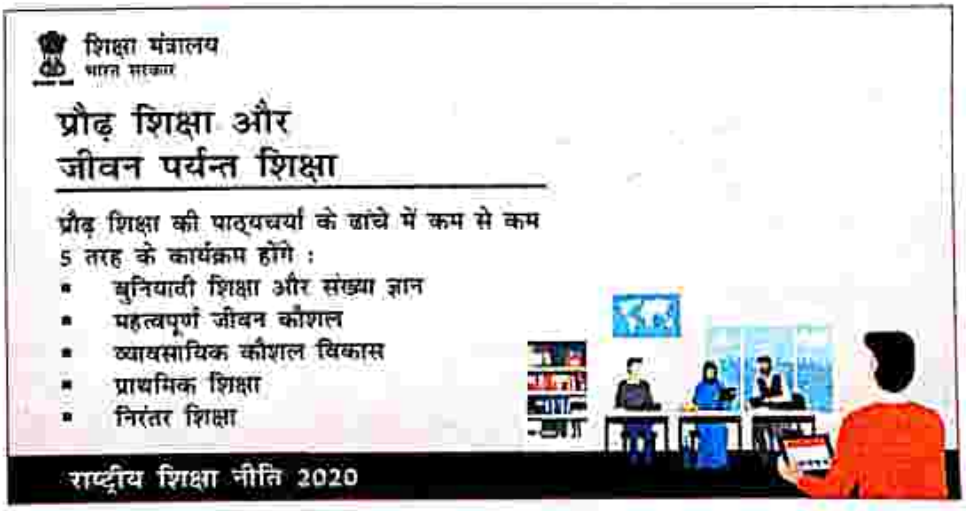

संभव नहीं था। इससे व्यक्ति का स्वस्थ विकास संभव नहीं हो पाता था। नयी नीति में आई.आई.टी. जैसे संस्थानों के इंजीनियरी पाठ्यक्रमों को कला और मानविकी के साथ समन्वित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इससे सभी चिंतनशील व्यक्तियों का उत्साह वर्धन होगा। यही समग्र दृष्टि है जिससे विद्यार्थियों की बौद्धिक, सौन्दर्य बोध संबंधी, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक जैसी विभिन्न मानवीय क्षमताओं का समन्वित रूप से विकास संभव हो पाएगा।

शिक्षा नीति का मुख्य जोर उच्च शिक्षा में बिखराव को रोकना है और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं को पुनर्गठित कर उन्हें बहुत से विषयों को पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) के समूहों या ज्ञान केन्द्रों में बदलने पर होगा। हालांकि विविध विषयों की शिक्षा देने वाले इस तरह के विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण, अनुसंधान और सामाजिक संपर्क का कार्य करने की बात नीति में कही गयी है, लेकिन इनमें से कुछ विश्वविद्यालय शिक्षण केन्द्रित और कुछ अन्य अनुसंधान केन्द्रित विश्वविद्यालय भी होंगे।

अनुसंधान ज्ञान के सृजन की आधारशिला है और यह किसी भी मानव समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौलिक और व्यावहारिक, दोनों ही तरह के विषयों में अनुसंधान, प्रगति के लिए आवश्यक है, खास तौर पर आज के तेजी से विकसित हो रहे विश्व में तो यह और भी जरूरी हो गया है। उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान हेतु बेहतरीन माहौल बनाने के लिए नयी शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन.आर.एफ.) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फाउंडेशन का मुख्य जोर अनुसंधान की ऐसी संस्कृति कायम करने पर होगा जिसकी जड़ें हमारी हमारे विश्वविद्यालयों में समायी होंगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता के क्षेत्रों या विषयों का पता लगाना और विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं तथा वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा ताकि उनके बीच 'लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके और एक ही काम के लिए प्रयासों की दोहराहट न हो।'

उच्च शिक्षा और अनुसंधान की बारीकियों पर विचार करते समय नीति निर्माता देश की विशाल जनसंख्या और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ ही साथ ज्ञान का सृजन हमारी आवश्यकता है। हमारी लगातार विस्तृत हो रही और लगातार विकास कर रही अर्थव्यवस्था को ऐसे कामगारों तथा पेशेवर लोगों की आवश्यकता है जिनके कौशल विविधतापूर्ण और विशेषज्ञता वाले हों। यह बात बड़ी चिंताजनक है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिये जाने के बावजूद हम व्यावसायिक शिक्षा और 'मुख्यधारा' की शिक्षा के बीच कोई कारगर तालमेल कायम करने में असफल रहे हैं। हम व्यावसायिक शिक्षा को घटिया मानते आये हैं और हमारी सोच रही है कि वह उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं।

नयी शिक्षा नीति में पदानुक्रम संबंधी ऊंच-नीच को समाप्त करके व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मिडिल कक्षाओं और माध्यमिक कक्षाओं से शुरुआत करके उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा को बड़े सुंदर तरीके से उच्च शिक्षा के साथ समन्वित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक व्यवसाय में निपुण हो। उसमें श्रम के महत्व को लेकर आदर की भावना विकसित हो और वह विभिन्न व्यवसायों के प्रति सम्मान का भाव रखे। इससे हम अपनी विशाल जनसंख्या की ताकत का फायदा उठाने और अपनी अर्थव्यवस्था में कौशल की कमी की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास 'अकादमिक' या अन्य क्षमताओं के साथ-साथ करने की परिकल्पना भी की गयी है।

व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के महत्व पर भी समान रूप से बल देते हुए अमेरिकी बुद्धिजीवी और राजनेता जॉन डब्ल्यू. गार्डनर ने अपनी पुस्तक *एक्सेलेंस: कैन वी बी इक्वल एंड एक्सेलेंट टू?* में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है: "जो समाज मलसाजी में उत्कृष्टता को हीन दृष्टि से देखते हुए उसका तिरस्कार करता हो और दर्शनशास्त्र के अधकचरे ज्ञान को भी उदात्त कार्य मानते हुए स्वीकार कर ले, उसमें न तो मलसाजों का काम ढंग से हो पाएगा और न वह दर्शनशास्त्र में उत्कृष्ट प्राप्त कर पाएगा। ऐसे समाज के न तो नलों में पानी होगा और न उसकी सोच युक्तिसंगत होगी।"

निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि नयी शिक्षा नीति 2020 सच्चे अर्थ में दूरदर्शी और समग्र प्रतीत होती है। लेकिन इसकी सफलता इसके कारगर क्रियान्वयन पर निर्भर है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस कार्य में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। ■

नागरिक चार्टर (घोषणा-पत्र)

मूल अवधारणा, उद्भव और सिद्धांत

संपूर्ण विश्व में यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों के स्थायी विकास के लिए सुशासन अनिवार्य है। सुशासन में तीन अनिवार्य पहलुओं पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता पर बल दिया गया है। नागरिक चार्टर उन समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है जिनका सामना लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से संपर्क करते हुए दिन-प्रति दिन नागरिक को करना पड़ता है।

नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाता और इसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास स्थापित करना है। उक्त अवधारणा सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम की जान मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में वर्ष 1991 में मूर्त रूप में आई और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की गई जिसका सामान्य लक्ष्य था : देश के लोगों के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना ताकि यह सेवाएं प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप बन सके।

नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संदर्भ में नागरिक को सशक्त बनाना है। नागरिक चार्टर आंदोलन में मूल रूप से छह सिद्धांत तैयार किए गए थे (1) गुणवत्ता : सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, (2) विकल्प : जहां कहीं संभव हो; (3) मानक: बताएं कि क्या प्रत्याशा है तथा किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, यदि मानक पूरे नहीं हों; (4) मूल्य : करदाताओं के धन के संदर्भ में; (5) जवाबदेही : वैयक्तिक और संगठन तथा (6) पारदर्शिता: नियमावलों/प्रक्रियाएं/स्कीमें/शिकायत। इन्हें लेबर सरकार ने बाद में सेवा प्रदायगी के निम्नलिखित नौ सिद्धांतों के रूप में विस्तारित किया (1998) : सेवा का मानक निर्धारित करना; उदार होना और पूरी सूचना देना; परामर्श करना तथा सहभागी बनाना; पहुंच को प्रोत्साहित करना व विकल्प को बढ़ावा देना; सभी के साथ निष्पक्षता का व्यवहार; अव्यवस्था होने पर प्रणाली को व्यवस्थित करना; संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग; भ्रष्टाचार और सुधार; अन्य प्रदाताओं के साथ कार्य करना।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

यूके की नागरिक चार्टर पहल ने विश्व में व्यापक रुचि जगाई और अनेक देशों ने समान कार्यक्रम जैसे कि आस्ट्रेलिया (सेवा चार्टर 1997), बेल्जियम (लोक सेवा प्रयोक्ता चार्टर 1992), कनाडा (सेवा चार्टर 1997), फ्रांस (सेवा चार्टर, 1992) भारत (सेवा मानक पहल, 1995), मलेशिया (नागरिक चार्टर, 1997), जमैका (नागरिक चार्टर 1994), पुर्तगाल (द क्वालिटी चार्टर इन पब्लिक सर्विसेज, 1993) और स्पेन (द क्वालिटी ओवजरवेटरी, 1992), (ओईसीडी 1996) लागू किए।

भारतीय परिदृश्य

भारत में वर्ष 1996 में प्रभावी और प्रतिक्रियाशील प्रशासन के

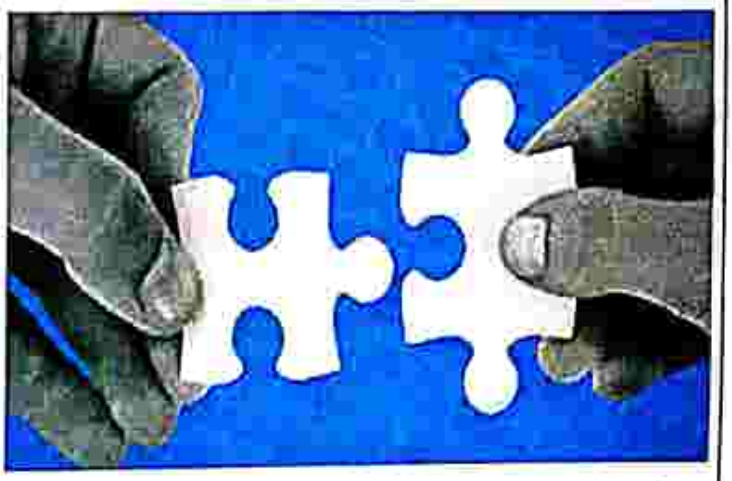

संबंध में सरकार में सर्वसम्मति बनी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र और राज्य स्तर में "प्रभावी और प्रतिक्रियाशील सरकार हेतु कार्य योजना" अपनाई गई। इस सम्मेलन का एक प्रमुख निर्णय यह था कि केंद्र और राज्य सरकारें बहुत अधिक जन संपर्क वाले क्षेत्रों (रेलवे, दूरसंचार, डाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से आरंभ करते हुए नागरिक चार्टर तैयार करेंगे। इन चार्टरों में सेवा मानक और समय-सीमा जो आम जन तर्कसंगत ढंग से अपेक्षा करे, शिकायत निवारण के अवसर और नागरिक व उपभोक्ता समूह की भागीदारी से स्वतंत्र जांच का प्रावधान शामिल करना अपेक्षित था।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भारत सरकार में नागरिक चार्टर के समन्वय, प्रारूपण और लागू कराने का कार्य आरंभ किया। चार्टर तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश और 'क्या करें और क्या नहीं करें' की सूची विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों को सूचित की गई ताकि वे केंद्रित और प्रभावी चार्टर तैयार करने में सक्षम हो सकें। चार्टर तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसियों को प्रयोक्ता के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रबंधन और अग्रणी स्टाफ के साथ एक कार्यबल गठित करने की सलाह दी गई।

चार्टरों में निम्नलिखित अवयव समाहित करने की प्रत्याशा की जाती है- (1) विजन व मिशन वक्तव्य; (2) संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे; (3) ग्राहकों के ब्यौरे; (4) प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे; (5) शिकायत निवारण तंत्र तथा उस तक पहुंचने के ब्यौरे; (6) ग्राहकों से प्रत्याशाएं।

नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट

नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन सतत चलने वाला कार्य है क्योंकि यह लोक सेवा के क्षेत्र में होने वाले सघन व निरंतर परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। भारतीय सरकार एक प्रभावी व दक्ष तरीके से नागरिक की सेवा का निरंतर प्रयास करती रही है, ताकि न केवल वह उनकी जरूरतें पूरी करे बल्कि, उनकी आशाओं पर भी खरी उतरे। ■

सरकार में जवाबदेही

मीनाक्षी गुप्ता

"जल में तैरती मछली कब पानी पी लेगी, यह जानना असंभव है। इसी तरह यह पता लगाना असंभव है कि सरकारी कर्मचारी, उपक्रमों के प्रभारी, गलत तरीके से पैसा कैसे कमाते हैं।"

–कौटिल्य का अर्थशास्त्र

मौजूदा समय में लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही में इजाफे पर जोर बढ़ता जा रहा है। इससे शासन और सरकारी कामकाज में जवाबदेही की जरूरत और महत्व का मसला चर्चा के केन्द्र में आ गया है। सरकार के कामकाज में जवाबदेही की प्रणाली आम तौर पर नागरिक समाज, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों तथा खास कर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और दाताओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस संदर्भ में जवाबदेही से जुड़े संस्थान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे हितधारकों और निर्णायकों के बीच दूरी को खत्म करने में मददगार होते हैं। इस तरह वे सुशासन की किसी भी अच्छी प्रणाली के केन्द्र में रहते हैं। शासन में जवाबदेही के सिद्धांत को समझने के लिये सबसे पहले इस पर चर्चा जरूरी है। इस सवाल पर सोचा जाना चाहिये कि कौन, किसके प्रति और किस बात के लिये जवाबदेह है। इस आलेख में सबसे पहले इस पर ही विचार किया गया है। इसके बाद उन सांस्थानिक प्रणालियों की चर्चा की गयी है जो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये भारत में मौजूद हैं। आखिर में निष्कर्ष के साथ ही आगे के रास्ते का उल्लेख किया गया है।

जवाबदेही

नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन का बुनियादी सिद्धांत है। जवाबदेही का मतलब वह प्रक्रिया और प्रतिमान हैं जो निर्णायकों को उनके फैसलों के लिये लाभार्थियों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। जवाबदेही कमान की शृंखला की कड़ी के रूप में अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब नागरिकों और नागरिक समाज समेत सभी हितधारकों के प्रति भी उत्तरदायी होना है। जवाबदेही कानूनी आवश्यकता या फिर संगठन के नैतिक और नीतिगत ढांचे से भी जनित हो सकती है। इसमें किसी भी कदम के औचित्य को साबित करना और चूक या अनियमितता की स्थिति में कार्रवाई शामिल है। यह प्रतिमानों को नजरंदाज किये जाने के मामले में सजा समेत सुधार के उपायों की भी व्यवस्था करती है। जवाबदेही सरकार के कामकाज में जनता का विश्वास बढ़ाने में मददगार होती है। मौजूदा समय में सरकारें बहुत जटिल परिवेश में काम करती हैं। उन्हें विभिन्न सरोकारों वाले समूहों के हितधारकों, सीमित संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी मांगों तथा पर्यावरण और अन्य विषयों से संबंधित पंचाय

चार्ट 1 – जवाबदेही का ढांचा

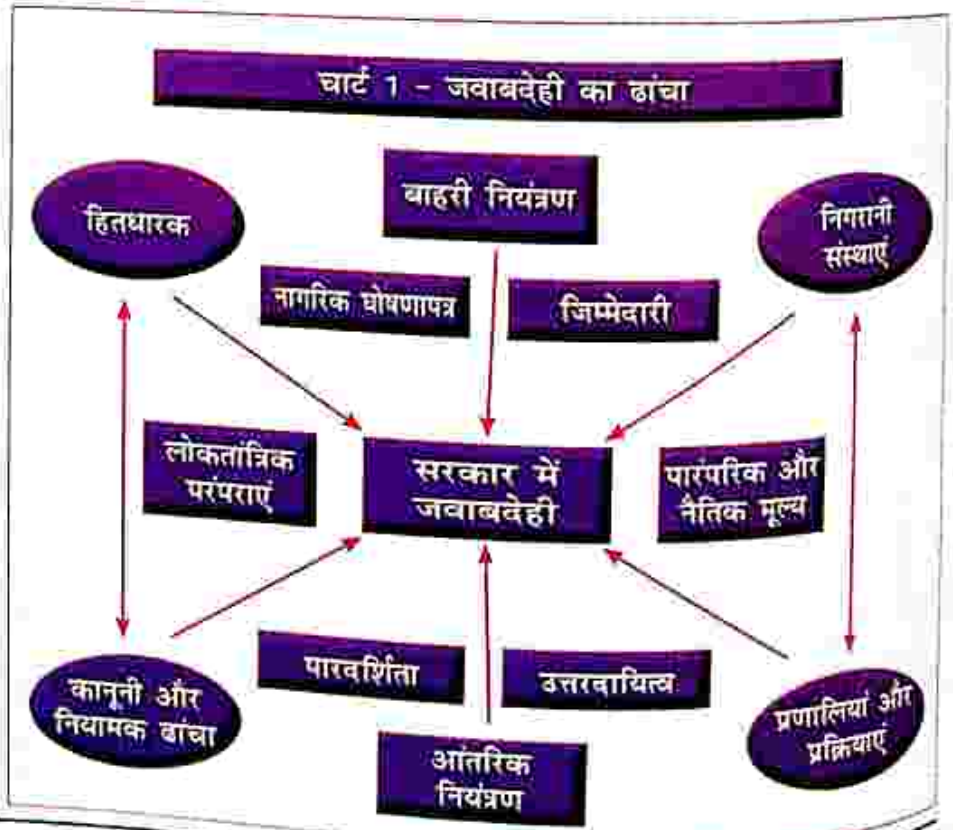

लेखिका भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की 1984 बैच की सदस्या हैं। वे मौजूदा समय में नयी दिल्ली में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में डिप्टी सीएजी के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल : meenakshig9@hotmail.com

कानूनी शर्तों के बीच काम करना पड़ता है। ऐसे में सख्त जवाबदेही को हर समस्या की रामबाण दवा नहीं माना जाना चाहिये। लेकिन जवाबदेही के तंत्र से जिम्मेदार शासन को बढ़ावा मिलता है। यह सरकार और नागरिकों के बीच फीडबैक की एक प्रणाली कायम करने में सहायता करता है।

सरकार और नागरिकों के बीच बाहरी जवाबदेही चुनावों के जरिये कायम होती है। अंदरूनी जवाबदेही के तंत्र में नियंत्रण और संतुलन तथा निगरानी की प्रणालियां शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलने के बावजूद प्रशासनिक निष्पक्षता और जवाबदेही के लिये नियंत्रण और संतुलन के समुचित प्रावधान भी किये हैं।

जवाबदेही वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी या पेशेवर में से किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन इस बुनियादी सवाल पर गौर करना जरूरी है कि कौन, किसके प्रति और किस बात के लिये जिम्मेदार है।

चार्ट 1 में जवाबदेही को संचालित करने वाली प्रणाली को दिखाया गया है। इस व्यापक प्रणाली में कानूनी और नियामक संरचना के अलावा उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है जिनके निर्देशक सिद्धांत लोकतांत्रिक परंपराएं तथा नैतिक और पारंपरिक मूल्य हैं। हितधारकों यानी नागरिकों के प्रति सर्वोच्च जवाबदेही को एक पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार प्रशासन के जरिये सुनिश्चित किया जाता है। यह प्रशासन निगरानी संस्थाओं के जरिये छानबीन के अधीन होता है।

कौन, किसके प्रति जिम्मेदार?

जवाबदेही का सिद्धांत सभ्यता जितना ही पुराना है। अरस्तू ने लिखा है, *"कुछ अधिकारियों के अधीन काफी धन होता है। इसलिये यह जरूरी है कि उनसे हिसाब-किताब लेकर उसकी जांच का अधिकार दूसरे अधिकारियों के पास हो।"*

पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी हालत में नागरिक ही हितधारक होंगे। मतदाता होने के नाते उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों से उत्तरदायित्व की मांग करने का हक है जिसे बाहरी जवाबदेही कहते हैं। आंतरिक जवाबदेही तंत्र में एक तरफ नियंत्रण और संतुलन एवं प्रोत्साहन की प्रणाली तथा दूसरी ओर हितधारकों की पूरणीय उम्मीदों के साथ निगरानी की व्यवस्था शामिल है।

नागरिक कर अदा करते हैं। इसलिये उन्हें यह जानने का हक है कि उन्होंने जिस धन का भुगतान किया सरकार उसे किस तरह खर्च कर रही है। क्या इसका इस्तेमाल सही काम के लिये और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है? इस खर्च को नतीजे क्या हैं और क्या इससे लक्षित समूह को लाभ पहुंच रहा है? कर संग्रह और योजनाओं पर अमल के लिये जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों ने क्या निर्धारित मानदंडों का पालन किया है? इन सवालों के जवाब पाने और मौजूदा लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रखने के लिये नागरिकों के प्रति जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है।

चार्ट 2 बताता है कि जवाबदेही एक सतत प्रक्रिया है। हितधारक दृष्टिकोण बनाने और प्राथमिकताएं तय करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। सरकार योजनाओं को बनाती और उन्हें लागू करती है। मूल्यांकन के परिणामों से प्रणाली को सुधारने में मदद मिलती है। ये परिणाम हितधारकों को निर्णायकों से उनके फैसलों के औचित्य के बारे में पूछने में सक्षम बनाते हैं। निर्णायकों की यह जिम्मेदारी है कि वे जरूरी स्पष्टीकरण प्रदान करें। एक तरफ व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन तथा प्रोत्साहन हैं तथा दूसरी ओर पूरा किये जाने के लिये हितधारकों की उम्मीदें।

किस बात के लिये जवाबदेही?

जवाबदेही का अर्थ यह दायित्व है जिसके तहत किसी भी अधिकारी को उसकी कार्रवाइयों और फैसलों से प्रभावित होने

चार्ट 2 - अनुकूलनीय सार्वजनिक प्रबंधन

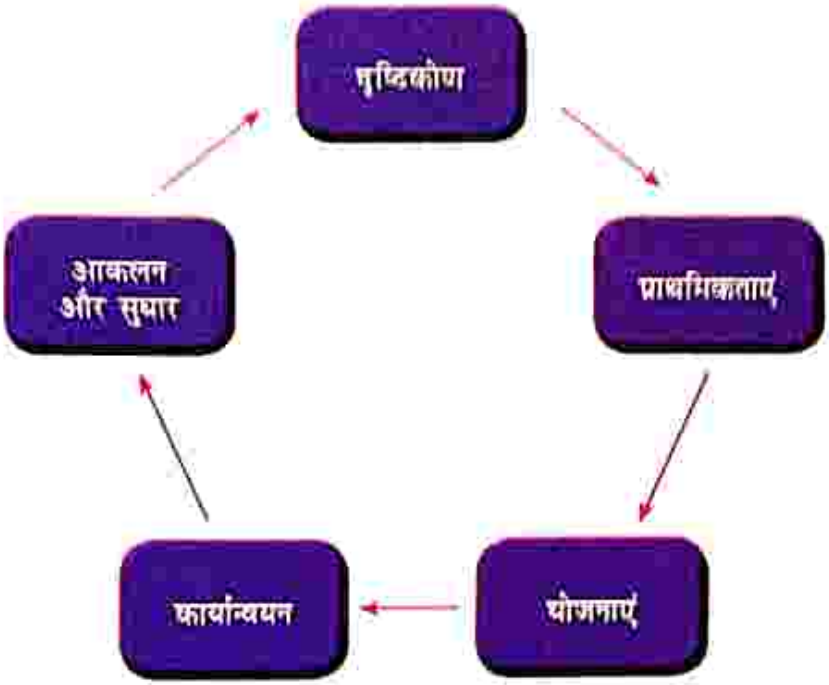

नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन का बुनियादी सिद्धांत है। जवाबदेही का मतलब वह प्रक्रिया और प्रतिमान हैं जो निर्णायकों को उनके फैसलों के लिये लाभार्थियों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। जवाबदेही कमान की शृंखला की कड़ी के रूप में अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब नागरिकों और नागरिक समाज समेत सभी हितधारकों के प्रति भी उत्तरदायी होना है।

वाले हितधारकों को अपने निर्णयों के बारे में जानकारी देनी होती है। यह एक तरफ निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करती है। दूसरी ओर यह इस धारणा को मानती है कि सरकारी एजेंसियां सटीक और भरोसेमंद सूचनाएं और आंकड़े रखेंगी तथा उन्हें आम पड़ताल के लिये सार्वजनिक करेंगी। सूचना और तथ्यों के अभाव की स्थिति में नागरिकों की शिकायतों का निवारण नहीं किया जा सकता। ऐसे में चूक या हेराफेरी की जिम्मेदारी तय करना भी नामुमकिन हो जाता है।

सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे फैसले सुनिश्चित कराये गये प्रशासनिक ढांचे के अंदर ही करेंगे। यह प्रशासनिक ढांचा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), वित्तीय शक्ति प्रतिनिधान नियमों (डीएफपीआर), वस्तुओं और सेवाओं की खरीद संबंधी नियमावली इत्यादि के रूप में मौजूद है। इसलिये निगरानी एजेंसियां किसी भी विचलन को इस ढांचे के संदर्भ में देखती हैं। लेकिन जवाबदेही की प्रणाली को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिये इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रशासनिक ढांचा खुद में ठोस हो। यह ढांचा कमजोर होगा तो जवाबदेही की प्रणाली भी अशक्त हो होगी।

सूचना अधिकार कानून, 2004 से सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी पारदर्शिता आयी है। इससे सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच भी आसान हो गयी है।

जवाबदेही का मतलब वह प्रक्रिया और प्रतिमान है जो निर्णायकों को उनके फैसलों के लिये लाभार्थियों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। जवाबदेही कमान की शृंखला की कड़ी के रूप में अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब नागरिकों और नागरिक समाज समेत सभी हितधारकों के प्रति भी उत्तरदायी होना है।

इसी तरह नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण से वितरण की गति में तेजी आने के साथ ही निगरानी एजेंसी को विश्लेषण के लिये हर चरण की स्पष्ट जानकारी भी मिलने लगी है।

नागरिक घोषणापत्रों में सरकार की विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। वे विभिन्न सेवाओं के लिये समय सीमा तय कर खुद को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाती हैं। मिसाल के तौर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नागरिक घोषणापत्र में अन्य बातों के साथ ही सेवा प्रदान करने के मानदंडों की व्यवस्था की गयी है। इन मानदंडों में कर वापसी या शिकायतों के निपटारे के लिये समय सीमा का निर्धारण शामिल है। वित्त मंत्री ने फरवरी, 2020 के बजट भाषण में आयकर कानून में करदाता घोषणापत्र के नाम से एक नया खंड 119 ए शामिल करने की घोषणा की। इस कदम से नागरिक घोषणापत्र को कानूनी समर्थन मुहैया कराया गया। इस नये दृष्टिकोण से अन्य सरकारी एजेंसियों में नागरिक घोषणापत्रों के लिये मिसाल स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप इन एजेंसियों की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ही सरकारी कामकाज की दक्षता में भी इजाफा होगा।

संस्थागत प्रणाली

मजबूत और स्वतंत्र जवाबदेही संस्थाओं की मौजूदगी सुशासन के लिये जरूरी होती है। ये संस्थाएं निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के अलावा खराब प्रशासन के मामलों का भी पता लगा सकती हैं। वे अधिकार के दुरुपयोग और असांविधानिक आचरण की भी जानकारी दे सकती हैं। सरकार के संदर्भ में जवाबदेही सुनिश्चित करने का संस्थागत तंत्र सांविधानिक प्रावधानों, विधायी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिये बनाया जा सकता है।

सरकार और नागरिकों के बीच बहुत जवाबदेही चुनावों के जरिये कायम होती है। अंदरूनी जवाबदेही के तंत्र में नियंत्रण और संतुलन तथा निगरानी की प्रणालियां शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलने के बावजूद प्रशासनिक निष्पक्षता और जवाबदेही के लिये नियंत्रण और संतुलन के समुचित प्रावधान भी किये हैं। भारतीय संदर्भ में क्षैतिज जवाबदेही के संस्थानों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), निर्वाचन आयोग, सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग और ओमबड्समैन (लोकपाल) जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) समेत बड़ी संख्या में नियामक संस्थाएं मौजूद हैं। सीएजी और निर्वाचन आयोग को उनकी शक्तियां संविधान से मिली हैं। बाकी संस्थाएं अपनी शक्तियां उन्हें संचालित करने वाले संबंधित कानूनों से हासिल करती हैं।

चार्ट 4 – वित्तीय जवाबदेही

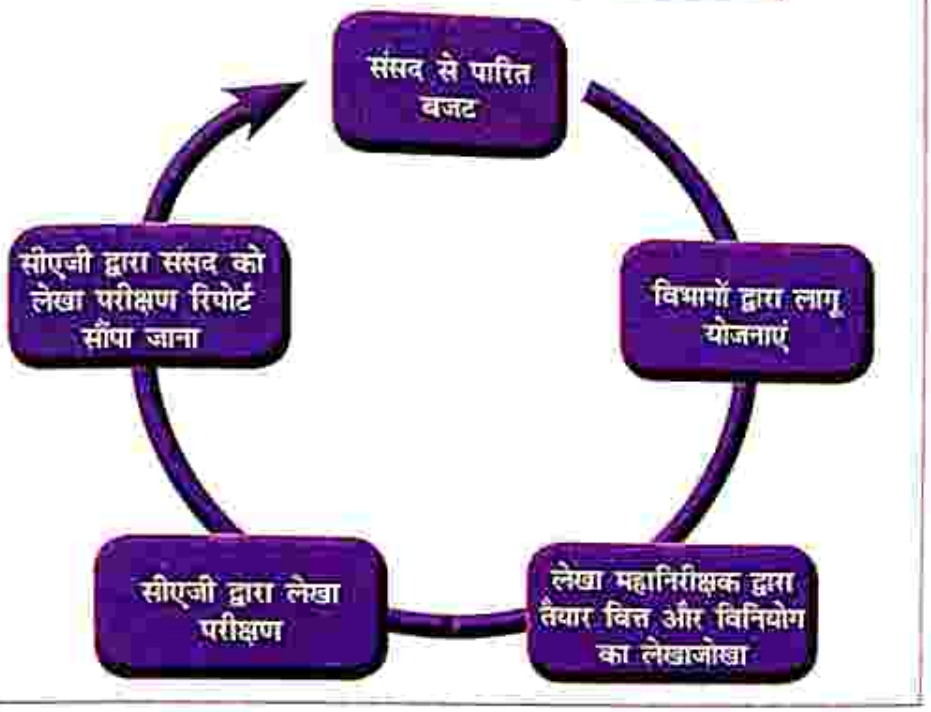

सरकार के समूचे कामकाज के लिये वित्तीय जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है। संसद से पारित किये जाने वाले बजट में योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को धन आवंटित किया जाता है। कार्यपालिका को विकास और देश के नागरिकों के कल्याण के लिये योजनाएं और परियोजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार और आज़ादी मिली हुई है। इसके साथ ही विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी नामक एक स्वतंत्र निगरानी संस्था का गठन किया गया है। मंत्रालयों और विभागों के खर्चों का हिसाब-किताब वित्त मंत्रालय के अधीन लेखा महानियंत्रक का कार्यालय करता है। मंत्रालयों और विभागों के वित्त और विनियोग खातों का लेखा परीक्षण सीएजी करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है। इस तरह वित्तीय जवाबदेही का दायरा पूरा होता है।

सीएजी की भूमिका खातों के वित्तीय लेखा परीक्षण तक ही सीमित नहीं है। भारत के सीएजी इसके अलावा अनुपालन परीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण भी करते हैं। अनुपालन परीक्षण का मुख्य मकसद नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता की जांच करना है। प्रदर्शन परीक्षण के स्वतंत्र आकलन या जांच के जरिये यह पता लगाया जाता है कि कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना किस हद तक किफायती, कुशल और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। इस तरह भारत के सीएजी का लेखा परीक्षण जवाबदेही के लगभग सभी पहलुओं को अपने दायरे में समेटे हुए है।

भारत में सीएजी एक स्वतंत्र सांविधानिक संस्था है। वह कार्यपालिका और विधायिका में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। इसकी स्वतंत्रता को सांविधानिक और विधायी प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। निगरानी का काम करने वाली संस्था की स्वतंत्रता से उसे जवाबदेही के तंत्र के हिस्से के तौर पर अपना काम प्रभावी ढंग से करने में सहूलियत होती है।

सरकार के समूचे कामकाज के लिये वित्तीय जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है। संसद से पारित किये जाने वाले बजट में योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को धन आवंटित किया जाता है। कार्यपालिका को विकास और देश के नागरिकों के कल्याण के लिये योजनाएं और परियोजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार और आज़ादी मिली हुई है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

जवाबदेही सुशासन के लिये पर्याप्त भले ही नहीं हो मगर एक जरूरी शर्त है। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के सिद्धांतों तथा समाज के नैतिक और पारंपरिक मूल्यों के अलावा कानूनी तथा नियामक और प्रशासनिक ढांचे से संचालित होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है उत्तरदायित्व और प्रवर्तन इसके दो तत्व हैं। जवाबदेही का मतलब सिर्फ कमियां निकालना और आरोप लगाना नहीं होना चाहिये। व्यवस्था में सुधार का व्यापक उद्देश्य इसमें शामिल होना चाहिये। बेशक, मानदंडों के उल्लंघन और निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये। जानबूझ कर चूक और अनियमितताओं की घटनाएं सामने आने के साथ ही इनके लिये जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलनी चाहिये। लेकिन जोर इस बात पर होना चाहिये कि व्यवस्था की गड़बड़ियों और नाकामियों का पता लगा कर उन्हें किस तरह दुरुस्त किया जाये। यह भी समझा जाना चाहिये कि सामूहिक निर्णय की स्थिति में जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सामूहिक हो होती है। जवाबदेही की प्रणाली में खास तौर से डिजिटलीकरण के युग में शासन के आधुनिक ढांचों के विकास के अनुरूप बदलाव लाना जरूरी है।

आवश्यकता इस बात की भी है कि अधिकारियों को जवाबदेही के ढांचे के संदर्भ में उनकी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। बेहतर पारदर्शिता के लिये नागरिक घोषणापत्र के अलावा किसी काम को करने की एक सुस्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी होनी चाहिये। जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये विशेषाधिकार के तत्व को न्यूनतम स्तर पर रखने की जरूरत है। ■

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखिका की निजी राय है)

भ्रष्टाचार की रोकथाम

टी एस कृष्णमूर्ति

भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है, जो समाज को बर्बाद कर देती है। काम के बारे में जानकारी का अभाव, अक्षमता, ड्यूटी में लापरवाही, पक्षपात, जाति और समुदाय की भावना, भर्ती का खराब सिस्टम आदि भी भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी की मुख्य वजहें हैं। इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील लोकतांत्रिक देशों में गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, आधारभूत संरचना की कमी आदि समस्याएं दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी फंड आवंटित किए जाते हैं और इससे राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए भ्रष्टाचार में शामिल होने का अवसर मिलता है।

"भारत एक समृद्ध देश है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं।" देश के मशहूर वकील और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले शख्स नानी पालकीवाला ने कभी भारत के बारे में यह बात कही थी। विडंबना यह है कि उनके ये शब्द आज भी प्रासंगिक नजर आते हैं। भारत ने बेशक आर्थिक मोर्चे पर कई उपलब्धियां हासिल की हों, लेकिन इस सच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी मुख्य वजह है कि हम पूरी तरह से गरीबी खत्म करने और प्रभावकारी तरीके से भ्रष्टाचार से निपटने में असफल रहे हैं।

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या विकराल है। इसके कई कारण हैं। सरकार की विकास संबंधी गतिविधियों के कारण भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में भ्रष्टाचार पनपने का मौका मिलता है। किसी भी सरकार के कामकाज का प्रदर्शन उसके संस्थानों द्वारा लिए गए फैसलों और संस्थानों को चलाने वाले लोगों से तय होता है। बेहतर शासन प्रणाली के संचालन के लिए सरकार में खुलापन, जवाबदेही, आसानी से उपलब्धता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सक्रियता जैसी खूबियों का होना जरूरी है। अगर सरकार निष्पक्ष, संवेदनशील और पारदर्शी नहीं है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। दुर्भाग्य से, भारत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में "शासन प्रणाली में शुचिता" शीर्षक से भ्रष्टाचार को लेकर अहम बातें कही गई हैं। इसके मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामले, समाज में शुचिता और मूल्यों में गिरावट का नतीजा है। लिहाजा, इस टिप्पणी से यह माना जा सकता है कि जब तक बेहतर मूल्यों का विकास नहीं होता है, तब तक शासन-प्रशासन में लोगों के आचरण में सुधार लाना मुश्किल है। आम तौर पर भ्रष्टाचार से आशय निजी लाभ के लिए सार्वजनिक

लेखक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी तथा भारत के पूर्व मुख्य भूमि आयुक्त हैं। ईमेल : krishnamurthy.ts@gmail.com

व्यवस्था का गलत इस्तेमाल होता है। यह दुरुपयोग राजनीतिक या प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर हो सकता है। इस लेख में सिर्फ नौकरशाही और इससे जुड़ी अन्य सरकारी सेवाओं में मौजूद भ्रष्टाचार पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सभी तरह के भ्रष्टाचार की जननी होती है।

विकासशील लोकतांत्रिक देशों में सरकार गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं की समस्या दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च का प्रावधान करती है। इस तरह, नेताओं और नौकरशाहों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। लोगों को बेहतर शासन उपलब्ध कराने में कार्यपालिका के असफल होने की मुख्य वजह सामंती रवैया और सरकारी सिस्टम के नियम-कानूनों की जटिलता है। एडवर्ड लूस ने अपनी किताब "इनस्पाइट ऑफ गॉड्स (पेज 100-101)" में इसे सटीक तरीके से बयां किया है:

"नई दिल्ली स्थित मंत्रालयों के शानदार गलियारों से लेकर दूर-दराज के ग्रामीण मैजिस्ट्रेट के कोर्ट तक, भारत के सरकारी दफ्तर और कोर्टरूम में कुछ बेहद आम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये गतिविधियां एक शासन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती हैं जो आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर यह व्यवस्था आपके काम नहीं आती। अगर आप सत्ता के गलियारों में झांकते हुए भारत की आर्थिक स्थिति का जायजा लेंगे, तो आपके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि यह देश सॉफ्टवेयर क्रांति के दौर से गुजरा है। दफ्तरों में आपको कंप्यूटर के बदले बड़ी संख्या में लोग कागज और फाइलें ढोते नजर आएंगे। वैक्यूम क्लीनर मशीन के बदले सफाईकर्मी झाड़ू लगाते दिखेंगे। अगर आप मिलने का समय मांगेंगे, तो आपसे कहा जाएगा: 'आ जाइए'। समय पूछे जाने पर कहा जाएगा कि आप कभी भी आ जाइए। वेटिंग रूम के बजाय लोग गलियारों और आसपास की जगहों में खड़े और धक्का-मुक्की करते दिखेंगे। सभी उस पल के इंतजार में रहते हैं, जब उस वीआईपी शख्सियत से मुलाकात हो जाए, जिनके एक शब्द या हस्ताक्षर से वह समस्या दूर हो जाए जिसके लिए आपको कई रातों को नींद नहीं आई या हजारों फोन कॉल करने पड़े। इनका व्यवहार जनता के सेवक जैसा नहीं बल्कि मालिक सरीखा है।"

– इनस्पाइट ऑफ द गॉड्स,
एडवर्ड लूस, लिटिल ब्राउन, 2006

देश में भ्रष्टाचार फलने-फूलने की दूसरी वजह शासन व्यवस्था की केंद्रीकृत प्रणाली है। केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर यह समस्या देखने को मिलती है। दरअसल, पुरानी और काफी हद तक अप्रासंगिक हो चुकी यह प्रशासनिक प्रणाली औपनिवेशिक शासन से प्रेरित है। हमारा नेतृत्व अब तक नई प्रशासनिक प्रणाली सुनिश्चित नहीं कर पाया है। अतः, नियमों की समीक्षा कर उसे आसान बनाने की जरूरत है, ताकि बेहतर निगरानी व्यवस्था के साथ फैसले लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो सके।

जब सरकार लोगों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, तो खराब शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का गुस्सा फूटता है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पैदा हुई समस्याओं से निपटने में सरकार के नाकाम रहने पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हम एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के

किसी भी सरकार के कामकाज का प्रदर्शन उसके संस्थानों द्वारा लिए गए फैसलों और संस्थानों को चलाने वाले लोगों से तय होता है। बेहतर शासन प्रणाली के संचालन के लिए सरकार में खुलापन, जवाबदेही, आसानी से उपलब्धता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सक्रियता जैसी खूबियों का होना जरूरी है।

कई विकासशील देशों में एक तरह का पैटर्न देख सकते हैं। शासन प्रणाली के मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं रहने पर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और यह लोगों और सरकार के बीच हिंसा और नफरत का माहौल भी बनाता है। बेशक, हमारे पास भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई कानून हैं, लेकिन कई मामलों में हमें ऐहतियाती कदम उठाने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश बेहद सीमित रहे। इस दिशा में सत्ता का विकेंद्रीकरण एक अहम कदम है। वित्तीय और प्रशासनिक मोर्चे पर स्थानीय संस्थानों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़े। शासन संचालन में अधिकारों का बंटवारा राज्य सरकार से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए। इस मकसद को पंचायती राज कार्यक्रम के जरिये हासिल किया जाना था, लेकिन योजना को सही ढंग से लागू नहीं किए जाने की वजह से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। हालांकि, गुजरात के शहर सूरत ने स्थानीय स्वशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया और वहां की स्थानीय निकाय संस्था ने जिले की विकास संबंधी जरूरतों के लिए स्थानीय स्तर पर ही फंड जुटा लिया। साथ ही, कोयंबटूर जिले (तमिलनाडु) की एक पंचायत ने पवन ऊर्जा का उत्पादन कर अपने गांव की विकास संबंधी जरूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड जुटा लिया। इतना ही नहीं, इस पंचायत के पास इतना फंड इकट्ठा हो गया कि उसने दूसरे पंचायतों को भी मदद मुहैया कराई।

अगर हम लोगों के लिए बेहतर और असरदार ढंग से सरकारी सेवाएं मुहैया कराना चाहते हैं, तो हमें सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर ऐसी कई जरूरी सेवाओं को आउटसोर्स करना होगा। साथ ही, तमाम गतिविधियों पर प्रभावकारी तरीके से निगरानी रखने की जरूरत होगी। इसके बाद, सरकार अतिरिक्त कर्मचारियों को भविष्य की जरूरतों के लिए रख सकती है और इस तरह बिना किसी तरह की छंटनी के शासन व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं।

केंद्र और राज्यों के स्तर पर कामकाज के लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए। सरकार को लोगों से जुड़ी हर शिकायत के निपटारे के लिए एक निश्चित समयसीमा तय करनी चाहिए, मसलन एक महीना या पुलिस और अदालत। अगर तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से निगरानी भी सुनिश्चित की जा सके। अगर शिकायतों के निपटारे में तय समयसीमा का पालन नहीं होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, अगर देरी की कोई जायज वजह है, तो सजा की बात टाली जा सकती है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक और अहम क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। यह क्षेत्र है: "उच्चस्तरीय पुलिस प्रशासन"। विडंबना यह है कि कानून के पालन में (खास तौर पर कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों में) में आम नागरिक और सरकारी कर्मी, दोनों का प्रदर्शन संतोषजनक नजर नहीं आता। कानून का पालन करने वाली एजेंसियों मसलन पुलिस और बाकी नियामक संस्थाएं के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण भी भ्रष्टाचार फैलता है। हाल में यह ट्रेंड भी उभकर सामने आया है कि जांच प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी जांच एजेंसियां मीडिया से बात करती हैं, ताकि उत्सुक मीडिया को संतुष्ट किया जा सके। दुनियाभर में कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, जहां किसी मामले की जांच पूरी हुए बिना जांच एजेंसियां मीडिया से बात करती हैं। भारत में इस तरह के प्रचलन को रोकने की जरूरत है। इसी तरह, पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। ये निर्देश खास तौर पर, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, पोस्टिंग और तबादले के सिलसिले में मुहैया कराए गए हैं। कानून-व्यवस्था को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के लिए इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष (स्वर्गीय) पी. ए. संगमा ने कहा था:

"हमारे यहां की प्रशासन प्रणाली में कई खामियां हैं। हमारे प्रशासन पर राजनीति हावी है और यह लोगों से काफी दूर है। पुलिस बल समेत हमारे पूरे प्रशासन में राजनीति हावी है। लोक सेवाओं के अधिकारियों पर भी राजनीतिक आकाओं का दबाव होता है और राजनीतिक दुश्मनी निपटाने के लिए पुलिस बल का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस तरह का प्रचलन काफी आम हो गया है। कानून के शासन के लिहाज से यह ठीक नहीं है। प्रशासन को राजनीति से अलग होना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता और कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए।"

बहरहाल, नौकरशाही यानि लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी अभियान तभी सफल हो सकता है, जब हमारे पास सही जगह पर सही लोग हों। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया में जरूरी बदलाव कर इन्हें बेहतर बनाना होगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, *"संविधान हमें क्या दे सकता है, क्या नहीं और देश का हित इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है। प्रशासन का संचालन उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर यह जिम्मेदारी होगी।"* ■

सरकारी खर्चे पर चुनाव : एक अवलोकन

एन गोपालस्वामी

सरकार द्वारा वित्त पोषित चुनाव यानी सरकारी खर्चे पर चुनाव लड़ने का मुद्दा ऐसा है जिसने सभी लोकतांत्रिक देशों में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। राजनीतिक निधिकरण नीतियों के जरिये संस्थानों को भ्रष्ट बनाने की आशंका के मद्देनजर यह संवेदनशील मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। कई लोकतांत्रिक देशों ने पार्टी और चुनाव वित्त को विनियमित करने के लिए कानून बनाया है। भारत में, चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय की गई है और राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में वार्षिक हिसाब जमा करना होता है।

1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1950 में गणराज्य बना और इसने लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को चुना। लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है- "लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस आदर्श को जीने के लिए प्रयासरत हैं, हालांकि एक निष्पक्ष विश्लेषण में कई दोष देखने को मिलेंगे जिनमें महत्वपूर्ण है -चुनाव पर होने वाला बढ़ता खर्च। यह समझने के लिए कि नैतिकता और ईमानदारी के संदर्भ में यह कितना उचित है, इसकी जांच करने और इस पर नजर रखने की आवश्यकता है।

भारत एक गणतंत्र बन गया और अराजकता की चेतावनी देने तथा डराने वाली भविष्यवाणियों के बावजूद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चयन किया गया। उस समय देश की 85 प्रतिशत आबादी निरक्षर थी। इसके अलावा महिलाओं की साक्षरता दर अत्यधिक कम यानी केवल 7.5 प्रतिशत थी। इसी कारण इस प्रयोग के विफल होने की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन हमारे नेताओं को इस देश के सामान्य पुरुषों और महिलाओं के विवेक तथा बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने लिंग, आर्थिक स्थिति या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, सब को सशक्त बनाने का विकल्प चुना। देश ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और अकाल, बाढ़, युद्ध, जैसी आपदाओं आर्थिक अभाव, सांप्रदायिक दंगों, जातिगत संघर्षों, वामपंथी उग्रवाद जैसी समस्याओं के बावजूद लंबे समय से लोकतंत्र के प्रति समर्पण बना हुआ है। निराशाजनक पूर्वानुमानों के बावजूद, इस देश के नागरिकों ने एक के बाद एक चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करके लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। देश में पिछले 70 वर्षों में 17 आम चुनाव और 350 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।

प्रगति

हालांकि, यह एक आसान यात्रा नहीं है। चौथे लोकसभा चुनाव (1967) तक, निर्वाचित प्रतिनिधियों का दल बदलना आम बात हो गई। फिर आपातकाल का काला दौर आया। इस दौरान ज्यादतियां हुईं और लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार हुआ लेकिन राष्ट्र ने जल्द ही इस बाधा को भी पार कर लिया। लोकतंत्र को हालांकि बहाल कर लिया गया था, लेकिन मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा, मतदाताओं को डराना, वोट खरीदना जैसे हथकंडों ने हमारी लोकतांत्रिक साख पर सवालिया निशान लगा दिया।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल कर एक बड़ा बदलाव किया। बाद में मतदान पुष्टि पर्ची से इसे और अधिक विश्वसनीय बनाया गया लेकिन इससे चुनावों को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

राजनीति को सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और लोकतंत्र में समय-समय पर होने वाले चुनावों के माध्यम

लेखक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तथा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ईमेल : gopalswamin@gmail.com

से सत्ता तक पहुंच बनाई जाती है। चुनावों की गुणवत्ता, केवल इस से प्रदर्शित नहीं होती कि इनका आयोजन निर्धारित समय पर किया जाता है, बल्कि इससे भी तय होती है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है या नहीं। दुर्भाग्य से इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए हमें अब भी बहुत दूरी तय करनी है।

निर्वाचन आयोग ने इन वर्षों में पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करके, मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर, वंचित वर्गों के मतदाताओं को डराने धमकाने से बचाने तथा मतदान केंद्रों पर कब्जे को रोकने के लिए निवारक गिरफ्तारी तथा सुरक्षा की व्यवस्था कर और आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू कर तथा चुनाव को सरकारों के अनुचित प्रभावों से मुक्त बनाकर सराहनीय काम किया है।

ऊपर उल्लिखित उपायों से चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता आई है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण और असीमित चुनाव खर्च दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सका है।

चुनाव कानून के तहत न्यायालय द्वारा अपराधों के दोषी ठहराए गए लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपराधिक कार्रवाई में देरी और पार्टियों द्वारा अपनाए गए जीतने के तरीकों के कारण आरोपित निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है, और इससे भी बुरा यह है कि इनमें डकैती, लूटपाट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी भी शामिल हैं।

	2009	2014	2019
आपराधिक मामलों के आरोपी जीतने वाले उम्मीदवार विजेता (प्रतिशत)	30	34	43
गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी जीतने वाले उम्मीदवार (प्रतिशत)	14	21	29

स्रोत: एडीआर रिपोर्ट

अन्य गंभीर मुद्दा चुनाव प्रचार पर होने वाला असीमित खर्च है। शुरुआत से ही चुनाव कानून के तहत उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय कर दी गई थी। सबको एकसमान अवसर देने के लिए ऐसा किया गया। इसका उद्देश्य है कि 'अच्छे' उम्मीदवारों को धन की कमी न हो और चुनावों में धन, निर्धारक कारक नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस नियम का काफी उल्लंघन किया जाता है।

उम्मीदवार के खर्च की सीमा हालांकि निर्धारित की गई है, लेकिन पार्टी खर्च के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि व्यय को छिपाने के तरीके निकालने की प्रत्याशियों की धृष्टता, नियमों को भी बेमानी बना देती है। समय

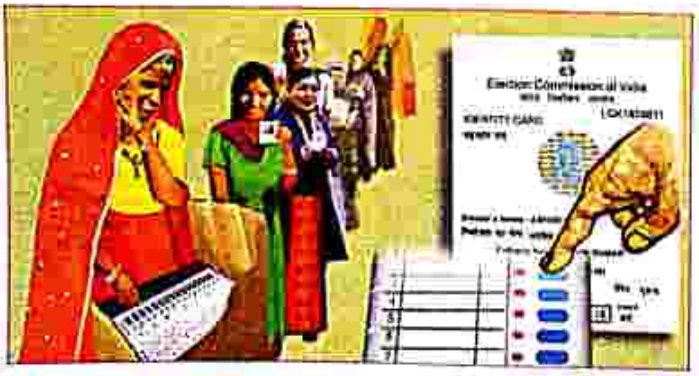

के साथ-साथ रणनीति भी बदलती रही है। प्रिंट मीडिया को चेकबुक लोगों ने पैसा लेकर, कवरेज में हेरफेर के तरीके निकाल लिए और उम्मीदवारों को पक्ष में चुनाव प्रचार को समाचार के रूप में प्रकाशित करने लगे। वास्तव में ये विज्ञापन होते हैं और उम्मीदवार उनके लिए भुगतान करता है लेकिन यह चुनाव खर्च के रूप में नहीं गिना जाता।

निर्वाचन आयोग, चुनाव में अत्यधिक खर्च पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय करता है। व्यय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाता है, व्यय की स्वीकार्य लागत तय की जाती है, प्रत्येक उम्मीदवार के प्रमुख चुनाव अभियान कार्यक्रमों को कवर करने के लिए वीडियोग्राफरों को नियुक्त किया जाता है, उम्मीदवार के व्यय रजिस्टर की समय-समय पर जांच की जाती है और व्यय पर्यवेक्षकों के आकलन से उसकी तुलना की जाती है। इस जानकारी का उपयोग चुनाव के समापन के बाद उम्मीदवारों द्वारा दायर व्यय विवरण की जांच करने के लिए किया जाता है। यह सब व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाता है ताकि प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार इसे चुनौती दे सकें। बड़े पैमाने पर इन प्रयासों के बावजूद, व्यय को छिपाने या खर्च को कम दिखाए जाने का पता लगाने में खास सफलता नहीं मिली है। यहां तक कि 'पेड न्यूज' के लिए अयोग्य घोषित किए गए एकमात्र उम्मीदवार का पता भी निर्वाचन आयोग ने नहीं, बल्कि भारतीय प्रेस परिषद ने लगाया था।[2]

राजनीतिक वित्त मुद्दे

राजनीतिक वित्त नीतियों से, संस्थानों को भ्रष्ट करने की आशंका के मद्देनजर यह एक संवेदनशील मुद्दा होने के कारण सभी लोकतांत्रिक देशों में इस ओर व्यापक ध्यान आकर्षित किया गया है। कई लोकतांत्रिक देशों ने पार्टी और चुनाव वित्त को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। भारत में, चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा है और पार्टियों को निर्वाचन आयोग के सामने वार्षिक हिसाब देना होता है। ब्रिटेन और कई अन्य देशों में भी इसी तरह के प्रावधान हैं। कई देशों में ऐसे कानूनों का काफी उल्लंघन किया जाता है, हालांकि यूरोप के देश इसका अपवाद हैं जहां इनका बेहतर अनुपालन होता है।[3]

पिछले कुछ वर्षों में भारत के चुनावी परिदृश्य में दो बातों गौर करने की हैं। एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और दूसरा, अधिक व्यय करने में सक्षम निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ी है। इन दोनों के बीच भी गहरा संबंध हो सकता है, जो चिंता का विषय है। 2009 और 2019 के बीच तीन आम चुनावों में चुने गए सांसदों की वित्तीय स्थिति का सारांश इस प्रकार है।[4]

1 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले सांसद

1. 2009 - 58 प्रतिशत, 2014 - 82 प्रतिशत, 2019 - 88 प्रतिशत
2. कुल 2699 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया
3. जीते - करोड़पति - 21 प्रतिशत, गैर-करोड़पति - 1 प्रतिशत
4. 50 लाख रुपये से कम संपत्ति वाले विजेता - 1.6 प्रतिशत
5. दोबारा निर्वाचित (2019), 225 सांसदों की संपत्ति में वृद्धि (औसत) - 29 प्रतिशत (4.87 करोड़ रु.)
6. 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये संपत्ति वाले विजेता - 7 प्रतिशत

इन तथ्यों को देखते हुए, यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल जनता की सेवा की प्रबल इच्छा रखता

है, लेकिन भारी चुनाव खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, तब भी वह सांसद या विधायक बन सकता है। वास्तव में कोई भी प्रत्याशी ऐसी ख्वाहिश तब तक नहीं पाल सकता, जब तक कि राजनीतिक दल, वित्तीय स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को चुनाव में नहीं उतारते हैं।

पार्टी वित्त

उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है, लेकिन पार्टी के व्यय पर कोई सीमा नहीं है, यह एक बड़ी खामी है, राजनीतिक दल जिसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं।

हमारे देश में पार्टी वित्त और उसके स्रोत एक अपरिभाषित क्षेत्र है। हालांकि कानून के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक के दान का विवरण देने की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्टियां इसे टालने में माहिर हैं। कई लोग 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियों के, निर्धारित सीमा से कम होने का दावा करते हैं। 2003 में कंपनियों के दान पर कर में छूट देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन कंपनियां किसी एक या दूसरे पक्ष की नाराजगी के डर से अपनी पहचान प्रकट करने से हिचकती हैं। आयकर अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा इलेक्टोरल ट्रस्ट के गठन की अनुमति देने के (2013) प्रयास किए गए, जिसमें अन्य कंपनियों द्वारा योगदान दिया जा सकता है, लेकिन इससे भी बहुत अधिक पारदर्शिता नहीं लाई जा सकी। चुनावी बॉन्ड योजना (2016) भी बहुत कारगर साबित नहीं हुई जबकि इसमें दानदाता की पहचान गुप्त होती है। इस तरह राजनीतिक वित्त एक नियम विहीन क्षेत्र है जिसमें पारदर्शिता की स्पष्ट कमी है। इसमें सुधार के लिए न तो राजनीतिक दलों और न ही संसद ने कोई आग्रह या रुचि दिखाई है। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि उच्चतम न्यायालय की यह आशा कभी पूरी होगी- "...कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो उसे यह छूट होनी चाहिए कि वह किसी अन्य व्यक्ति या राजनीतिक दल के साथ समानता के आधार पर चुनाव लड़ सके चाहे वह कितना भी समृद्ध हो। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को उसकी बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण दूसरों से अधिक लाभ नहीं मिलना चाहिए।"[5]

हालांकि, इस भावना के कारण राजनीतिक दलों के लिए सरकारी वित्त पोषण की मांग बढ़ गई है। इसके पक्ष में एक तर्कसंगत विचार यह भी है कि कॉरपोरेट तथा बड़े दानकर्ताओं और राजनीतिक दलों के बीच सांठगांठ को खत्म करने के लिए राजनीतिक दलों को, सरकारी वित्त पोषण किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को कमजोर तथा भ्रष्ट बनाने और राष्ट्रहित से समझौता करने के प्रयासों से बचा जा सके। राजनीतिक दलों को सरकारी वित्त पोषण, यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है लेकिन वहां भी इस बात की स्वीकार्यता है कि इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। एक अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक धन दिए जाने के बावजूद, इस क्षेत्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक मूलभूत समस्या बनी हुई है और लगता है कि सरकारी वित्त पोषण योजनाएं इस मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंची हैं।

विधि आयोगों ने अपराधीकरण और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र तथा उनके कोष में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए यह भी निष्कर्ष निकाला है कि पूर्ण रूप से सरकारी वित्तपोषण संभव नहीं है।[6] इन मुद्दों के संदर्भ में व्यापक कानून और इस पर राजनीतिक नेताओं की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का सरकारी वित्तपोषण, सार्वजनिक धन की सरासर बर्बादी होगी और इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हमारे देश में चुनाव परिदृश्य के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्र चुनाव के लिए धन बल की भूमिका, गंभीर आपराधिक मामलों वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या और असीमित चुनावी खर्च पर काबू पाने के लिए काफी कुछ सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन एक निर्विवाद तथ्य यह भी है कि चुनाव में अब भी पूरी तरह निष्पक्षता नहीं आ पाई है। जब तक हमारे कानून निर्माता नैतिकता की उच्च भावना के साथ सुधारात्मक कदम नहीं उठाते, तब तक इसमें पूरी तरह ईमानदारी का कोई भी दावा बेमानी होगा। ■

संदर्भ

1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, गौतम नगर, नई दिल्ली -110 049, लोकसभा चुनाव 2019, एनलिसिस ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, एजुकेशन, जेंडर एण्ड अदर डिटेल्स ऑफ विनर्स https://adrindia.org/content/lok-sabha-elections-2019
2. श्रीमती उमलेश यादव, विधायक उत्तरप्रदेश चुनाव 2007-2012 भारतीय निर्वाचन आयोग के 20 अक्टूबर, 2011 के आदेश द्वारा अयोग्य घोषित, देखें पृष्ठ 800-801 हाउ इंडिया वोट्स इलेक्शन लॉज, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर लेखक: वी.एस. रमा देवी और एस. के. मेहंदीरत्ता चौथा संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स।
3. विभिन्न देशों के राजनीतिक वित्त विनियमों के दस्तावेज देखें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) 'https://www.idea.int/'
4. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स - देखें उक्त ।
5. कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (1975) 3 एससीसी 646
6. भारतीय विधि आयोग की चौथी रिपोर्ट (1999), 255वीं रिपोर्ट (2015) पृष्ठ-57-58

सरकार में सूचना का आदान-प्रदान

सुमिता डावरा

जनता के साथ जानकारी का अधिकतम आदान-प्रदान वाले और जन कल्याण पर प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में शासन विधि में सुधार से सेवाएं प्रदान करने की दक्षता बढ़ती है और सुशासन सुनिश्चित होता है। किफायती, दक्ष और प्रभावी तरीके से अपनी विविध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, सरकार को सभी हितधारकों के साथ परामर्श तथा भागीदारी करनी चाहिए और उनके विचारों के साथ समावेशी होना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण सरकार को वांछित परिणाम देने और अधिकतम आबादी के हित में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

सभी हितधारकों का सहयोग

सरकारों को मिले जनादेश के तहत, विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना, उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकारें विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पानी तथा बिजली जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की आपूर्ति, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने, निवेश के अनुकूल कारोबारी माहौल जैसी सेवाएं प्रदान करने के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वे नीतियां बनाती हैं जो विकास, औद्योगिक विकास, आजीविका, मानव विकास, कुशल सेवा अंतरण, ग्रामीण विकास और पेय जल तथा स्वच्छता की व्यवस्था में योगदान को निर्देशित करती हैं।

अपनी विविध जिम्मेदारियां दक्ष और प्रभावी तरीके से निभाने के लिए सरकार को सभी हितधारकों के सहयोग से काम करने की जरूरत होती है। यह दृष्टिकोण सरकार को वांछित परिणाम देने में दक्ष बनाता है और अधिकतम आबादी के हित में कार्य करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, साक्षरता का उच्च स्तर, पढ़ने लिखने तथा गणितीय गणना के कौशल और वांछित मानकों की विश्लेषणात्मक दक्षता हासिल करने के वांछित उद्देश्यों के साथ एक प्रभावी शिक्षा नीति प्रदान करने के लिए, उक्त उद्देश्यों के तहत मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से सरकार को सबसे पहले जानकारी क्रमबद्ध करने और फिर साझा करने की आवश्यकता होगी।

एक बार जब ऐसा डेटा और साक्ष्य तैयार कर लिए जाएंगे तो इन्हें एक संस्थागत कार्रवाई तंत्र के भाग के रूप में स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा बोर्डों के साथ साझा करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रणाली की कमियों को समझने, मूल कारणों की पहचान करने और उसके बाद प्रणाली में सुधार के बारे में राय बनाने के लिए इस डेटा और साक्ष्यों को गंभीरता से समझने तथा इनका विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। इस कार्रवाई को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए समूह चर्चाएं कराने की जरूरत होती है।

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी को क्रमबद्ध किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और प्रस्तावित नीति (दस्तावेज) तैयार किया जाता है। इसे फिर से हितधारकों के बीच प्रचारित किया जाता है और इस बार प्रस्तावित शिक्षा नीति पर प्रतिक्रिया ली जाती है।

एक बार नीति का प्रारूप तैयार हो जाता है, इसे मंजूरी मिल जाती है और इसे लागू कर दिया जाता है तो संबंधित प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन की निगरानी और समय-समय पर इसके प्रभाव का आंकलन करता है। इसके प्रभावों और बीच-बीच में प्राधिकरण द्वारा यदि कोई सुधार किया गया हो तो उसके बारे में सभी हितधारकों को बताया जाता है।

यह जानकारी हितधारकों के साथ नियमित आधार पर साझा की जाती है। इन हितधारकों में शिक्षक, शिक्षाविद्, माता-पिता, शोधकर्ता, सरकारी अधिकारी, स्थानीय नेता, पेशेवर, उद्योग प्रतिनिधि और विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इनके साथ सूचना साझा करने से व्यवस्था में सहयोग, पारदर्शिता और परस्पर भरोसे का माहौल बनता है जिससे सुशासन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है।

व्यापक रूप से सूचना का सक्रिय प्रसार

सरकारें सुशासन के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में जागरूक रही हैं। मिसाल के तौर पर शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, स्कूल स्तर के मुख्य संकेतकों पर सरकार के नेतृत्व वाली शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसमें हर साल प्रत्येक स्कूल पर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है और जिला तथा राज्य-स्तरीय डेटा भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य सीखने में सुधार करने और जवाबदेही की मांग के लिए एक माध्यम के रूप में जानकारी का उपयोग करने के वास्ते हितधारकों की क्षमता बढ़ाना है। तेलंगाना में करीमनगर जिले के एक अध्ययन में पाया गया कि शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाने से संबंधित संकेतकों की नियमित निगरानी के माध्यम से सेवाओं को बेहतर बना कर कक्षा 10 के परिणाम में सुधार हुआ। जिले के स्कूलों में 2004 में, 10 वीं कक्षा में पास होने वालों का प्रतिशत 2001 के 66 प्रतिशत से बेहतर होकर 89 प्रतिशत हो गया।[1]

इसी तरह करीमनगर जिले में बाल श्रमिकों को, सूचना के आदान-प्रदान और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर शिक्षा की मुख्यधारा में लाया गया। दो साल (2001-03) की अवधि में, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 50,000 से कम होकर 1000[2] से भी कम हो गई थी। जिला प्रशासन ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के गांव-वार विवरण वाली पुस्तिकाओं के माध्यम से सूचना साझा करने की प्रक्रिया शुरू की और

लेखिका डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव है। ईमेल : dawras@ias.nic.in

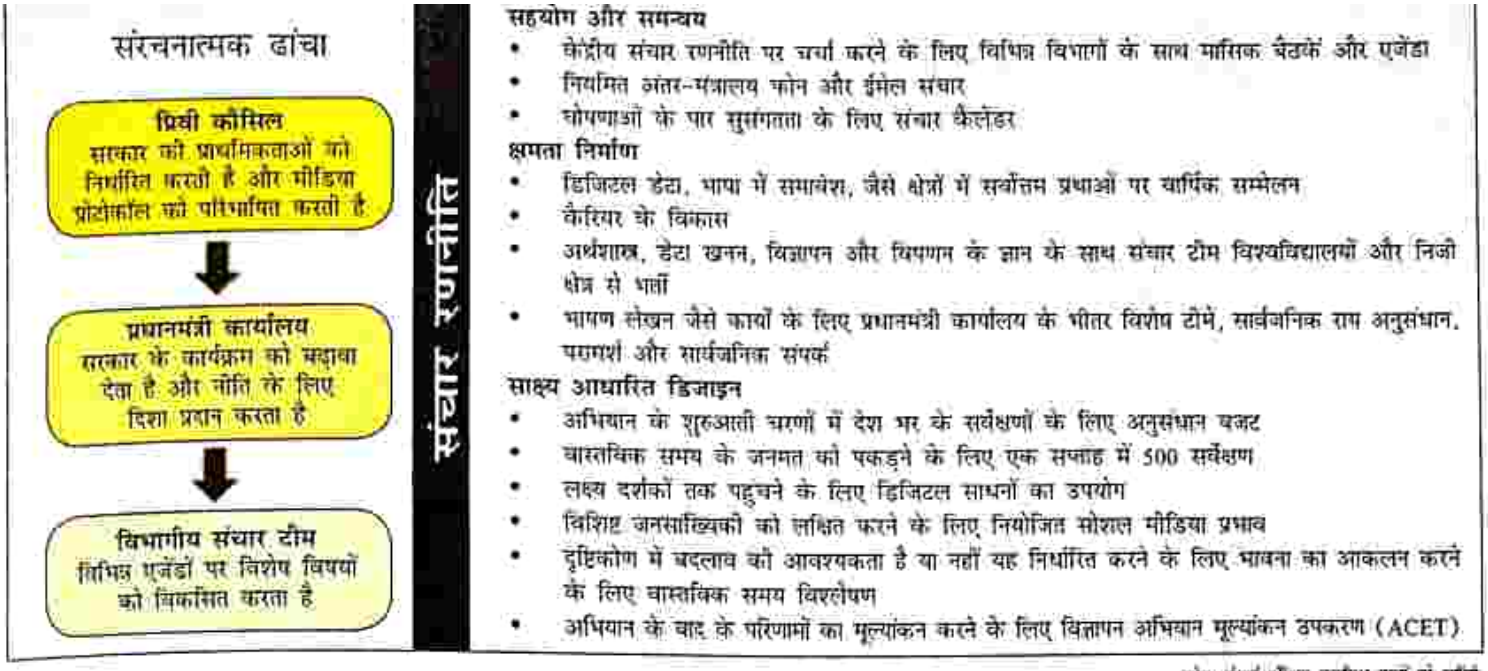

संरचनात्मक ढांचा

प्रिवी कौंसिल
सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है और मीडिया प्रोटोकॉल को परिभाषित करती है

↓

प्रधानमंत्री कार्यालय
सरकार के कार्यक्रम को बढ़ावा देता है और नीति के लिए दिशा प्रदान करता है

↓

विभागीय संचार टीम
विभिन्न एजेंडों पर विशेष विषयों को विकसित करता है

संचार रणनीति

सहयोग और समन्वय

- केंद्रीय संचार रणनीति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मासिक बैठकें और एजेंडा
- नियमित अंतर-मंत्रालय फोन और ईमेल संचार
- घोषणाओं के पार सुसंगतता के लिए संचार कैलेंडर

क्षमता निर्माण

- डिजिटल डेटा, भाषा में समावेश, जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर वार्षिक सम्मेलन
- कैरियर के विकास
- अर्थशास्त्र, डेटा खनन, विज्ञापन और विपणन के ज्ञान के साथ संचार टीम विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र से भर्ती
- भाषण लेखन जैसे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर विशेष टीमें, सार्वजनिक राय अनुसंधान, परामर्श और सार्वजनिक संपर्क

साक्ष्य आधारित डिजाइन

- अभियान के शुरुआती चरणों में देश भर के सर्वेक्षणों के लिए अनुसंधान बजट
- वास्तविक समय के जनमत को पकड़ने के लिए एक सप्ताह में 500 सर्वेक्षण
- लक्ष्य दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग
- विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करने के लिए नियोजित सोशल मीडिया प्रभाव
- दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए भावना का आकलन करने के लिए वास्तविक समय विश्लेषण
- अभियान के बाद के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए विज्ञापन अभियान मूल्यांकन उपकरण (ACET)

स्रोत: ईवाई इंडिया सहयोगी सूत्रों के जरिए

उस गांव के शिक्षकों, स्थानीय नेताओं, स्थानीय अधिकारियों तथा स्वयं सहायता समूहों के साथ साझा किया।

इससे जानकारी के आदान-प्रदान में पारदर्शिता आई, इसके बाद विभिन्न हितधारकों ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों तथा बाल श्रमिकों से संपर्क करके उन्हें स्कूल वापस आने के लिए प्रेरित किया। हितधारकों के साथ मिलकर पूर्ण निगरानी और भागीदारी सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिला प्रशासन ने बाल श्रम को कम से कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल किया। बाद में इस अध्ययन को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अभिसरण रणनीतियों पर एक अंतरराष्ट्रीय नियमावली में शामिल किया गया था।[3]

खामियां दूर करने और प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय

कोविड-19 महामारी के कारण भारत में लॉकडाउन की अवधि के दौरान सूचना को साझा करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय है। इसका उद्देश्य लॉकडाउन अवधि के दौरान वास्तविक समय में (1) आम लोगों की आवश्यकता वाली वस्तुओं के विनिर्माण, परिवहन तथा वितरण की स्थिति और (2) व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयों पर ध्यान देना था ताकि राज्य सरकारों के साथ समन्वय से इनका समाधान किया जा सके। इसके लिए फोन कॉल और ई-मेल के जरिये संबंधित कारोबारियों, राज्य सरकारों और मंत्रालयों के साथ बातचीत की गई।

मुद्दों के समाधान और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस जानकारी को संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझा किया गया। सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, शिकायतकर्ताओं से दैनिक रूप से ली गई निवारण सहित सभी प्रकार की जानकारी के माध्यम से वास्तविक समाधान की निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई। नियंत्रण कक्ष की अग्र-सक्रिय प्रतिक्रिया और वास्तविक समय प्रतिक्रिया निगरानी से नियंत्रण कक्ष-4 में आए प्रश्नों में से 73 प्रतिशत का समाधान सुनिश्चित किया गया।[4]

इन्वेस्ट इंडिया (डीपीआईआईटी के साथ काम करने वाली भारत की निवेश सुविधा राष्ट्रीय एजेंसी) ने एक बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म की स्थापना की, जिसे व्यवसायियों और निवेशकों को, कोविड-19 से निपटने के बारे में भारत की सक्रिय कार्रवाई के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक व्यापक माध्यम के रूप में तैयार किया गया। इस प्लेटफॉर्म ने संक्रमण की स्थिति पर निरंतर नजर रखी, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न पहल पर नवीनतम जानकारी प्रदान की, विशेष प्रावधानों तक पहुंच बनाई और ईमेल के माध्यम से व्यवसाय से संबंधित प्रश्नों को हल किया। यह प्रयास उन व्यवसायियों के लिए एक वरदान था जो महामारी के दौरान प्रमाणिक जानकारी और उचित मार्गदर्शन की तलाश में थे।

भारत में शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक और शक्तिशाली माध्यम सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम है। इसके प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकार का निकाय या राज्य के साधनों) से, जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर तीस दिनों के भीतर देना आवश्यक है। यदि मामला याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो सूचना 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार को व्यावहारिक बनाना है, ताकि सार्वजनिक प्राधिकरणों के बारे में जानकारी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, और प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।

विकास कार्यों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने और जन कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम के लिए हितधारकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सूचना के अधिकार के प्रावधानों के कई उदाहरण हैं।

प्रौद्योगिकी के जरिये पारदर्शिता

स्वचालित डेटा-गुणवत्ता रिपोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज प्लेटफॉर्म (सीओसी 2.0)[5] शुरू किया है। यह जहां भी आवश्यक होगा वहां जिला मजिस्ट्रेटों/ जिला कलेक्टरों को सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। मंत्रालयों (फोकस वाले क्षेत्रों

में) के साथ परामर्श से पहचान किए गए 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (81 डेटा पॉइंट) के आधार पर जिलों की एक रैंकिंग बनाई गई है। यह रैंकिंग 'गतिशील है और हर महीने किए गए वृद्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाती है। यह पोर्टल समयोचित निगरानी और जिलों को रैंकिंग प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन आंदोलन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए जिले का समग्र परिवर्तन करना है। इसमें स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके साथ ही सरकार का प्रस्ताव है कि प्रत्येक सरकारी संगठन को सार्वजनिक सेवाएं निर्दिष्ट तिथि से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करने के लिए एक उचित इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज (ईडीएस) बिल[6] को अधिनियमित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को, डिलिवरी चैनलों, निर्धारित समयसीमा और सेवा स्तरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रदान की जाने वाली नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान करनी होगी। प्रत्येक मंत्रालय अपनी तत्परता का आकलन करेगा और तदनुसार अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के लिए समयसीमा तय करेगा।

एक भू-संपदा सलाहकार के अनुसार, 2020 में भारत की वैश्विक संपदा पारदर्शिता इंडेक्स रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ और यह 34वें स्थान पर पहुंच गया है। नियामक सुधारों, बेहतर बाजार आंकड़ों और हरित क्षेत्र संबंधी पहलों के परिणामस्वरूप यह संभव हुआ है। रीयल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम 2016 (रेरा), जीएसटी, बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016, दिवाला तथा ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटीकरण से भी इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता आई है। कुछ वर्षों पहले तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं विद्यमान थी।

कर्नाटक सरकार ने अन्य राज्यों से प्रेरणा लेते हुए, अपने भूमि कार्यक्रम से किसानों को भूमि दस्तावेज प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया।[7] भूमि के रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत किया गया जिससे किसान अपनी जमीन के रिकॉर्ड को जल्द कियोस्क से प्राप्त कर सकें। भूमि रिकॉर्ड में भू-संपत्ति या पट्टे का प्रमाण होता है और इसलिए कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड के बारे में सूचना के आदान-प्रदान का इस तरीके से सुनिश्चित हुआ है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसी प्रकार, तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट 2019 का उद्देश्य पारदर्शिता के लिए व्यापक सुधार करना और भवन निर्माण तथा लेआउट स्वीकृति, संपत्ति कर आकलन, स्व-घोषणा-आधारित शत-प्रतिशत ऑनलाइन समयबद्ध भवन अनुमति प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।[8] इसे स्व-प्रमाणन पर आधारित तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूवल सिस्टम कहा जाता है। यह 600 वर्ग गज तक के लिए तत्काल और इससे बड़े आकार के भूखंड तथा लेआउट मंजूरियों के वास्ते 21 दिनों के भीतर स्वीकृति का वादा करता है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रयास

विश्व में सूचना और पारदर्शिता को सुशासन के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने वाली सरकारों में कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट एण्ड सोशल डेवलपमेंट कनाडा (ईएसडीसी)[9] है जो करदाताओं का धन खर्च करने के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं के साथ-साथ योजनाओं के परिणामों के, उम्मीदों पर खरा उतरने के बारे में जानकारी साझा की जाती है। कनाडा में अपनाई गई हितधारक सहयोग और संचार रणनीति निम्न प्रकार है।

इसी तरह, डेनमार्क (दुनिया के कम भ्रष्ट देशों में से एक) ने प्रभावी रूप से सार्वजनिक व्यय की जानकारी देने, ओपन डेटा सिस्टम के प्रति प्रतिबद्धता और यहां तक कि न्याय मंत्रालय[10] द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के लिए योजना का भी प्रावधान किया है। नॉर्वे में भी ओपन डेटा की संस्कृति है, जो खर्च, मूल्य निर्माण और बेहतर सेवाओं के लिए दक्षता बढ़ाने में योगदान देती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष निकालने के लिए, सरकारी कामकाज में सभी हितधारकों के बीच जानकारी साझा करना व्यापक रूप से सुशासन की दिशा में एक प्रमुख प्रयास माना जाता है। इससे प्रक्रिया में और अधिक प्रभावशीलता तथा दक्षता आती है। इस तरह के आदान-प्रदान और पारदर्शिता के महत्वपूर्ण कारक निम्नानुसार हैं:

1. **नियमितता:** नियोजन, संरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के स्तर पर जानकारी साझा करना और पूर्व-निर्धारित अंतराल पर अद्यतन जानकारी देना महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।
2. **हितधारक-संकेंद्रण:** सटीक संदेश, प्रारूप, भाषा, माध्यम और निर्गत के बारे में फैसला हितधारक के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. **निगरानी और मूल्यांकन:** सरकार की पहलों की निरंतर निगरानी, निर्धारित उद्देश्यों में सफलता/विफलता का मूल्यांकन और सभी हितधारकों के साथ समान संवाद करना विश्वास और पारदर्शिता लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी निर्णयों के प्रभाव का आकलन करना और उसे हितधारकों के साथ साझा करना सुशासन का एक अन्य अभिन्न घटक है। इस तरह की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के अनुभव का लाभ उठाते हुए आगे के कार्यों के लिए योजना बनानी चाहिए। सरकार की संचार पहलों के संदर्भ में भी इस कवायद को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है।

आगे के तरीके के लिए, इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक नोडल मंत्रालय की पहचान की जा सकती है और विभिन्न हितधारकों के साथ इस तरह के संवाद के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों का क्षमता निर्माण किया जा सकता है। ■

संदर्भ

1. 'Poor but Spirited in Karimnagar: Field Notes of a Civil Servant,' -सुमिता डावरा हार्पर कॉलिंस (इंडिया) [2012] द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 63.
2. 'Poor but Spirited in Karimnagar: Field Notes of a Civil Servant,' -सुमिता डावरा हार्पर कॉलिंस (इंडिया) [2012] द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 47
3. सिंधु परियोजना के लिए बाल श्रम उन्मूलन के लिए अभिसरण रणनीतियां ILO उप क्षेत्रीय कार्यालय (भारत) [2007]
4. DPIIT के साथ काम करने वाले YPs की रणनीति समूह, अप्रैल-जून 2020
5. http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/, (http://103.210.73.67/about
6. https://www.meity.gov.in/content/draft-electronic-delivery-services-bill-2011#:~:text=Therefore%2C%20it%20has%20been%20decided,from%20a%20cut%20off%20date
7. https://landrecords.karnataka.gov.in/service0/RTCHome.aspx
8. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13843/1/act_11_of_2019.pdf
9. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency.html
10. https://www.opengovpartnership.org/members/denmark/

कानून का शासन

एस एन त्रिपाठी
सपना चड्ढा

कानून ने विवेकपूर्ण और तर्कसंगत सामाजिक नियमों और मूल्यों के आधार पर समाज में एकजुटता की स्थापना की है। किसी संयुक्त समाज में कोई विरला ही ऐसा क्षेत्र होगा, जो कानून से अछूता हो। यह समाज में होने वाले लगभग प्रत्येक कार्यकलाप को किसी-न-किसी प्रकार से नियंत्रित करता है। कानून और कानूनी संस्थाएं, संस्थाओं के कामकाज में सुधार लाने, वृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने और समाज में न्याय प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

कानून स्वायत्त नहीं है; यह समाज में गहन रूप से सन्निहित है और समाज के मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है। समाज कानून को प्रभावित करता है, क्योंकि कानून उसी समाज का प्रतिबिम्ब मात्र होता है, जिसे वह नियंत्रित करता है। कानून सोशल इंजीनियरिंग और समाज के व्यवस्थित रूप से कामकाज करने का माध्यम है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन समाज में कानून के बुनियादी कार्य हैं। यह शांति, व्यवस्था, न्याय और समानता की स्थापना करता है। यहां तक कि समाज में कानून के अस्तित्व के कारण निर्बलतम वर्ग भी स्वयं को मजबूत महसूस करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कार चलाते समय, संपत्ति खरीदने या किराए पर लेने आदि के दौरान नियमित रूप से कानून का सामना करते हैं; उससे कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से और ज्यादातर परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, मिसाल के तौर पर खाने की क्रिया कानून से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं, उसका शुद्धता, स्वच्छता आदि के कठोर मानकों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है।

कानून परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। कानून और कानूनी संस्थाएं, संस्थाओं के कामकाज में सुधार लाने, वृद्धि, सामाजिक

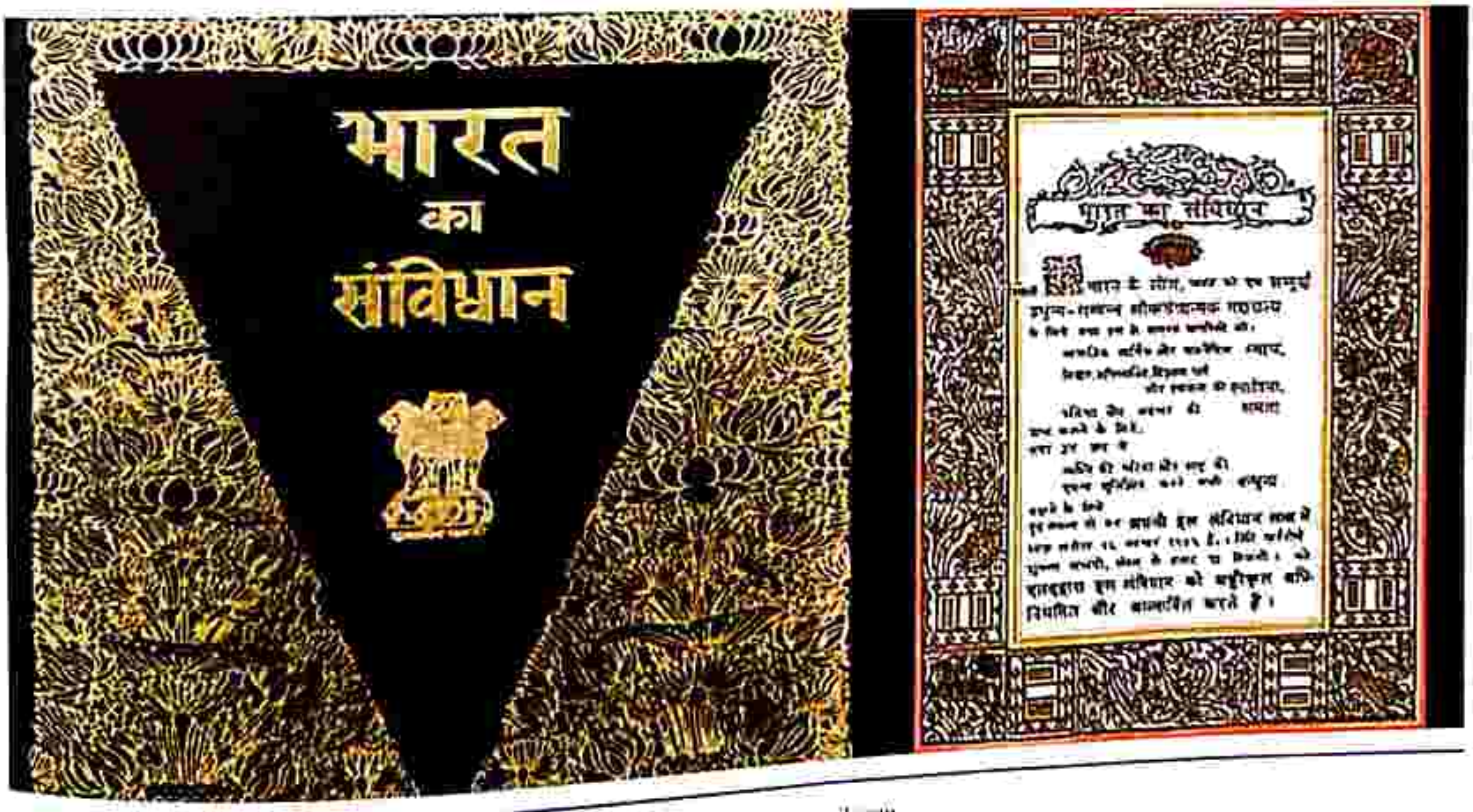

लेखक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में निदेशक हैं। ईमेल : snripathi@gmail.com
लेखिका उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर (प्रशासनिक एवं संवैधानिक कानून) हैं। ईमेल : sapnachadah@gmail.com

आधुनिक राष्ट्रों में, कानून गवर्नेंस या शासन की तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। सर्वप्रथम, कानून और कानूनी संस्थाओं के माध्यम से सरकारें व्यक्तियों और संगठनों के व्यवहार को नियंत्रित रखने का प्रयास करती हैं; ताकि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को परिणामों में बदला जा सके। दूसरा, कानून सत्ता को नियंत्रित रखने – अर्थात्, सरकार की ओर से कार्य करने वालों तथा सरकार और नागरिकों के बीच अधिकार और शक्ति की स्थापना और वितरण के माध्यम से सरकार के स्वरूप को परिभाषित करता है और तीसरा, कानून जवाबदेही को बढ़ावा देने, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और नियमों को बदलने के लिए आवश्यक मूलभूत और प्रक्रियात्मक साधन प्रदान करते हुए विवादों को नियंत्रित करने का भी काम करता है।

और आर्थिक विकास को बढ़ाने और समाज में न्याय प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये वे साधन हैं, जिनके माध्यम से नीतियों को संहिताबद्ध और कार्यान्वित किया जाता है और शक्तियों का आवंटन और विरोध किया जाता है। कानून, अन्य सामाजिक और राजनीतिक रणनीतियों के संयोजन में, व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुलेपन को बढ़ावा देने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आधुनिक राष्ट्रों में, कानून गवर्नेंस या शासन की तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। सर्वप्रथम, कानून और कानूनी संस्थाओं के माध्यम से सरकारें व्यक्तियों और संगठनों के व्यवहार को नियंत्रित रखने का प्रयास करती हैं; ताकि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को परिणामों में बदला जा सके। दूसरा, कानून सत्ता को नियंत्रित रखने – अर्थात्, सरकार की ओर से कार्य करने वालों तथा सरकार और नागरिकों के बीच अधिकार और शक्ति की स्थापना और वितरण के माध्यम से सरकार के स्वरूप को परिभाषित करता है और तीसरा, कानून जवाबदेही को बढ़ावा देने, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और नियमों को बदलने के लिए आवश्यक मूलभूत और प्रक्रियात्मक साधन प्रदान करते हुए विवादों को नियंत्रित करने का भी काम करता है।[1]

कानून शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून, शासन और विकास के बीच संबंध सामाजिक और वैयक्तिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कानून औपचारिक शासन साथ ही साथ अनौपचारिक शासन का भी महत्वपूर्ण भाग है तथा निजी, गैर सरकारी व्यवहार को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। सुशासन वह सर्वोच्च मूल्य है जो आम लोगों की अधिकतम भलाई करता है और इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक संगठनों की विश्वसनीयता उनकी धारणाओं और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसाधकता और कानून के शासन जैसे उन मूल्यों पर निर्भर करती है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं। ये सभी मूल्य व्यापक सुशासन संबंधी संस्थागत एजेंडे के प्रमुख संघटक हैं।[2] सुशासन में प्रभावी तंत्रों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अस्तित्व शामिल है, जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं और अपने मतभेदों को मिटाते हैं।

कानून का शासन अच्छे और नैतिक शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। इसका आशय अराजक अथवा अस्थिर

व्यवस्था के विपरीत कानून की सर्वश्रेष्ठता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकारें अधिकारी और नागरिक देश के कानून के अधीन हों और वे कानून के मुताबिक आचरण करें। कानून का शासन कानूनों, संस्थाओं, नियमों और सामुदायिक प्रतिबद्धता की स्थानयी प्रणाली है, जो जवाबदेही, पारदर्शिता, खुलापन और सुगम न्याय प्रदान करती है। कानूनी प्रारूप, विशेषकर मानवाधिकारों संबंधी कानूनों को न्यायपूर्ण होने चाहिए और उन्हें निष्पक्षता से लागू किया जाना चाहिए। किसी भी सामाजिक उद्यम का संचालन और प्रशासन अनिवार्य रूप से कानून के शासन द्वारा उपलब्ध प्रारूप के अंतर्गत सिद्ध होना चाहिए। यह सिद्धांत सार्वजनिक नियमों की व्यवस्था के प्रति वैयक्तिक और सामूहिक आज्ञाकारिता के दायित्वों को स्थापित करता है, जो इस बात की कानूनी सीमाओं का निर्धारण करती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। कानून की अवज्ञा पर

और आपराधिक आचरण की ओर ले जाती है।[3] निष्पक्ष कानूनी ढांचा कानून के शासन की पूर्व शर्तों में से एक है, जिसे निष्पक्ष रूप से और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की पूर्ण रक्षा की दृष्टि से लागू किया गया हो। पारदर्शिता के लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना मुक्त रूप से उपलब्ध हो तथा निर्णय इस प्रकार लिए और कार्यान्वित किए जाएं कि वे नियमों और कानूनों का पालन करते हों।

कानूनों, नियमों और विनियमों की शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून के अनुसार, लोकतांत्रिक समाज स्वयं को प्रकट कर सकता है ताकि राष्ट्र के मूल्यों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। हालांकि क्षेत्रों (आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, वित्तीय आदि) के विकास में सहायता के लिए कानून को जहां तक संभव हो सके मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में, सुरक्षा बहाल करने, लोक सेवाओं के प्रावधानों और लागू कानून के अनुसार व्यवहार सुनिश्चित करने आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए सरकारों का अस्तित्व कायम रहता है। यह संविधान ही है, जो सरकार की संरचना और कार्य तथा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को मोटे तौर पर परिभाषित करता है; जबकि सृजित किए गए विधायी ढांचे के जरिये स्थानीय स्तर पर व्यवस्था का संचालन आरंभ हो जाता है।

किसी भी देश में कानूनी ढांचा आर्थिक विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए भी होता है। कानूनी ढांचा गरीबों के जीवन को भी प्रभावित करता है और इस प्रकार गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यनीतियों का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा और समाज में अवसरों के वितरण में कानून न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज में और इस प्रकार सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन की संभावनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।[4] कानून ऐसे नियमों का प्रावधान करता है कि आर्थिक और सामाजिक नीतिगत परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और फर्मों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, सबसे पारंपरिक पद्धति कानून की प्रबल ताकत और प्रतिबंधों का डर है। यदि लोग अपने संकुचित स्वार्थ से प्रेरित हैं, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन देने की जगह दंड दिए जा सकते हैं। विनिर्माण कंपनियां पर्यावरणीय नियमों का पालन तभी करेंगी, यदि उन्हें नियमों का अनुपालन न करने की बदौलत होने वाले मुनाफे से अधिक राशि का जुर्माना लगने की

सार्वजनिक संगठनों की विश्वसनीयता उनकी धारणाओं और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसाधकता और कानून के शासन जैसे उन मूल्यों पर निर्भर करती है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं। ये सभी मूल्य व्यापक सुशासन संबंधी संस्थागत एजेंडे के प्रमुख संघटक हैं।

आशंका होगी।[5] हालांकि, कानून के निवारक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, कानून के उचित अनुपालन की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार के पास असरदार प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन संस्थाएं होनी चाहिए। अंत में, कानून का उल्लंघन करने के लिए मिलने वाला दंड अपराधी को हासिल होने वाले किसी भी मुनाफे से बदतर होना चाहिए। कानून एक दिशा-निर्देश सूचक (साइनपोस्टक), एक अभिव्यक्ति के रूप में भी काम करता है, जो लोगों को यह बताता है कि जब उनके पास अनेक विकल्प मौजूद हों, तो वे कैसे कार्य करें। कानून की अभिव्यक्ति की शक्ति अपने आप किसी नियम को परिवर्तित करने का काम नहीं करती, बल्कि नए कानून को स्वीकार कर चुके लोगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों, साथ ही साथ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने वाले वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला पर निर्भर करती है, जो नए नियम को समाविष्ट करने की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाती है।[6]

भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारी कार्रवाइयों से ऊपर है। यह कल्याणकारी राज्य और नैतिक शासन के सिद्धांतों की परिकल्पना करता है। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; स्थिति, अवसर और कानून के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की अधीनता और अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दमित और अन्य पिछड़ा वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के सिद्धांतों को

प्रतिष्ठापित करता है। ये सुशासन प्राप्त करने के मूल सिद्धांत हैं। संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की सूची है। ये मुख्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं जिनमें कानून या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा होता है, तो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को ऐसी कार्रवाइयों को अमान्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। सरकार को सौंपे गए संवैधानिक दायित्व पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। भाग III के कुछ मौलिक अधिकार 'सकारात्मक अधिकार' हैं, जिन्हें गैर-हस्तक्षेप के विपरीत सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग IV में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य एक समतामूलक सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करना है, जिसमें रोज़गार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक सबकी पहुंच हो, जो सतत विकास और सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के घटक हैं।

इसके अलावा, संविधान सरकार के अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 32, 226, 227, 136 के तहत विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान की मूलभूत या आवश्यक विशेषता है। यह लोकतंत्र और कानून का शासन बहाल रखने के लिए न्यायपालिका के हाथों में सबसे शक्तिशाली हथियार है।

सुशासन का तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से है, जो जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी है तथा उचित कानूनों और उपायों के निरुपण और उन्हें लागू करने के माध्यम से समाज में उभरती चुनौतियों का सामना करने में कारगर है। इनमें जवाबदेही के सख्त नियम शामिल हैं। शासकों को सामान्य तौर पर स्वीकृत नियमों के प्रति कड़ाई से बाध्य होना चाहिए और उन नियमों को लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।[7] अबंध नीति के परित्याग और 'कल्याणकारी' राज्य के आधुनिक दर्शन के आगमन के साथ, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रशासनिक अंग विविध प्रकार के व्यापक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन के विनियामक और प्रबंधकीय दोनों प्रकार के कार्यों में भारी वृद्धि हुई है। प्रशासन के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में टकराव होने लगा। प्रशासन के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि के कारण इसके नियंत्रण और विनियमन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रशासनिक कानून में प्रशासन द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शक्तियों की प्रकृति का प्रावधान है, जिसके आधार पर इन शक्तियों के उपयोग को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है और कानूनी अदालतों में प्रशासन के खिलाफ व्यक्ति के पास विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह कानून कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, नागरिकों की शिकायतों का आसानी से निवारण करने के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। लोकतांत्रिक ढांचे में सुशासन कुशल और प्रभावी प्रशासन से सम्बद्ध है। इसे नागरिक-हितैषी, नागरिकों की देखभाल करने वाला और एक उत्तरदायी प्रशासन माना जाता है।[8]

भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा और समाज में अवसरों के वितरण में कानून न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज में और इस प्रकार सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन की संभावनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

अधिकारी नीतियों को लागू करने के लिए और प्राधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कानून का उपयोग कैसे करते हैं, और नागरिक शक्ति के इस्तेमाल को चुनौती देने और उसका विरोध करने के लिए कानून का उपयोग कैसे करते हैं, इसी से कानूनी प्रणाली की प्रभावकारिता का निर्णय होता है, क्योंकि प्रतिबद्धता और समन्वय जवाबदेही को बढ़ावा देने के साधन हैं। ये कानूनी संस्थाएं जिनमें अदालतें और अभियोजक तथा पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियां; लोकपाल, लेखा परीक्षक और मानवाधिकार आयोग आदि जैसे सांविधिक अधिनिर्णय और निरीक्षण निकाय शामिल हैं, अधिकारियों पर नियंत्रण रखकर और नागरिकों के दावों के लिए मंच मुहैया करवा कर जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। नागरिकों द्वारा प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देने के लिए ये संस्थान जिस हद तक सुलभ और प्रभावी मंच हैं, उसी से प्रणाली की जवाबदेही और पारदर्शिता के स्तर का निर्धारण होता है।

भारत में, सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति में उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने अपनी छाप न छोड़ी हो, भले ही वह पर्यावरण, मानवाधिकारों, महिलाओं से न्याय, शिक्षा, अल्पसंख्यक, पुलिस सुधार, चुनाव और संसद की शक्तियों को सीमित करने की बात ही क्यों न हो। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधानों विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19 और 21 की विस्तृत व्याख्या करके 'नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक' के रूप में उभरा है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त अधिकारों

का प्रयोग करते हुए, यह अधिकारियों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पहुंचाई गई क्षति की भरपाई और उनके गलत कार्यों का मुआवजा देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। सभी कार्यस्थलों पर महिला-पुरुषों में समानता और यौन उत्पीड़न के मामले में बुनियादी मानवाधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिनियमित कानून के अभाव में; उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश और नियम जारी किए हैं, जिनका तब तक सख्ती से पालन किया जाएगा, जब तक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कानून नहीं बन जाता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून माना गया है। इस प्रकार, न्यायपालिका ने सामान्य रूप से कानून और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा यह सत्ता की बागडोर संभालने वालों को अनुशासित करने के जरिए परिवर्तन लाने और सुशासन सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरी है।

भारत में न्यायालयों को राजनीति और विकास के महत्वपूर्ण मामलों में मुख्यकर्ताओं के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। भारत में, कानूनी संस्थाएं – कम से कम उच्चतम न्यायालय के स्तर पर – विवाद का महत्वपूर्ण स्थल साबित हुई हैं, जिसमें जनहित याचिका और शक्ति के प्रमुख हितों और सामाजिक मानदंडों के प्रति हाई-प्रोफाइल कानूनी चुनौतियों की व्यापक परंपरा है।[7] जनहित याचिका (पीआईएल) जैसे यह परम्परा विकसित हुई है; पारंपरिक न्यायिक कार्यवाही से महत्वपूर्ण स्थान है। जनहित याचिका के साधन के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने वंचितों के अधिकारों को बरकरार रखा है और बाल और बंधुआ मजदूरी, पर्यावरणीय खतरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भेदभाव न होने आदि जैसे मुद्दों के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ाई है। स्थायी सार्वजनिक चिंता का एक अन्य क्षेत्र, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के तहत विचार किया है, वह सुशासन और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही है। विवेक का अनियमिततापूर्ण इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी समानांतर या कोलैटरल सरोकारों के लिए किया जाता है, तो सार्वजनिक पदों पर आसीन और सार्वजनिक शक्ति का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर से भरोसा उठ जाता है। उच्चतम न्यायालय ने केवल घोटाले को उजागर करने में ही नहीं, बल्कि ऐसे तथ्यों की खोज को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई है।[10]

इस प्रकार, कानून एक माध्यम है, जिसे समाज के समूहों और व्यक्तियों द्वारा अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने, उन्हें लागू करने और उनकी सुरक्षा करने के साधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। नियामक ढांचे और सभी प्रकार के कानून, शक्ति के इस्तेमाल की प्रकृति, उसके उपयोग और प्रभावों को तेजी से आकार दे रहे हैं। इसलिए, प्रभावी कानूनी प्रणाली और संस्थाओं के लिए ऐसी सरकार तैयार करना आवश्यक है, जो वैध, प्रभावी और नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से समर्थित हो। ■

संदर्भ

1. रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड लॉ, वर्ल्ड बैंक, 2017, पृष्ठ 83
2. जॉनसन, एलिसा हेरार्ड ; (2014)। द गुड गवर्नेंस एजेंडा फॉर सिविल सोसायटी, इन ब्रीफ नंबर 12 दिसम्बर, 2014, पृष्ठ 2
3. एनेलो, डॉ इर्ला; (2006)। एथिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर गुड गवर्नेंस इन द पब्लिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर, डब्ल्यू एच ओ, पृष्ठ 12
4. पैट्रिक मैकओस्ला न एंड जोसेफ आर. थोम, लॉ, गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट: प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन्स इन जे. फॉन्डेडज (1997) (सक.), गुड गवर्नमेंट एंड लॉ, द ब्रिटिश काउंसिल।
5. रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड लॉ, वर्ल्ड बैंक, 2017, पृष्ठ 86 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/9781464809507_Ch03.pdf?sequence=35&isAllowed=y
6. आइबिड पृष्ठ 89
7. गुड गवर्नेंस एंड फंडामेंटल राइट्स , 11 मई, 2018 http://www.legalservicesindia.com/law/article/965/10/Good-Governance-and-FundamentalRights#:~:text=realized%20that%20project%20success%20substantially,values%20of%20efficiency%2C%20non%2Dcorruptibility
8. आइबिड
9. रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड लॉ, वर्ल्ड बैंक, 2017, पृष्ठ 86
10. अशोक एच. देसाई एंड एस. मुरलीधर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन : पोटेंशियल एंड प्रॉब्लम्स इन। बी.एन. कृपाल एवं अन्य, सम्पादक, सुप्रीम बट नॉ इनफॉलिबल – एस्सेज इन ऑनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000, पृष्ठ 159.

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुडा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380001	079-26588669

नैतिकता की कसौटी पर मीडिया

जगदीश उपासने

पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के साथ छल करके मीडिया का कोई भी स्वरूप अधिक समय तक चल नहीं सकेगा, चाहे प्रौद्योगिकी तथा पूंजी का कितना ही बड़ा सहारा उसे क्यों ना हो। इसका कारण है कि समाज या सामान्य लोग सच और झूठ की परख करना जानते हैं। कदाचार करने वाला मीडिया समाज को कुछ समय के लिए भ्रम में ज़रूर डाल सकता है लेकिन, हमेशा के लिए उसे बरगला नहीं सकता।

ब्रिटेन में तब मैनचेस्टर से प्रकाशित होने वाले 'मैनचेस्टर गार्जियन' के एक सौ वर्ष पूरे होने पर अखबार के संपादक सी पी स्कॉट, जिन्हें स्वयं उस अखबार का संपादन करते हुए 50 वर्ष हो चुके थे, ने मई, 1921 में 'ए हन्ड्रेड ईयर्स' शीर्षक से एक आलेख लिखा जिसे आज भी विशेषकर समाचार पत्रों और मूलतः पत्रकारिता की स्वतंत्रता का पाथेय माना जाता है। इसे पत्रकारिता में नैतिक मानदंडों का भी निर्देशन माना जाता है। स्कॉट ने जो बातें अखबारों के लिए लिखीं और उन पर अमल किया वे किसी भी प्रकार के मीडिया के लिए कालातीत तथा समीचीन हैं। आखिर मीडिया की प्रौद्योगिकी, उपकरण, अवयव और प्रस्तुति का तरीका बदल जाने से उसके आधारभूत सिद्धांत नहीं बदल जाते। पत्रकारिता की आत्मा वही रहती है। स्कॉट ने लिखा, "अखबारों के दो पक्ष हैं। यह दूसरे किसी व्यवसाय की तरह एक व्यवसाय है, और इसे जीवित रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। (यानी राजस्व कमाना पड़ता है) लेकिन यह व्यवसाय से बढ़कर भी कुछ है: यह एक संस्थान है; यह पूरे समुदाय (समाज) के जीवन को प्रतिबिंबित तथा प्रभावित करता है; यह और भी व्यापक नियतियों को प्रभावित कर सकता है। यह और भी व्यापक नियतियों को प्रभावित कर सकता है। यह अपने स्वरूप में एक तरह से सरकार का उपकरण भी है। यह लोगों के मस्तिष्क तथा आत्मा से व्यवहार करता है। यह (लोगों को) शिक्षित कर सकता है, प्रेरित या उत्तेजित कर सकता है, या इसके उलट भी कर सकता है। इस तरह इसका नैतिक और साथ ही भौतिक अस्तित्व है और इसका चरित्र तथा प्रभाव इन दो शक्तियों के संतुलन से तय होता है- यह सिर्फ लाभ कमाने तथा पावर (शक्ति) हासिल करने को अपना पहला लक्ष्य बना सकता है या फिर यह स्वयं को अधिक बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार कर सकता है।" स्कॉट मानते थे कि "अखबार का एक नैतिक मानदंड तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको चाहे जो स्थिति या चरित्र हो, कम से कम उसकी अपनी आत्मा होनी चाहिए" पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंडों का बखान करते हुए स्कॉट ने लिखा, "...अखबार का प्राथमिक कर्तव्य समाचार इकट्ठा करना है। अपनी आत्मा के मरने का खतरा मानते हुए उसे यह पक्का करना चाहिए कि उसकी खबरें दूषित या दागी (tainted) न हों। वह अपने पाठकों के लिए चाहे जो (सामग्री) पेश करे, उसके (संपादकीय सामग्री के) प्रस्तुतिकरण में उज्ज्वल सत्य के साथ तिल मात्र भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसे अपना अभिमत (विचार) रखने की संपूर्ण स्वतंत्रता है लेकिन तथ्य पवित्र हैं। (अर्थात् उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए)। (खबरों के माध्यम से) 'प्रोपेगेंडा' घृणास्पद है। विरोधी की आवाज भी मित्र की आवाज की तरह सुनी जानी चाहिए। (अखबार का) अभिमत (विचार) भी स्वयं नियंत्रित ढंग से न्यायपूर्ण होना चाहिए। (यानी एकपक्षीय नहीं)। अखबार (खबरों के मामले में) ज्यादा खुलेपन का हिमायती हो सकता है, लेकिन उसका निष्पक्ष होना बेहतर है। (It is well to be frank, it is even better to be fair) स्कॉट का आशय यह था कि समाचार संपूर्ण तथ्यगतता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल के पूर्व कुलपति हैं। ईमेल: jupasane@gmail.com

के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, हरेक तथ्य की पुष्टि-पुनर्पुष्टि की जानी चाहिए, समाचारों में पक्षपात नहीं होना चाहिए, न ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जानी चाहिए। समाचारों में विचारों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, उसे समाचार तथा विचारों में अंतर करने के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

अगर आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महात्मा गांधी, तिलक, लाला लाजपतराय, वीर सावरकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे जैसे अनगिनत संपादक सेनानियों को पढ़ा हो तो आप पाएंगे कि सभी ने पत्रकारिता के यही मानदंड निरूपित किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इन महान सेनानियों ने सत्य लिखने के लिए न ब्रिटिश सरकार के दबाव की चिंता की, न उसके दमन की। पत्रकारिता के उच्च नैतिक आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने देश को जगाया, प्रेरित किया तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने को तैयार किया। महात्मा गांधी तो कहते थे कि "जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी असुरक्षित तथा असहाय नहीं हो सकता।"

देश में तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय नेता के रूप में अधिक पहचाने गये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मूलतः चिंतक, विचारक और लेखक थे, और जिन्होंने संपादक के तौर स्वयं का नाम दिए बगैर 40 के दशक में लखनऊ से हिंदी साप्ताहिक 'पाञ्चजन्य' तथा मासिक पत्रिका 'राष्ट्रधर्म' का संपादन किया और जिनके मार्गदर्शन में तब के युवा अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों पत्रों के संपादक के रूप में स्थापित हुए, लगभग ऐसी ही बातें पत्रकारिता के नैतिकता के बारे में लिखी हैं। बहुभाषी संवाद एजेंसी 'हिंदुस्थान समाचार' की 15वीं वर्षगांठ पर 1963 में प्रकाशित स्मारिका के लिए उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "समाचारों में वस्तुपरकता या तथ्यपरकता अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन समाचार उसके संकलनकर्ता के व्यक्तित्व से अछूता नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समाचार की निजी विशेषता होनी चाहिए... संवाददाता केवल द्रष्टा नहीं है, उसे खबरें उदासीन भाव से नहीं, जनरुचि की तुष्टि तथा जनरुचि के निर्माण को ध्यान में रखकर समाचार देने चाहिए... संवाद जगत में राजनेताओं तथा राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव भारतीय राष्ट्र जीवन की धारणा के प्रतिकूल है..."

दुनियाभर में पत्रकारिता की नैतिकता के मापदंड एक जैसे ही हैं:- ईमानदारी और निष्पक्षता; समाचारों में वस्तुपरकता (तथ्यपरकता); समाचार तथा विचार में अंतर; समाचार या सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए अनुचित और अनैतिक माध्यमों का प्रयोग नहीं करना; आलोचनापूर्ण अभिमत को उत्तर; संस्था के तौर या व्यक्तिगत रूप से समाचारों या अभिमत के लिए किसी से भी किसी तरह कोई लाभ नहीं लेना; पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित को सर्वोपरि रखना, न कि व्यक्तिगत या संस्थागत हित को; घृणा, विद्वेष, संघर्ष फैलाने वाले समाचारों-विचारों को प्रश्रय नहीं देना; निजता का सम्मान करना; सुरुचि तथा अच्छाई के सामान्य नियमों का पालन करना... यूरोप के देशों में जहां से पत्रकारिता शुरू हुई, सत्य के लिए सम्पूर्ण आग्रह और समाज के जानने के अधिकार को पत्रकारिता के आधारभूत सिद्धांत माना गया। पत्रकार समाज का प्रतिबिम्ब ही सम्मुख रखते हैं। वे जानकारी, विचार, अभिमत सबके सामने लाने की विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे तथ्यों को खोजते हैं, उद्घाटित करते हैं, दर्ज करते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों को विचार करने के लिए इनपुट देते हैं, मनोरंजन करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। वे समाज को जानकारी देते हैं और लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। पत्रकार जहां चाहे जिस माध्यम में काम करते हों, यह उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है। पत्रकार सत्ताओं की छानबीन करते हैं लेकिन इस पावर (शक्ति) का स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए उनकी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तय होने से समाज का उनमें विश्वास तथा भरोसा उत्पन्न होता है और बिना पत्रकार बिना समाज के भरोसे के दायित्व पूरा करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते। इसलिए ईमानदारी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान और उनकी रक्षा जैसे मूल्य यहां पत्रकारिता के लिए तय हुए थे। तथ्यों को (समाचारों को) ईमानदारी, सटीक ढंग से निष्पक्षता से और सभी जरूरी तथ्यों के खुलासे के साथ प्रकट करने को पत्रकारिता का मूल धर्म माना गया।

पत्रकार समाज का प्रतिबिम्ब ही सम्मुख रखते हैं। वे जानकारी, विचार, अभिमत सबके सामने लाने की विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे तथ्यों को खोजते हैं, उद्घाटित करते हैं, दर्ज करते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों को विचार करने के लिए इनपुट देते हैं, मनोरंजन करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। वे समाज को जानकारी देते हैं और लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं।

भारत में प्रेस काउन्सिल ऑफ़ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद्) ने भी लगभग इसी तरह के आदर्श पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए निश्चित कर रखे हैं। प्रेस काउन्सिल के दो मुख्य काम हैं: यह पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों की संरक्षक है और प्रेस की आज़ादी की ढाल भी। काउन्सिल ने 'पत्रकारिता के मानदंड' में कहा है कि पत्रकारिता का कार्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर लोगों को समाचार, विचार, अभिमत और जानकारी निष्पक्ष, सटीक, उचित, सौजन्य पूर्ण ढंग से देना है। लेकिन काउन्सिल सिर्फ़ प्रिंट मीडिया यानी अख़बारों-पत्रिकाओं के काम पर नज़र रख सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आते। इसके अलावा उसके पास दोष सिद्ध होने पर दंड देने का अधिकार भी नहीं है; काउन्सिल केवल निंदा कर सकती है या चेतावनी दे सकती है। इसीलिए कभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय समेत अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भाल चुके दिवंगत अरुण जेटली ने इसे संसद में "दंतहीन आश्चर्य" कहा था। यही कारण है कि 2003 में जब पहली बार चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ के मामले सामने आए तो काउन्सिल सम्बंधित अख़बारों को चेतावनी ही जारी कर पाई।

फिर ये मामले और भी बढ़ गए और देश के मूर्धन्य सम्पादक-पत्रकार इनको लेकर चिंता जताने लगे तो काउन्सिल ने भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) और धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 3 जुलाई, 2009 को एक दो सदस्यीय उपसमिति का गठन किया। इसके सदस्यों ने काउन्सिल के तत्कालीन अध्यक्ष जी एन रे समेत अन्य अधिकारियों के साथ नयी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात की। पेड न्यूज़ के प्रकरणों के परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने काउन्सिल को मिले विभिन्न पात्रों तथा ज्ञापनों का अध्ययन किया और उनको अपनी रिपोर्ट के परिशिष्टों के बतौर प्रस्तुत किया। इस दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट बहुत कड़ी थी और अनेक मीडिया घरानों को कठघरे में खड़ा करती थी। 'भुगतानशुदा खबरों का यह जंजाल इतना गहरा था कि समाचार और विज्ञापन के बीच का अंतर ही समाप्त हो गया। यह पाठकों से सरासर धोखा था और लोगों के जानने के अधिकार का हनन। इसके साथ यह आपकर कानून, कम्पनी कानून तथा जनप्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया, अनेक वरिष्ठ सम्पादकों और पत्रकार यूनियनों ने भी काउन्सिल को इसकी शिकायत की। उपसमिति ने अपनी सिफ़ारिशों में कुछ सुझाव दिए। मसलन, मीडिया संगठनों में ओमबड्समैन नियुक्त करना और आत्मनियंत्रण रखना। कुछ मीडिया संस्थाओं में ओमबड्समैन तो नियुक्त हो गए लेकिन आत्मनियंत्रण लगभग असम्भव ही था। यह भी सुझाव दिया गया कि सिविल सोसायटी चुनाव के समय निगरानी के काम में हाथ बंटा सकती है; नए नीति नियम बनाए जा सकते हैं; काउन्सिल चुनावों के वक्त पेड न्यूज़ की पड़ताल और निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियंत्रण कर सकती है। इनमें से कुछ सुझाव काउन्सिल तथा चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिए। लेकिन पेड न्यूज़ का सिलसिला बढ़ता ही गया। काउन्सिल में उपसमिति की बहुत सख्त और मीडिया संस्थाओं के नाम उल्लिखित करने वाली रिपोर्ट पर ख़ासा हंगामा हुआ तो काउन्सिल ने इस पर विचार करने के लिए एक 12 सदस्यीय प्रारूप समिति बना दी जिसने मूल रिपोर्ट को छोटा करते हुए सुझावों के रूप में मीडिया संस्थानों को चेतावनी जैसा कुछ जारी कर दिया। इस 13 पेज की रिपोर्ट में उपसमिति की परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाले समूचे हिस्से को तीन पैराग्राफ़ में संक्षिप्त किया गया इसके साथ कम्पनियों के साथ निजी समझौते करके उनके शेयर बिना दाम दिए लेने और उसके एवज़ में उन कंपनियों की खबरें तथा विज्ञापन छापने की प्राइवेट ट्रीटीज़ का मामला भी इसी समय उछाला जिस पर काउन्सिल की रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी ने यह मामला उसके ध्यान में लाया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता अलग से संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु वह सामान्य लोगों को मिली

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। इस पर हुई बहस का जवाब देते हुए डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर ने कहा था कि "प्रेस अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज से ही ग्रहण करती है क्योंकि प्रेस समाज का ही एक अंग है इसलिए उसकी स्वतंत्रता को अलग से चर्चित करने की जरूरत नहीं है।" मजेदार बात यह है कि जहां अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन प्रेस की आज़ादी अक्षुण्ण रखने के लिए हुआ, वहीं भारत के संविधान में पहला संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तथा संविधान सभा के सदस्य रहे कुछ अन्य नेताओं के अनुरोध पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया, यद्यपि डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर इसके पक्षधर नहीं थे। बाद में दो बार और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाए गए। इसलिए प्रेस की आज़ादी की आड़ में कदाचार को दबाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 19 में लगे अंकुश के अलावा प्रेस या मीडिया विभिन्न दूसरे कानूनों से भी बंधा हुआ है जिनका पालन ना करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।

लेकिन हक़ीक़त यह है कि मीडिया ने दुनिया भर में भारी निवेश, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, और महंगी टेक्नोलॉजी के आधार पर विस्तार और मीडिया के अतिरिक्त अन्य धंधों में अपना फैलाव करने के लिए पत्रकारिता के नीति-नियमों को ताक पर रख दिया है। अधिकतर बड़े मीडिया संगठन शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध है इसलिए लाभ कमाना एक प्रमुख कर्तव्य बन गया है। अपने जैसे दूसरे मीडिया से हमेशा आगे रहने की होड़ इस कदर है कि प्रतिस्पर्धी को नीचे गिराने, बदनाम करने और उसके पाठक, दर्शक या श्रोता किसी भी तरह छीन लेने की जुगत लगायी जाती है। 2002 में अमेरिका में रूपर्टमर्डोक के न्यूज़ कॉरपोरेशन पर पांच बड़ी पे-टीवी कंपनियों ने मुक़दमे दर्ज किए कि उसने उनके चैनल्स को नुक़सान पहुंचाने के लिए 'गंदे तरीक़े' इस्तेमाल किए। वेब-दस्युओं, जासूसों, हैकर्ज़, पूर्व पुलिसवालों को लगाया गया ताकि इन पांच चैनल्स का धंधा ठप किया जा सके। बीबीसी समेत अनेक बड़े मीडिया संगठनों में काम कर चुके पत्रकार नीलशेनॉवेथ ने इस कांड पर 'Murdoch's Pirates' नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। ब्रिटेन में न्यूज़ कॉरपोरेशन के अखबार 'न्यूज़ ऑफ़ द वर्ल्ड' द्वारा एक गुमशुदा किशोरी की फ़ोन हैक करने के घटना का ऐसा बवाल मचा कि मर्डोक को वह अख़बार ही बंद करना पड़ा, उस पर मुक़दमे दर्ज हुए सो अलग। यूरोप तथा अमेरिका में मीडिया के नैतिक मूल्यों के तार-तार होने के अनेक प्रकरण सामने आते गए। फ़ेक न्यूज़ हो या पक्षपाती राजनीतिक रिपोर्ट, जिस तरह से अमेरिका के प्रमुख मीडिया संगठनों ने डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उनके अब तक के समूचे कार्यकाल तक उनके खिलाफ़ राजनीतिक अभियान छेड़ा उससे प्रेस की निष्पक्षता पाताल में चली गयी। भारत में भी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मीडिया के एक वर्ग ने जिस तरह से विपक्षी दल की भूमिका स्वयं ओढ़ ली है वह कोई शुभ लक्षण नहीं है। अब तो भारत ही नहीं, सारी दुनिया में मीडिया की समूची सामग्री समाचार, विचार, विज्ञापन, एजेंडा, प्रॉपगैंडा, लॉबीइंग इत्यादि का घालमेल होती है। मिथ्या समाचार, अर्धसत्य, एकपक्षीय विचार, अपने विचार से इतर समाचार या अभिमत के प्रकाशन-प्रसारण को ब्लैक आउट करना, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर फ़र्ज़ी नैरेटिव खड़ा करना, व्यक्ति या संस्था विशेष के विरुद्ध झूठे या अतिरंजित अभियान चलाना-इन सभी बातों को हम भारत के मीडिया के एक वर्ग में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं।

हक़ीक़त यह है कि मीडिया ने दुनिया भर में भारी निवेश, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, और महंगी टेक्नोलॉजी के आधार पर विस्तार और मीडिया के अतिरिक्त अन्य धंधों में अपना फैलाव करने के लिए पत्रकारिता के नीति-नियमों को ताक पर रख दिया है। अधिकतर बड़े मीडिया संगठन शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध है इसलिए लाभ कमाना एक प्रमुख कर्तव्य बन गया है। अपने जैसे दूसरे मीडिया से हमेशा आगे रहने की होड़ इस कद्र है कि प्रतिस्पर्धी को नीचे गिराने, बदनाम करने और उसके पाठक, दर्शक या श्रोता किसी भी तरह छीन लेने की जुगत लगायी जाती है।

मीडिया का कर्तव्य है जनहित के लिए काम करना और अपनी सामग्री यानी समाचारों, अभिमतों, विचारों, टिप्पणियों वगैरह के ज़रिए समाज को अपना अभिमत बनाने में मदद देना। लेकिन अधिकतर मीडिया समाज पर अपने विचार और एजेंडा थोपने में जुटा दिखता है। यद्यपि समाज में विभिन्न स्तरों पर चलने वाला विमर्श निहित स्वार्थों की पूर्ति में लगे इस मीडिया के रिवायत या कहानी अथवा उसके चलाए 'प्रवचन' से अधिकतर दफ़ा इत्तिफ़ाक़ नहीं रखता, ना ही उससे सहमत होता है। इसलिए मीडिया की साख में निरंतर क्षरण होता हुआ हम देख सकते हैं।

डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के विस्तार तथा बढ़ते प्रयोग और प्रभाव ने पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों के लिए एक नया और भयंकर संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि डिजिटल मीडिया ने प्रेस या कि मीडिया का लोकतंत्रीकरण कर दिया है, मीडिया पर लगाए गए सभी कृत्रिम बंधन तोड़ दिए हैं, वेब संवाद की अपरिमित सम्भावनाओं के द्वार खोल दिए हैं; लेकिन इसने नैतिक मानदंडों के लिए नयी चुनौती भी खड़ी कर दी है। भविष्य की पत्रकारिता और जनसंचार के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या मात्र आत्मनियंत्रण से ऑनलाइन मीडिया सहजता से चल पाएगा? कौन से और कैसे कानून उसे पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा लांघने नहीं देंगे; और क्या कानूनों से अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हनन नहीं होगा? इस सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं जिनके उत्तर संभवतः उन प्रश्नों के सामने आने पर ही खोजे जा सकेंगे। लेकिन एक बात तय है कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के साथ छल करके मीडिया का कोई भी स्वरूप अधिक समय तक चल नहीं सकेगा, चाहे प्रौद्योगिकी तथा पूंजी का कितना ही बड़ा सहारा उसे क्यों ना हो। इसका कारण है कि समाज या सामान्य लोग सच और झूठ की परख करना जानते हैं। कदाचार करने वाला मीडिया समाज को कुछ समय के लिए भ्रम में ज़रूर डाल सकता है लेकिन, हमेशा के लिए उसे बरगला नहीं सकता। ■

मीडिया संचालन : लोकाचार, मूल्य और निष्ठा

बिस्वजीत दास
रिधि कक्कड़

यदि मीडिया को विकास में भागीदार बनने के साथ-साथ शासन प्रक्रिया में माध्यम बनना है, तो जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें नयापन लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह मान्यताओं का एक संतुलित ढांचा विकसित कर सकता है और उसे व्यवहार में ला सकता है, जिसे सार्वजनिक मान्यता या मूल्य माना जा सकता है। जन धारणा को सार्वजनिक मान्यता में बदलते समय यदि 'मीडिया प्रशासन' और 'मध्यस्थता शासन' दोनों सार्वजनिक जवाबदेही को फिर से ताजा करते हैं तो सत्यनिष्ठा हासिल की जा सकती है।

पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तन और सुधार तथा दुनिया भर में इनका कार्यान्वयन देखा गया है। इन परिवर्तनों के अलग-अलग प्रक्षेप पथ हो सकते हैं क्योंकि सरकारों के अलग-अलग तरीके हैं, और निकटवर्ती प्रगति संबंधी हस्तक्षेप मौजूद हैं। लेकिन कुल मिलाकर, ऐसी रणनीतियों में बदलाव देखे जा सकते हैं जिन्होंने सरकारों को सेवा वितरण और शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विविध कर्ताओं और हितधारकों को प्रोत्साहित करने और आमंत्रित करने में सक्षम बनाया है। यह जिम्मेदारियां उठाने और सफलता का श्रेय साझा करने के लिए है और इसे शासन प्रक्रिया में विफलताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

शासन प्रणाली की नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय मीडिया क्षेत्र को पिछले चार दशकों के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने पड़े हैं। 24X7 न्यूज साइकल (समाचार चक्र), टेलीविजन चैनलों, समाचारपत्रों (अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों), सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था के उदय, मोबाइल टेलीफोनी और डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं के आगे बढ़ने के साथ मीडिया प्रस्तुति और उसके वितरण को अधिक प्रतिस्पर्धी और अतिसंवेदनशील अर्थव्यवस्था में बदल दिया है जिसके कारण भारत में मीडिया का परिदृश्य बदल गया है। इस बढ़ते मीडिया परिदृश्य के बीच, पार्थसारथी (2018) ने नियंत्रित, संगठनात्मक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को पहचानने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जिसके तहत मीडिया अर्थव्यवस्था

बिस्वजीत दास सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में प्रोफेसर और संस्थापक निदेशक हैं। ईमेल: biswas.das@gmail.com
रिधि कक्कड़ सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में प्रोजेक्ट्स फैलो, यूजीसी-सीपीईपीए हैं। ईमेल: kakkarridhi@gmail.com

उभरी है और दृढ़ता और निर्णय लेने के साथ उसका गठन किया गया है। उस पेचीदा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिसमें मीडिया अर्थव्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, हम मानते हैं कि यह प्रयोजन न तो अनिवार्य रूप से स्पष्ट है, और न ही किसी तरह की ताकतों/कर्ताओं द्वारा थोपा गया है। साथ ही, हालांकि, मीडिया अर्थव्यवस्था के कार्यक्षम संदर्भ में वाद-विवाद करके, बातचीत लायक बनाकर या आकस्मिक तरीके से रोजाना कार्य किया जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे सतर्क कार्य के माध्यम से स्थापित किया गया है। ये कार्य निश्चित रूप से कर्ताओं (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) की अनिवार्यता को दर्शाते हैं, इस क्षेत्र की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के भीतर विशेष हितों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, यह शासन व्यवस्था दोनों का परिणाम है, शक्ति का विन्यास और औपचारिक और अनौपचारिक नियमों का विकसित हो रहा ढांचा।

हालांकि पिछले कुछ दशकों में सरकार, मीडिया और उनके समूह के क्षेत्रों में गहरा विकास हुआ है; तब भी हम उनकी परिस्थितियों की प्रकृति के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसके अलावा, हमें इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि 'मीडिया' और 'सरकार' के बीच की बातचीत बाद में सार्वजनिक नीति, मीडिया उद्योग, सोशल मीडिया की विशेषता और महत्वपूर्ण लेकिन अंतिम शासन प्रक्रियाओं को कैसे आकार दे रही है। वर्तमान में हमारे पास शासन में कर्ताओं/विशेषज्ञों के व्यवहार पर संचार-मीडिया के प्रभाव को दर्शाने के लिए नौकरशाही की रणनीतियों का बिखरा हुआ लेखा-जोखा है।

जैसा कि दास और पार्थसारथी (2011) ने टिप्पणी की है कि 1991 के बाद से भारत में मीडिया नीति में बदलाव आया है। तब से यह न तो आवश्यक ज्ञान के सृजन से निर्देशित है और न ही बाजार से संबंधित संस्थानों द्वारा। इसके बजाय, यह सरकार के उस हिस्से पर एक नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं जिसका श्रेष्ठतम वर्णन रणनीतिक उपेक्षा के रूप में किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, मीडिया और संचार उद्योग में नीति-निर्माण की संरचना में सभी स्तरों पर व्यापक विखंडन है। मीडिया के संबंध में नीतियां बनाने का काम सरकार और उद्योग के बाहर स्वतंत्र स्थानों से पर्याप्त जानकारी के बिना किया जा रहा है। पिछले एक दशक में विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया नीति को प्रतिपादित करने अथवा समीक्षा पक्ष को स्थापित करने के लिए गठित विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक-निजी समितियों के सदस्यों पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस तरह के परामर्श और/या निर्णय लेने वाले निकायों का गठन आमतौर पर संबंधित मंत्रालयों, व्यापार संगठनों के प्रमुखों और मीडिया फर्मों के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसमें नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व कम ही देखने को मिलता है (जब तक कि समिति स्पष्ट रूप से 'सामाजिक' क्षेत्र से संबंधित नहीं है), और शैक्षणिक समुदाय अपनी अनुपस्थिति से लगातार विशिष्ट बना हुआ है। स्वतंत्र स्थानों से परियोजनाओं के औचित्य, प्रासंगिकता और प्रभाव को मापने या मूल्यांकन करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी है। ऐसे मामलों में जहां नीति मूल्यांकन प्रक्रियाएं आरंभ की गई हैं, हालांकि ये, बहुत कम पारदर्शी होती हैं, सुविचारित जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित और सुसंगत तंत्र की कमी है।

खराब पूर्व-नीति और अनुशंसा कार्य विधि होने के अनेक कारण हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहरी लोगों से परामर्श करने का असल मसविदा बिना सोचे या अनौपचारिक बनाया गया है। असल मसविदा सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण, बाहरी आवाजें प्रमुखता से सुनाई देती हैं- जिनके पास अपने पक्ष का समर्थन करने के अन्य तरीकों के लिए शक्तिशाली साधन या अन्य रास्ते हैं। यह बदले में, इस धारणा को मजबूत करता है कि ये बाहरी लोग निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, जब विशेषज्ञता प्राप्त पेशेवर नीति-निर्माण में शामिल होते हैं, तो उनसे आमतौर पर एक ही मुद्दे

पर जानकारी लेने के लिए निवेदन किया जाता है; कभी-कभार ही उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दुविधा का मुकाबला करने के लिए बातचीत को जारी रखें या फिर अलग-अलग सुझावों पर आपत्तियों का जवाब दें। महत्वपूर्ण लेकिन आखिर में यह कहना जरूरी है कि नीतिगत उपायों के साथ जुड़े हितधारकों की कोई सुव्यवस्थित मैपिंग नहीं है, जिससे इस धारणा को बल मिलता है कि हर नीति की घोषणा के केवल विरोधी होते हैं। यह जितना सत्य है, उतने ही इसके गंभीर परिणाम यह हैं कि बिना सोचे समझे असर डालने वाली निष्पक्ष क्षमताओं के बीच नीतिगत विकल्पों को अलग-अलग नजरियों और संभावनाओं के बिना गौर किया जा रहा है। (देखें: दास और पार्थसारथी, 2011)

शासन प्रणाली विस्तार को उस हद तक प्रतिबिंबित करती है जहां कर्ताओं (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) ने फैलते हुए मीडिया संस्थानों ने उनसे मेल खाती 'मान्यताओं' को आत्मसात किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार के एजेंडे में क्या है, योजनाओं और नीतियों को प्रमुख मीडिया संस्थानों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अमल में लाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, 1990 के बाद के सार्वजनिक संस्थानों ने मान्यताओं में अचानक बदलाव अनुभव किया, क्योंकि थोड़े ही समय में निजी/बाजार क्षेत्र से मिले सुझावों को सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू कर दिया गया है। अचानक ही सरकारी संगठनों ने निजी उद्यम की तरह काम करने के लिए परिवर्तन करके नयापन लाना शुरू कर दिया है; इस प्रकार कामकाज की पैदाइश, लाभप्रदता और सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर जोर देते हुए काम करने की 'नई-प्रबंधन' शैली को अपनाकर सरकार से शासन की तरफ बदलाव की ओर इशारा करते हैं। 2000 के शुरुआती दिनों में और विशेष रूप से इंटरनेट के आगमन के बाद, उम्मीद थी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति होगी। मीडिया मंचों की आसान उपलब्धता से नीति निर्धारण प्रक्रियाओं के अंतराल को भरा जा सकेगा, विचार-विमर्श के लिए स्थान बनेगा और जनता के नेटवर्क को बढ़ावा देते हुए सहभागी शासन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही शासन-प्रबंधों को सरल और कारगर बनाकर तथा पारदर्शिता और समान भागीदारी की कमी के कारण पूर्व में नीति निर्धारण में जिन नुकसानों का सामना किया गया था उनके लिए बदले में व्यवस्था की जा सकेगी।

उक्त अपेक्षाओं के विपरीत, 'अभिव्यक्तिशील प्रचुरता' ने शासन प्रणालियों और उनकी जनता के बीच आभासी विरोधाभास के रूप में सामने आया है। 'अभिव्यक्तिशील प्रचुरता' ने न तो उन लोगों के 'मान्यताओं' पर सवाल उठाया है जो संस्थानों पर शासन करेंगे, और न ही उसने शासी संस्थानों को चुनौती देने में उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में जनता के लिए 'मान्यताओं' को जोड़ा है। इसलिए, आलोचकों ने उपयुक्त रूप से सुझाव दिया है कि प्रभावी शासन बनाने में मीडिया बुरी तरह से विफल रहा है। निर्णय लेने में परेशानी, तात्कालिकता के नुकसान की राजनीति के कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। शासन के मामलों में मीडिया के हस्तक्षेप की शैली से पता चलता है कि रचनात्मक विचार-विमर्श आयोजित करने के लिए 'सूचना' का उपयोग करने के बजाय, मीडिया कथित रूप से इसका प्रशासन प्रक्रियाओं में दुरुपयोग के साधन के रूप में उपयोग कर रहा है ताकि एजेंडा पर अपना नियंत्रण बनाकर रख सके।

यह एक सिद्ध तथ्य है कि शासन एक आसान मामला नहीं है, समाज के भीतर निहित मतभेद इसे और अधिक जटिल बनाते हैं। इसलिए, संवाद को सरल और कारगर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया की उपलब्धता को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन, सूचना के सुचारू प्रवाह की अनुमति देने के बजाय, मौजूदा संवाद अंतराल को राजनीतिक और प्रशासनिक विशिष्ट वर्ग के बराबर की स्थिति में दृढ़तापूर्वक सामने रखने के लिए उसका एक अवसर के रूप में लाभ उठाया जा रहा है।

इससे पहले, शासन से पहले के युग में, सार्वजनिक संस्थानों के 'मान्यताओं' को सरकारी नेतृत्व द्वारा काम करने की पक्षपात पूर्ण राजनीति और वैचारिक शैली से समझौता करने के लिए बनाया जा रहा था; अब मीडियाकर्मियों की तात्कालिकता से मान्यता ढांचा प्रभावित हो रहा है।

मान्यताओं के बारे में अक्सर हमारे पास कहने के लिए कुछ न कुछ रहता है। साथ ही, मान्यताओं के साथ, सत्यनिष्ठा की अवधारणा उत्पन्न होती है, जिसकी सरलतम धारणा का अभिप्राय है सुसंगत होने और मान्यताओं के प्रति असम्बद्धता जाहिर करना। अधिकांश स्थितियों में, मान्यताओं का ठीक से वर्णन नहीं किया जाता है, और न ही हमें सामान्य रूप से या विशेष रूप से उनके तात्पर्य को लेकर निश्चितता है। इस प्रकार, इस बात की संभावनाएं अधिक होती हैं कि लोग मान्यताओं के एक विशेष ढांचे को लागू करते समय व्याख्याओं और कार्यों को समझते हों या नहीं समझते हों। इसलिए, अवधारणा अस्पष्ट है और अक्सर सरकारों, संगठनों, संस्थाओं आदि द्वारा इसे सही समझ लिया जाता है, जिसकी वास्तविक दांव और मान्यताओं से जुड़े परिणामों के बिना व्याख्या की जाती है।

यहां इस समस्या का हल केवल सरकारों, संगठनों, संस्थानों आदि के लिए एक उपयुक्त मान्यता ढांचे की पहचान करके और बाद में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अपनाने से नहीं निकल सकेगा। इसके अलावा, न ही किसी भी तरह एजेंडा एक कठोर मान्यता जांच सूची तैयार करने का है, और इस तरह उनका दृढ़ता से पालन करना और सत्यवचनों की तरह उनका समर्थन करना है। मान्यताओं को बनाए रखने का उद्देश्य सरकारों, संगठनों, संस्थानों आदि के बीच आत्मार्थक कठोरता को प्रोत्साहित करना है, ताकि इन

प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवरों, हितधारकों, जनता आदि को मान्यता विचार-विमर्श के लिए साझा मंचों पर लाया जा सके और उन्हें प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

मीडिया संचालन की सभी बारीकियों को संक्षेप में बता पाना यहां असंभव है, साथ ही साथ विषय क्षेत्र से परे होगा। हालांकि हमने अभी तक इस बात पर पर्याप्त चर्चा कर ली है कि समकालीन संचालन मीडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों और मान्यताओं को किस प्रकार पूरी तरह से कैसे अपना रहा है। मीडिया कर्मी मीडिया के दबाव के सामने झुक रहे हैं और मीडिया को प्रभावी तरीके से चलाने की बजाय मीडिया द्वारा निर्देशित नियमित कार्यक्रम को अपना रहे हैं। इस परिदृश्य में, यदि शासन की जवाबदेही संबंधी उपायों के लिए आवश्यक 'मान्यताओं' को सक्षम बनाने के लिए माहौल अनुकूल नहीं है तो 'शासन में सत्यनिष्ठा' की ऊंची उम्मीदें रखना निरर्थक है। केवल शासन प्रणाली का होना ही पर्याप्त नहीं है। शासन प्रणाली में सुधार निष्क्रिय बयानबाजी में बदल जाएगा, यदि अन्य वांछित शर्तों को ठीक नहीं किया गया है, और मीडिया शासन प्रणाली, मूलभूत नहीं है, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा नहीं की जा सकती है।

जैसा कि प्राइस एंड वहुंलस्ट (2008, पी.4) सुझाव देते हैं, 'मीडिया' और 'शासन' के बीच की समझ को तीन अर्थों (जो कि उद्धृत करने लायक हैं) द्वारा खोजा जा सकता है- "...मीडिया के माध्यम से शासन, मीडिया का शासन, मीडिया द्वारा प्रभावित शासन..."

ये तीन अर्थ स्व-व्याख्यात्मक हैं- "...मीडिया के माध्यम से शासन" का अर्थ है सरकार के मीडिया हथियारों जैसे पीआईबी, डीएवीपी, प्रसार भारती (स्वायत्तशासी निकाय) आदि का उपयोग रणनीतिक रूप से वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने और निर्णय लेने को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण लाया जा सके। "...मीडिया का शासन" देश में मीडिया कानून, नीति, नियंत्रण और स्व-नियंत्रण के बड़े प्रश्नों को शामिल करेगा। अंत में, "...मीडिया द्वारा प्रभावित शासन" पहली नजर में कई पेचीदा और जटिल व्याख्याओं को सामने रखता है। लेकिन, इन सभी व्याख्याओं का उद्देश्य रचनात्मक और संचार माध्यमों से अधिक कुछ भी नहीं है।

लेकिन, मीडिया शासन प्रणाली की व्याख्याओं में क्या कमी रही है या उनकी उपेक्षा की गई है, ये 'मान्यताओं' के सवाल हैं। यदि कोई इन स्पष्टीकरणों में गहराई से जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये स्पष्टीकरण अलग-अलग 'मान्यताओं' को बनाए रखते हैं, इस प्रकार विचारों में अति भिन्नता के लिए आंशिक अंतर का सुझाव देते हैं, जिससे मान्यता संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप, कुछ 'मान्यताएं' अन्य पर हावी होती हैं और कुछ का अन्य की तुलना में अधिक प्रभुत्व होता है; जबकि कुछ को पक्षपातपूर्ण हितों को पूरा करने के लिए अनुचित लाभ दिया जाता है। 'मान्यताओं' के इस लेन-देन में, जहां कुछ मान्यताएं शेष से कम हैं, कोई भी शासन की प्रक्रियाओं में सर्वसम्मति प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है और न ही निर्णय लेने के दौरान युक्तिपूर्ण दुविधा की उम्मीद कर सकता है।

पार्थसारथी (2018) ने नियंत्रित, संगठनात्मक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को पहचानने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जिसके तहत मीडिया अर्थव्यवस्था उभरी है और दृढ़ता और निर्णय लेने के साथ उसका गठन किया गया है। उस पेचीदा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिसमें मीडिया अर्थव्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, हम मानते हैं कि यह प्रयोजन न तो अनिवार्य रूप से स्पष्ट है, और न ही किसी तरह की ताकतों/कर्ताओं द्वारा थोपा गया है।

इसलिए, अगर मीडिया को विकास में भागीदार बनने के साथ-साथ शासन प्रक्रिया में माध्यम बनना है शासन की प्रक्रिया में अभिन्नता के साथ-साथ नाली की भूमिका निभानी है, तो जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें नयापन लाने की आवश्यकता है जिससे, यह मान्यताओं का एक संतुलित ढांचा विकसित कर सकता है। कठोर मान्यता जांच-सूची का विचार, और दृढ़ता से उनका पालन करना 'सत्यनिष्ठा' के लिए पर्याप्त नहीं है। निःसंदेह सत्यनिष्ठा को हासिल किया जा सकता है, बशर्ते 'मीडिया शासन प्रणाली' और 'मध्यस्थतापूर्ण शासन प्रणाली' दोनों सार्वजनिक जवाबदेही को दोबारा प्रचलित करें और सार्वजनिक दर्शक को सार्वजनिक मान्यताओं के विचार में बदलें। इसलिए, समाज में प्रभावी शासन को फिर से सुनिश्चित करने के लिए जनता और मीडिया संस्थानों द्वारा सार्वजनिक मान्यताओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। ■

संदर्भ

1. दास, बी और पार्थसारथी, वी. (2011) मीडिया रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी: दाइविंग ओवर द रूजवर, रॉबिन मैंसेल और मार्क रबॉय, संस्करण। ग्लोबल हैंडबुक ऑफ मीडिया पॉलिसी। लंदन: विली ब्लैकवेल।
2. कोल, वे (2013) डेमोक्रेसी एंड मीडिया डिकेडेंस। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. मूर, एम. एच. (1995) क्रिएटिंग पब्लिक वैल्यू: स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट। कैम्ब्रिज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. पार्थसारथी, वी. (2018) बिटवीन स्ट्रेटेजिक इनटेंट एंड कंसोलिडेटेड सायलेंस: रेगुलेटरी कंटूर्स ऑफ द टीवी बिजनेस' ए. एथिक, वी. पार्थसारथी और एस. श्रीनिवास के संस्करणों में। द इंडियन मीडिया इकोनॉमी, खंड 1: औद्योगिक गतिशीलता और सांस्कृतिक अनुकूलन, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. पीटर्स, बी. गाय। (2016)। शासन और मीडिया: लिंकेज की खोज। पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। संस्करण 44 संख्या 1, पीपी। 9-22. http://dx.doi.org/10.1332/030557315X14446617187930 से पुनः प्राप्त।
6. प्राइस, एम. ई. और वेरहस्ट, एस. (2008)। मीडिया शासन की पहेलियां: कई हितधारक, कई उद्देश्य, कई परिप्रेक्ष्य। सीसीएमजी, जेएमआई द्वारा आईडीआरसी के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "कंटूर्स ऑफ मीडिया गवर्नेंस"; नई दिल्ली, 8-10 दिसंबर 2008
7. रोहर, जे. ए. (1998 ए) पब्लिक सर्विस, एथिक्स एंड कंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस। लॉरेंस: यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ कंसास।
8. रोहर, जे. ए. (1998बी) शासन मान्यता। जे. एम. शफरिट्ज (संस्करण), इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन (पीपी. 1929-1930), बोल्डर, सीओ: वेस्टव्यू प्रेस।

कॉरपोरेट संस्थानों में सदाचरण

डेनियल कोशी

केन्या का धावक आबेल मुताई दौड़ में 'फिनिश लाइन' से कुछ ही मीटर की दूरी पर था कि संकेत-चिह्नों को न समझ पाने से भ्रमित हो गया और रुक गया। उसे लगा, दौड़ समाप्त हो गई है। स्पेन का धावक इवान फर्नांडीस उसके ठीक पीछे था। उसे मुताई का भ्रम समझ में आ गया। उसने मुताई को चिल्ला कर बताया कि वह दौड़ना जारी रखे। लेकिन मुताई को स्पेनिश तो आती नहीं थी। वह फर्नांडीस की बात नहीं समझ सका। लेकिन फर्नांडीस को स्थिति समझ में आ गई। उसने मुताई को धक्का दे कर आगे करके जिता दिया। बाद में, एक रिपोर्टर ने इवान से पूछा, "लेकिन आपने केन्याई को जीतने क्यों दिया?" इवान ने जवाब दिया, "मैंने उसे नहीं जीतने दिया। वह जीत रहा था। वह दौड़ उसे ही जीतनी थी।" रिपोर्टर ने फिर कहा, "लेकिन आप जीत सकते थे।" इवान ने जवाब दिया, "लेकिन मेरे जीत की इज्जत ही क्या होती? उस पदक का सम्मान क्या होता? मेरी मां क्या सोचतीं?"

सत्यनिष्ठा: मानव की मूल प्रवृत्ति

सभी मनुष्यों में एक जन्मजात नैतिक प्रवृत्ति होती है जो उन्हें अच्छा यानि उचित कार्य करने की ओर ले जाती है। दूसरे शब्दों में, लोग आम तौर पर नैतिक रूप से उचित मार्ग पर ही टिके रहने का प्रयास करते हैं।

सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत समाज के मात्र अपेक्षित जीवन-मूल्य ही नहीं हैं, बल्कि जाति, विश्वासों, वर्ग, नस्ल, राष्ट्रीयता और धर्म के दायरों से परे, विश्व भर में मान्य और सम्मानित सामाजिक आदर्श भी हैं। 'मां के चरणों में सीखने' का आदर्श जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में ही मानवीय समझ और जीवन-मूल्यों में समाहित हो जाता है। इन्हीं जीवन-मूल्यों से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है जो उसे सही और गलत के बीच फर्क करने और अपनी राय बनाने में मदद करता है।

नैतिकता और सत्यनिष्ठा ऐसे बुनियादी सिद्धान्त हैं जो प्रायः हर धर्म की नैतिक आचार संहिता में शामिल किए गए हैं। यह नैतिक आचार संहिता व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तरों पर जीवन की पथ-प्रदर्शक बनी रहती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यापारी को अपने ग्राहकों को धोखा देने वाले काम नहीं करने चाहिए, जैसे बेचे जाने वाले सामान की गलत नाप-तोल करना। साथ ही उसे अपने कर्मचारियों से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति से यह बुनियादी अपेक्षा की जाती है कि वह स्वाभाविक रूप से सचाई की राह पर चले, भले ही कोई उसकी निगरानी भी नहीं कर रहा हो। मशहूर अमेरिकी 'टॉक शो' संचालिका ओपरा विनफ्रे ने सटीक शब्दों में कहा है, "वास्तविक सत्यनिष्ठा ऐसी स्थितियों में भी सचाई से काम करने की है जब पहले से यह जानकारी हो कि इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ने वह काम किया या नहीं।"

वास्तविक जीवन में अक्सर इन आदर्शों की परीक्षा की घड़ियां भी आती रहती हैं।

लेखक मुंबई के एक बहुराष्ट्रीय संस्थान के चीफ एथिक्स काउन्सलर हैं। ईमेल: koshy39@hotmail.com

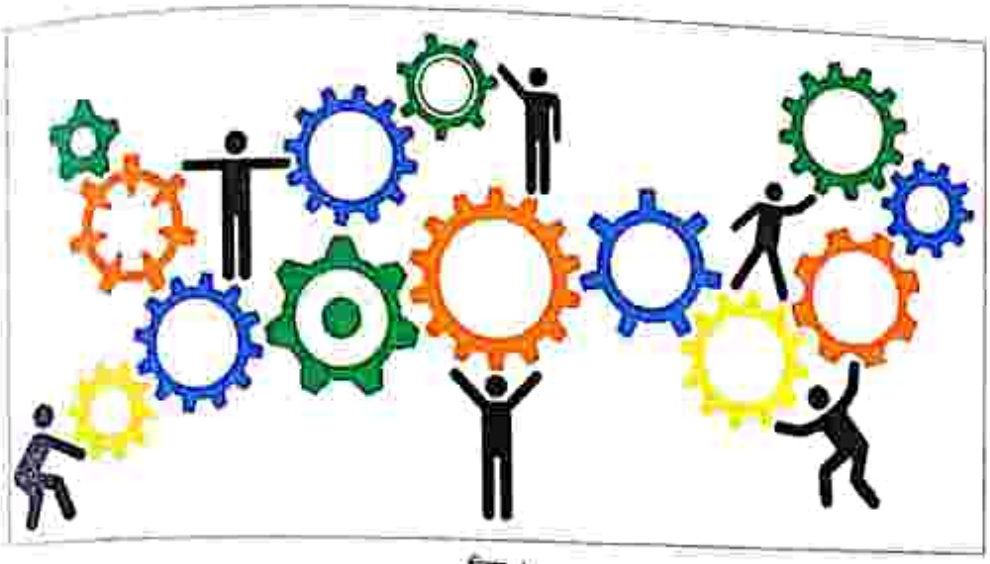

चित्र 1

बाजार की प्रतियोगिता और संगठनात्मक दबावों की वजह से, कई बार नेकदिल लोग भी जल्दी और आसानी से मिल सकने वाले कुछ फायदों के लालच में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान के लिए किसी अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करे अथवा अपने संगठन के फायदे के नाम पर ऐसे काम करे जिससे वास्तव में उस कर्मचारी का ही फायदा अधिक हो।

हमारे दौर में ऐसे बड़े-बड़े घोटालों और विवादों की संख्या और इनसे जुड़ी रकम की मात्रा निरंतर बढ़ रही है जिनकी वजह से प्रतिष्ठानों को कई तरीके से नुकसान हो रहा है, जैसे संस्थान की प्रतिष्ठा और ब्रांड छवि को नुकसान, बिक्री में गिरावट और घाटा आदि। ऐसी स्थितियों को देखते हुए, पेशेवर लोगों द्वारा चलाए जा रहे संस्थान हमेशा सुप्रबंधन और कायदे-कानूनों के सही तरीके से पालन पर जोर देते रहे हैं। ये संस्थान अमेरिका के सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष जॉन एस. आर. शाद के इस कथन पर पूरा विश्वास करते हैं कि *"(अंततः) नैतिक आचरण से ही लाभ होता है।"*

व्यापार में सदाचार

निश्चय ही मुनाफा किसी भी व्यापार के प्रमुख उद्देश्यों में एक है लेकिन यह व्यापार का अंतिम उद्देश्य नहीं है। व्यवसाय में वृद्धि और मुनाफे के अलावा, बेहतर कॉरपोरेट प्रबंधन और इससे जुड़ा आचरण-तंत्र भी व्यापारिक विचार-विमर्श का प्रमुख हिस्सा है। अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकने के लिए मजबूत प्रबंधन और आचरण व्यवस्थाएं लागू करने की जरूरतें भी निरंतर बढ़ रही हैं। ऐसा करने के लिए, विभिन्न संस्थान अपने सभी हितसाधकों, जैसे ग्राहकों, शेयर-धारकों, कर्मचारियों, बिक्री में भागीदारों और सम्बद्ध व्यापार से जुड़े समस्त समाज के लिए उचित आचरण-नियमों को बढ़ावा दे रहे हैं।

अच्छे कॉरपोरेट प्रबंधन के लिए कायदे-कानूनों का कड़ाई से पालन और सदाचरण का माहौल - दोनों जरूरी हैं। यह धारणा गलत है कि नियमों का पालन और सदाचरण - दोनों एक ही हैं। नियम-पालन का मतलब है कि किसी प्रक्रिया को सम्पन्न करने के नियम-कानूनों का कैसे पालन हो सकता है। किसी नियम या विधान के दायरे में किसी काम को कर लेने मात्र से वैधानिक रूप से नियम-पालन हो जाता है। संस्थान आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन करते

निश्चय ही मुनाफा किसी भी व्यापार के प्रमुख उद्देश्यों में एक है लेकिन यह व्यापार का अंतिम उद्देश्य नहीं है। व्यवसाय में वृद्धि और मुनाफे के अलावा, बेहतर कॉरपोरेट प्रबंधन और इससे जुड़ा आचरण-तंत्र भी व्यापारिक विचार-विमर्श का प्रमुख हिस्सा है। अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकने के लिए मजबूत प्रबंधन और आचरण व्यवस्थाएं लागू करने की जरूरतें भी निरंतर बढ़ रही हैं।

हुए और सभी वैधानिक कायदे-कानूनों का पालन करते हुए भी आचरण की दृष्टि से अनुचित हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष विज्ञापन यानि सरोगेट एडवरटाइजिंग इसका अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर शराब पीने को बढ़ावा देना प्रतिबंधित है। लेकिन अगर कोई कंपनी (किसी शराब के) प्रचलित ब्रांड नाम के साथ, किसी अन्य वस्तु का विज्ञापन करती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से उसी प्रचलित ब्रांड के जरिए उसी उत्पाद (शराब) की याद दिला रही है। कानूनी तौर से, कंपनी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रही है लेकिन सदाचरण की दृष्टि से यह कार्य कतई अनैतिक है। दि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एथिक्स ने व्यापारिक सदाचरण यानि 'बिजनेस एथिक्स' को *'व्यापारिक कार्यों में अच्छे आचरण के मूल्यों को अपनाने'* के अर्थ में परिभाषित किया है।

संगठनों की संस्कृति में सदाचार - शिखर से नेतृत्व

विभिन्न संस्थानों में, अच्छे कॉरपोरेट प्रबंध और नियमों के पालन की सुव्यवस्था की शुरुआत बोर्ड से होती है। निश्चय ही, शिखर से ही सही संकेत मिलना अनिवार्य है। साथ ही, सदाचरण सुनिश्चित करने से जुड़ी मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है ताकि सच्चे आचरण की संस्कृति पूरे संगठन में व्याप्त हो सके। ऐसी व्यवस्था में निम्न बातें होनी चाहिए-

- कंपनी का कार्यपालक नेतृत्व नैतिक आचरण का कार्यक्रम मध्य और निचले स्तर की टीमों के सहयोग से चलाए।
- व्यवसाय के कामकाज के दौरान नैतिक आचरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए संगठनों में सभी स्तरों पर निरंतर संवाद रहना चाहिए।
- संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच बिना रुकावट के आपसी संवाद रहना चाहिए ताकि खुलेपन और आपसी विश्वास का माहौल बने।

आचार संहिता

'आचार संहिता' तैयार करना किसी कॉरपोरेट संस्थान में नैतिक आचरण से जुड़ी सबसे बुनियादी जरूरतों में एक है। यह संहिता कंपनी का नीतिगत दस्तावेज है और उस नैतिक आधार को परिभाषित करता है जिसके दायरे में व्यावसायिक लक्ष्यों को

प्राप्ति के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यह संहिता व्यवहार के उन सामान्य सिद्धांतों को भी स्पष्ट करती है जिनका पालन करने की कर्मचारियों और अन्य हितसाधकों से अपेक्षा की जाती है।

आचार संहिता किसी संस्थान के मूल्यों और आदर्शों की ब्यौरेवार प्रस्तुति है जिसमें प्रायः पालन किए जाने वाले नियम-कायदों और संस्थान की अपेक्षाओं का सम्मिश्रण होता है। यह एक आकांक्षी दस्तावेज़ है क्योंकि सदाचरण-सम्पन्न होना एक सतत यात्रा है। सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का पालन अनिवार्य होता है और कर्मचारी की सेवा शर्तों के करार तथा/अथवा उसे किसी काम पर लिए जाने के कार्यक्रमों से सम्बद्ध दस्तावेज़ में इसे सम्मान देना और इसका पालन करना शामिल किया जाता है। किसी संस्थान से बाहर से जुड़े हितसाधक, उसके कार्यों- आदर्शों की शृंखला के सहभागी भी प्रायः संगठन का ही विस्तार माने जाते हैं। अतः उन्हें भी आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए क्योंकि वे भी तो संस्थान के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में साझीदार हैं।

संस्थानों के कार्यकारी प्रमुख और वरिष्ठ प्रबन्धकों को आचार संहिता के अनुपालन का वातावरण विकसित करना चाहिए और अपने रोज-मर्रा के व्यवहार में भी उचित आचरण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मध्य-क्रम के अधिकारियों को (जो संगठन पर आने वाली छोटी-बड़ी परेशानियों के झटके झेलते हुए, उनका असर काम के प्रवाह पर नहीं होने देने वाले 'शॉक एबजॉर्बर' जैसे होते हैं) संगठन में उचित आचरण की संस्कृति विकसित करने में केंद्रीय भूमिका है। वे बड़े महत्त्वपूर्ण तरीके से कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं और ये कर्मचारी अपने दैनंदिन व्यवहार में अपने मैनेजरों की छवि और काम करने के तरीकों का अनुसरण करते हैं। इसलिए, मध्यक्रम के प्रबन्धकों को आचार संहिता के अनुपालन को अपने व्यवहार में निरंतर प्रदर्शित करना चाहिए, बार-बार इसकी याद दिलानी चाहिए और इसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए, ताकि संगठन के पूरे काम-काज में आचरण संहिता के मूल्यों-आदर्शों की झलक मिले।

नैतिक आचरण से जुड़ी समस्याओं और संशयों के हमेशा सीधे-सीधे हल नहीं मिलते। इसलिए आचार संहिता को ठीक से समझने और उसे व्यवहार में अपनाए जाने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम कर्मचारियों तथा अन्य हितसाधकों के लिए लाभदायक तो होंगे ही, बल्कि इन कार्यक्रमों से विकसित समझ उन्हें कोई भी नैतिक उलझन और संशय आने पर सही राह भी दिखाएगी।

निगरानी की समुचित व्यवस्था

किसी संगठन में नैतिक आचरण की संस्कृति विकसित करने के लिए कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा जांचने के दो स्तर हैं- "काम के लिए उनका चयन किए जाते समय; और उनकी उपलब्धियों को आंकने के हर चक्र की शुरुआत में।" अमेरिका के जाने-माने निवेशक और बड़े व्यवसायी वारेनबफेट ने इस बारे में बड़ी सटीक टिप्पणी की है- *"आप किसी व्यक्ति में आम तौर पर तीन चीजें देखते हैं - बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और सत्यनिष्ठा। और अगर उसमें इनमें से अंतिम गुण (सत्यनिष्ठा) नहीं है तो पहले दो गुणों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है।"*

दूसरा कदम निगरानी की ऐसी व्यवस्था बनाने का है जिससे संगठन और इसके हितसाधकों को नैतिक संशयों से उबरने में मदद मिले। सामान्य व्यावसायिक सौदों-संपर्कों में सम्बद्ध व्यक्तियों के अनेक तरीकों के व्यवहारों के लिए समुचित निगरानी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है।

नैतिक आचरण का मतलब है उचित और अनुचित की समझ और फिर उचित काम करना। किसी भी स्थिति में नैतिक दृष्टि से उचित सामाजिक ज़िम्मेवारी वाले कार्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आज के अनिश्चित समय में, किसी भी संगठन के लिए आधारभूत उचित आचरण तथा नैतिक मूल्य, न केवल उस संगठन के अस्तित्व, बल्कि उसके स्थायित्व और फलने-फूलने के लिए भी आवश्यक हैं।

मैं इस चर्चा को एक व्यवहार तक सीमित रख रहा हूं। वह है- 'उपहार और आतिथ्य' ग्रहण करना। सांस्कृतिक रस्मों-रिवाजों के तहत कई बार उपहारों और आतिथ्य का लेन-देन सामान्य व्यवहार का हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रिश्वत और भ्रष्टाचार के छिपे रूप भी हो सकते हैं। कंपनियों की आचार-संहिता में ऐसे अवसरों के लिए उचित दिशा-निर्देश होने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियों से जुड़ी कुछ बुनियादी स्थितियों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसी कुछ स्थितियां हैं -

उपहार दिए जाने का समयः क्या उपहार किसी ऐसे उत्सव या पर्व के अवसर पर दिया गया जब ऐसे उपहार देने का रिवाज या परंपरा हो? अथवा ऐसे पर्व या उत्सव के बहाने से कोई व्यावसायिक फायदा उठाने, जैसे किसी परियोजना का ठेका मिल जाने या किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने या उस पर सौदेबाजी अपने पक्ष में करने के लिए उपहार दिया गया।

किसी एहसान के लिए उपहारः क्या उपहार अथवा आतिथ्य किसी एहसान की एवज में दिया गया अथवा इसके बदले कोई फायदा मिलने की उम्मीद थी?

उपहार/आतिथ्य का मूल्यः काम-काज के दौरान सामान्य कीमत का 'वर्किंग लंच या डिनर' स्वीकार किया जा सकता है, बल्कि व्यावसायिक शिष्टाचार के तहत ऐसे आतिथ्य की परंपरा भी हो सकती है। इस बारे में उचित प्रश्न यह होगा कि क्या ऐसी परंपरा बहुत महंगे तरीके से निभाई गई और अक्सर ऐसा आतिथ्य सुलभ कराया गया। कुछ कंपनियों ने उपहारों के लेन-देन की कीमतें तय कर रखी हैं। (चित्र 1)

उपहार खुले तौर पर सब की उपस्थिति में दिया जाए; क्या उपहार खुले माहौल में, यानि अन्य लोगों की जानकारी अथवा उनकी मौजूदगी में दिया गया? आदर्श स्थिति में, उपहारों का लेन-देन कार्य-स्थल पर होना चाहिए।

संस्थान को उपहार मिलने की जानकारी देनाः क्या मिले उपहार/आतिथ्य की जानकारी अपने संस्थान को दी गई?

संगठन के बही-खातों से जुड़ी जवाबदेहीः क्या उपहार निजी स्तर पर दिया गया या कंपनी के खाते से इसकी कीमत

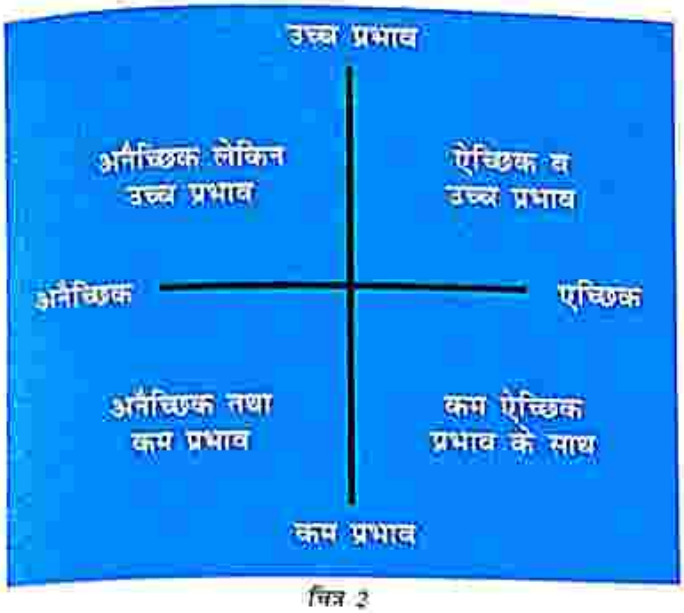

चित्र 2

का भुगतान किया गया? क्या उपहार देने और लेने वाले अपने सहयोगियों को इस उपहार के बारे में बता सकते हैं? क्या इस उपहार की कीमत को देने वाले और पाने वाले के संस्थानों के खातों में दर्ज किया जा सकता है?

आचरण से जुड़े ऐसे ही अन्य व्यवहारों को जांच और उनका औचित्य प्रमाणित करने के लिए निगरानी की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

शिकायतें दर्ज करने और उनके निराकरण की पुख्ता व्यवस्था करें

कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों को किसी संदिग्ध व्यक्ति अथवा स्थिति के बारे में खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां लगता है आचार संहिता के विपरीत काम हो रहा है। उन लोगों को जो दुविधाएं झेलनी पड़ी हों, उन्हें बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रबन्धकों को नियमों-कानूनों, कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और आचार संहिता के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रबन्धकों की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी जानकारी में लाये जाने वाले गलत आचरण के मामलों में समुचित निर्देश दें और अपने कार्यक्षेत्र से बाहर आने वाले मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों अथवा आचार संहिता लागू करने वाले अधिकारी (एथिक्स ऑफिसर) को सूचित करें। जानकारी में आए सभी मामलों के घटनाक्रम का नियमित रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सभी कर्मचारियों तथा हितधारकों के लिए गलत आचरण के मामलों को रिपोर्ट करने और अपनी आशंकाएं व्यक्त करने के अवसर सुलभ होने चाहिए। शिकायतकर्ता और शिकायतों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए ताकि को बदले किसी संभावित कार्रवाई से शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सरोगेट विज्ञापन जैसे नैतिक मामले विचार-विमर्श और संवाद के जरिए सुलझाए जा सकते हैं, जबकि गलत आचरण से जुड़े मुद्दों को जांच के बाद निपटाया जा सकता है। कंपनी के अंदर रिपोर्ट किए गए गलत आचरण के मामलों की सम्पूर्ण जांच किया जाना जरूरी है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच से सदाचरण की संस्कृति को बनाए रखने की संगठन की क्षमता का पता चलता है जिससे सभी हितधारकों का संगठन में विश्वास मजबूत होता है। किसी मामले के कंपनी के दायरे से बाहर चले जाने की स्थिति में यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब शुरू में मामला कंपनी के अंदर उठाया गया था, उस समय क्या कार्रवाई की गई।

संहिता को हथियार बना लेना

शिकायतें दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष यह है कि कभी-कभी कार्यस्थल की छोटी-छोटी बातों को भी गंभीर दुराचरण की तरह पेश किया जाता है और शिकायतकर्ता इनकी जांच की मांग करने लगते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी की आचार-संहिता अथवा किसी अन्य प्रावधान को सहयोगियों और अधिकारियों से बदला चुकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। ये हरकतें संहिता/प्रावधानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसी हैं।

ऐसी स्थितियों का सबसे बुरा उदाहरण है किसी कर्मचारी द्वारा अपने किसी सहयोगी को जान-बूझ कर परेशान करने के लिए उस पर कार्यस्थल पर यौनिक दुराचरण का आरोप लगा देना। रिश्वत, भ्रष्टाचार, हितों का टकराव, भेदभाव, जालसाजी और ऐसे ही अन्य बेबुनियाद आरोप लगा कर संहिता का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः ऐसे मामलों में बड़ी सावधानी से जांच-पड़ताल करनी चाहिए।

आचरण से जुड़े मामलों की समीक्षा

जिन अधिकारियों को आचरण से जुड़े रिपोर्ट किए गए मामलों की समीक्षा करनी होती है, उनके लिए यह काम सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच जैसा नाजुक हो सकता है जहां एक-एक रन से तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट किए गए हर मामले की समीक्षा जरूरी है। जिन कंपनियों में आचरण और कॉरपोरेट प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था होती है, वहां ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट आंतरिक नीतियां होती हैं। आम तौर पर आचरण से जुड़े मुद्दे सम्बद्ध मानव संसाधन इकाई अथवा दूसरी सहभागी टीमों को सौंपे जाते हैं। संहिता के दुरुपयोग के कुछ मामले हो सकते हैं पर आम तौर पर कर्मचारी विशिष्ट परिस्थितियों में अपेक्षित व्यवहार और शिकायतों के निपटान की रिपोर्टिंग चैनलों के बारे में जानते हैं। यह जानकारी उन्हें उचित आचरण की सीमाओं में बने रहने के प्रति सावधान भी रखती है।

सदाचरण कार्यक्रम की व्यवस्था और निगरानी

सदाचरण सलाहकारों की टीम बनाना प्रायः अच्छा माना जाता है। आचरण से जुड़ी व्यवस्था के लिए कंपनी को अपनी ही टीम होनी चाहिए या बाहर के लोगों को इस काम के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, यह वाद-विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि बाह्य नियामक की तरह काम करने वाली कंपनी के ही लोगों की एक समर्पित टीम होने से सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। यह टीम शिकायतों को ग्रहण कर उनकी समीक्षा कर सकती है और जिन कर्मचारियों को अपने काम-काज के दौरान आचरण-संबंधी किसी मुद्दे पर कोई संशय हो, उन्हें सलाह भी दे सकती है।

अनुचित आचरण के मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चित्र 2 में बुरे इरादे बनाम उससे जुड़े काम के प्रभाव का अंतर्संबंध दर्शाया गया है जो अनुचित आचरण के परिणामों के आकलन का सटीक मानदंड है। क्या कोई (अनुचित) आचरण पूरे इरादे के साथ किया गया या गलती से हो गया? इसी तरह, क्या ऐसे आचरण की वजह से

आदेशों का पालन नहीं किए जाने की कोई गंभीर स्थिति पैदा हो गई और इससे संस्थान के काम-काज में कोई बड़ी बाधा आ जाने की आशंका पैदा हो गई? (चित्र 2)

इन स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए दो उदाहरण दिए जा रहे हैं।

एक कर्मचारी ने अपना मेडिकल बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। जांच के दौरान सक्षम अधिकारी ने पाया कि बिल पर 'ओवरराइटिंग' की गई है जिससे ऐसा लगता है कि वास्तविक खर्च से ज्यादा पाने के लिए ऐसा किया गया है। जांच के दौरान ये बातें पता चलीं-

- कर्मचारी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत यह पहला बिल है।
- कर्मचारी की यह पहली नौकरी है और उसका काम का तजुर्बा महज 4 महीने का है।
- कर्मचारी के माता-पिता ने यह बिल भेजा था और कर्मचारी ने इसे भूल से जांचने से पहले ही प्रस्तुत कर दिया।
- माता-पिता को भी ऐसी बातों का पता नहीं था और उन्होंने भी 'ओवरराइटिंग' पर ध्यान नहीं दिया।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए और यह समझते हुए कि कर्मचारी बिल को प्रस्तुत करने से पहले जांचना भूल गया, इस मामले को गैर-इरादतन और बहुत कम असर वाला मामला माना जा सकता है और कर्मचारी को सलाह और चेतावनी देकर मामला समाप्त किया जा सकता है।

दूसरे मामले में, दो कर्मचारियों ने, अपने पद के अनुरूप टैक्सी के किराए के बिल पेश किए। दोनों ने एक ही मैन्स कंपनी के बिल लिए और उनके आने जाने के बिलों के नंबर एक ही क्रम में थे। इस मामले में भुगतान के दावे की राशि बहुत मामूली थी लेकिन जाली बिल पेश करने का काम जान-बूझ कर और योजनाबद्ध तरीके से किया गया, इसलिए इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

मध्य-क्रम के अधिकारियों की (जो संगठन पर आने वाली छोटी-बड़ी परेशानियों के झटके झेलते हुए, उनका असर काम के प्रवाह पर नहीं होने देने वाले 'शॉक एब्जोर्बर' जैसे होते हैं) संगठन में उचित आचरण की संस्कृति विकसित करने में केंद्रीय भूमिका है। ये बड़े महत्वपूर्ण तरीके से कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं और ये कर्मचारी अपने दैनंदिन व्यवहार में अपने मैनेजरों की छवि और काम करने के तरीकों का अनुसरण करते हैं। इसलिए, मध्यक्रम के प्रबन्धकों को आचार संहिता के अनुपालन को अपने व्यवहार में निरंतर प्रदर्शित करना चाहिए, बार-बार इसकी याद दिलानी चाहिए और इसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए, ताकि संगठन के पूरे काम-काज में आचरण संहिता के मूल्यों-आदर्शों की झलक मिले।

निष्कर्ष

हमारे निजी और व्यावसायिक जीवन में आचरण-संबंधी दुविधाओं की स्थितियों में, हमारे मन की नैतिक आवाज ही हमारी सबसे बड़ी मार्ग-दर्शक होनी चाहिए। कर्मचारियों को संहिताओं तथा प्रशिक्षण और सलाह जैसी अन्य व्यवस्थाओं के जरिए आचरण-संबंधी मामले निपटने चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत संस्थान के शिखर से ही हो सकती है और शीर्ष अधिकारियों को अपने सदाचरण के उदाहरण से सभी कर्मचारियों के लिए मानक तय करने चाहिए। आचरण संबंधी संशयों-दुविधाओं का दायरा बहुत बड़ा है और इससे कई मुद्दे के अंतर्संबंध होते हैं, अतः हर मामले के संदर्भ की निष्पक्ष होकर समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दों के कोई सीधे-सीधे समाधान नहीं होते।

नैतिक आचरण का मतलब है उचित और अनुचित की समझ और फिर उचित कार्य करना। किसी भी स्थिति में नैतिक दृष्टि से उचित सामाजिक जिम्मेदारी वाले कार्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आज के अनिश्चित समय में, किसी भी संगठन के लिए आचारपूर्ण उचित आचरण तथा नैतिक मूल्य, न केवल उस संगठन के अस्तित्व, बल्कि उसके स्थायित्व और फलने-फूलने के लिए भी आवश्यक है। ■

सदाचार और नैतिकता : गांधीवादी दृष्टिकोण

प्रो एन राधाकृष्णन

गांधी जी इस बात पर जोर देते थे कि हमारी सभ्यता का सार इस बात में निहित है कि हम सदाचार, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, न्याय और निष्ठा तथा नैतिकता को अपने सभी प्रयासों में, चाहे वे व्यक्तिगत हों या सार्वजनिक, स्थायी स्थान देते हैं। उन्होंने अपने लिए नैतिकता और सदाचार के जो मानदंड कायम किये उनसे शाश्वत सिद्धांतों के प्रति उनकी वचनबद्धता और निष्ठा का पता चलता है।

गांधी जी ने अपनी हत्या से एक महीने पहले कहा था, *सभी गणमान्य लोगों का, चाहे वे किसी भी व्यवसाय या पार्टी से जुड़े हुए क्यों न हों, यह कर्तव्य है कि वे भारत के गौरव की रक्षा करें। (द हिन्दू, 16/12/1947)।*

गांधी जी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ऐसे जीवनदर्शन तथा जीवनशैली का विकास किया जो सदाचार, नैतिकता, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक सत्य से परिपूर्ण थी। वह इसमें और जिस बात पर उन्होंने अपनी आत्मकथा में पूरे विश्वास के साथ कहा, उनके बीच कोई *अंतर नहीं देखते थे। जो बात मुझे करनी है, आज 30 साल से जिसके लिए मैं उद्योग कर रहा हूं, वह तो है-आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष।* (गांधी जी की आत्मकथा, पृष्ठ 10)। इससे उनके द्वारा जीवनपर्यन्त किये गये प्रयत्नों की नैतिक, सदाचरण पर आधारित और आध्यात्मिक बुनियाद का पता चलता है।

गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक कार्य और उसके बाद 32 साल तक भारत में जन जागरण तथा राजनीतिक आजादी के लिए चलाया गया अभियान से प्रामाणिक रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी सभ्यता के आध्यात्मिक और भौतिक तथा सदाचार और नैतिकता जैसे तत्वों का घनिष्ठ सम्मिश्रण उसमें हुआ है।

व्यक्ति में निहित विज्ञान और टेक्नोलॉजी बनाम नैतिकता और सदाचार के सूत्र

गांधी जी कई संकल्पनाओं को चुनौती देते हैं और मानवता को इस बात का स्मरण कराते हैं कि हम जो महसूस करते हैं और 'सच' समझते हैं उससे भी परे एक 'सत्य' होता है। सत्य को अपने तमाम प्रयासों की धुरी बनाकर गांधी जी मानो सत्य की आध्यात्मिकता की ही खोज कर रहे थे जो कि विज्ञान का आधार है। ऐसा करके वे उन लोगों को चुनौती देते हैं जो इस अवधारणा का अनुमोदन करते हैं कि

लेखक इंडियन काउंसिल ऑफ गांधियन स्टडीज (नई दिल्ली) के अध्यक्ष, गांधी मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक और गांधी पीस मिशन 2015 के जनरल कन्वीनर हैं।
ईमेल: drnradhakrishnan@gmail.com

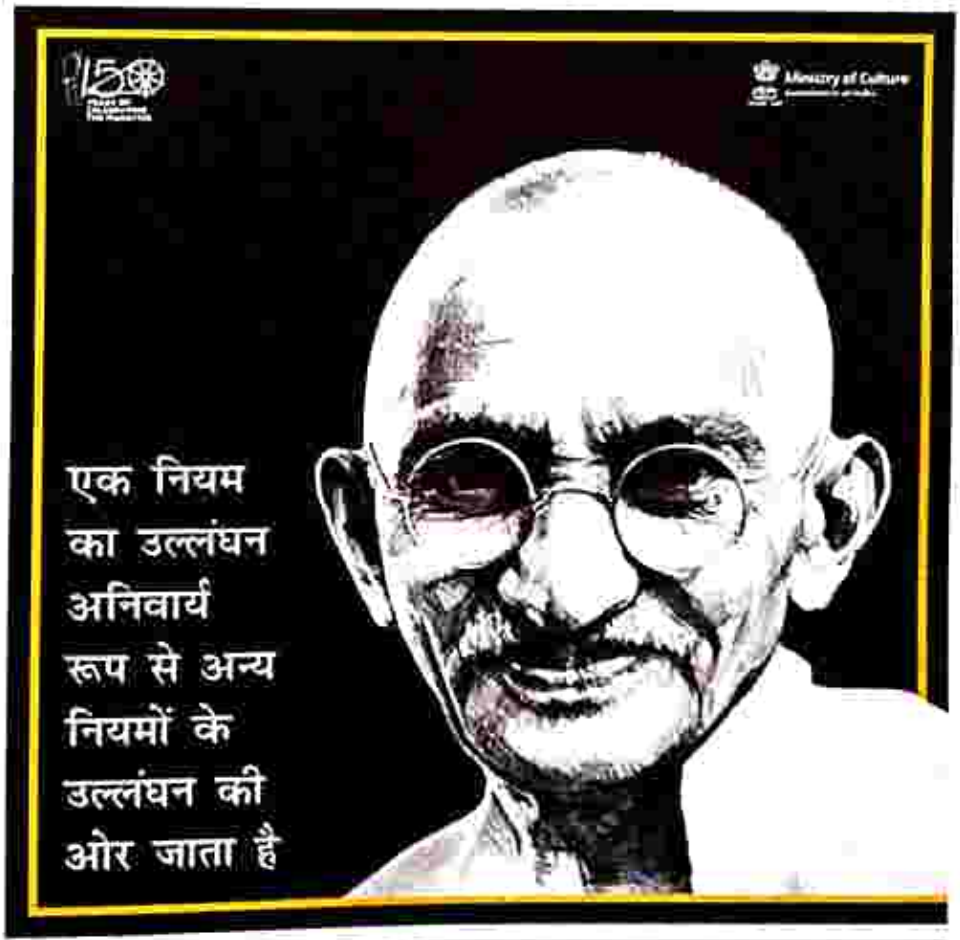

आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक-दूसरे का विरोधी होना आवश्यक है।

यहां गांधी जी सामाजिक वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता की उदार भूमिका में आ जाते हैं जो एक ऐसी भूमिका है जिसे आलोचकों और इतिहासकारों ने उन्हें सौंपा है। अगर विज्ञान 'सत्य का खोजी' है तो अपने जीवन को 'सत्य के साथ प्रयोग' बनाकर गांधी जी वर्गीकरण के सभी पारम्परिक मानदंडों से बहुत दूर चले जाते हैं। प्रारंभ में गांधी जी का मानना था कि 'ईश्वर सत्य है' और बाद में वे शब्दों के क्रम को उलटकर 'सत्य ही ईश्वर है' पर विश्वास करते हुए सभी चीजों पर सत्य की श्रेष्ठता मानने लगे। यहां गांधी जी हमें आइंस्टाइन के उस कथन का स्मरण कराते हैं जिसके अनुसार कल्पना ज्ञान से बड़ी है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हर मनुष्य के अंतःकरण में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया पर असर डालकर उसे प्रभावित करती रही है। हमारा अंतर्जगत एक ऐसा विशाल सागर है जिसकी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया है। अगर इसका सूझ-बूझ से उपयोग किया जाए तो इसमें भौतिक जगत से निपटने की शक्ति है। प्रत्येक संकट को अवसर में और प्रत्येक बाधा को संभावना में परिवर्तित करने का साहस हमारे अंतर से और व्यक्ति की आध्यात्मिक बनावट से उत्पन्न होता है। न्यूटन के गति के नियम को अगर लाक्षणिक रूप में लिया जाए तो यह तर्क और भी स्पष्ट हो जाता है। *"ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकृष्ट करती है जिसका बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके केन्द्रों के बीच दूरी के वर्ग का व्यतिक्रमानुपाती होता है।"*

विज्ञान और वैज्ञानिकों की तरह, जो यह मानते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, गांधी जी सत्य से उसी तरह से जुड़े रहते थे जिस तरह कोई बच्चा अपनी मां के चिपका रहता है। उन्होंने जब प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा की शक्ति पर जोर दिया उनके घनिष्ठ मित्रों तक की भवों पर बल पड़ गये। अपने समय के महाबली साम्राज्यों से अहिंसक तरीके से टक्कर लेने की योजना बनाते वक्त कई लोगों ने उनके विवेक पर संदेह किया। उनके यह दावा को

कि भारत हिंसा और युद्ध का सहारा लिये बिना स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, हास्यास्पद प्रतीत हुआ। उनकी सोच को अव्यवहारिक, बचकाना बताया गया और यहां तक कि इसे कपोल कल्पना करार दिया गया। इन सब आलोचनाओं से अविचलित गांधी जी 'सत्य के साथ अपने प्रयोगों' में किसी वैज्ञानिक जैसी सूक्ष्मता और लगन के साथ लगे रहे। गीता के उपदेश उनकी प्रेरणा के स्रोत थे और औरों से भी उन्हें मार्गदर्शन मिलता था जिसने लिखा है, *"मुझे सचेतन प्रयासों से अपने जीवन को उन्नत बनाने की मनुष्य की निर्विवाद क्षमता के सिवाय प्रोत्साहित करने वाली और किसी भी बात का पता नहीं।"*

जो बात महत्वपूर्ण है वह है अपने हौसलों और आंतरिक संसाधनों को पुष्ट करने और बंदी बनाने वाली दीवारों और बाड़ों को लांघने की प्रत्येक मनुष्य की क्षमता। जो भी व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का लोहा मनवा सकेगा वह अंततः उन्मुक्त आत्मा के रूप में उभर कर सामने आएगा। जॉन मिल्टन ने इन शब्दों में इसकी पुष्टि की है: *"बुद्धि स्थित हो अगर अपनी ही जगह, तो बना सकता है नरक स्वर्ग और स्वर्ग नरक।"*

आध्यात्मिक, नैतिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक सत्य

गांधी जी की इस विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या धर्म विज्ञान से पहले आया या विज्ञान ने हमेशा धर्म का पोषण किया अथवा धर्म और आध्यात्मिकता विज्ञान से पुराने है। उन्हें इस बात का अहसास था कि किस तरह अधिकाधिक संख्या में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के धुरंधरों द्वारा अपना समय वैज्ञानिक सत्य और क्षमताओं के अनुसंधान में लगाने से व्यक्ति के जीवन में विज्ञान का स्थान धर्म से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र के धुरंधरों और संरक्षकों ने ध्यान और चिंतन वाली जीवनशैली अपना ली। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जिसके कई केन्द्र थे और अनेक उपयोग थे, लोगों के दैनिक जीवन में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय परिणामों के साथ प्रवेश किया। धर्म की सर्वोच्चता का लगातार क्षरण हुआ जबकि विज्ञान अजेय रफ्तार और ऊर्जा के साथ आगे की ओर अग्रसर होता रहा।

सत्याग्रह : सदाचार, नैतिकता, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सरोकारों का समन्वय

जैसा कि सत्याग्रह के दर्शन और व्यवहार से स्पष्ट होता है, गांधी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने का रहा है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह आध्यात्मिक मूल्यों, सामुदायिक संगठनों और आत्मनिर्भरता के बीच समन्वय का प्रयास करता है ताकि इससे व्यक्तियों, परिवारों, समूहों, ग्रामों, कस्बों और नगरों का सशक्तीकरण हो। गांधी जी पर अपने अध्ययन में रॉबर्ट पायने ने लिखा है, *"गांधी जी सत्य के साथ निरंतर प्रयोग कर शक्ति के नये रूपों का आविष्कार करते रहे और जिस प्रकार सत्याग्रह कभी भी सत्य की शक्ति नहीं रहा, उसी तरह यह अहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध भी नहीं बना। यह बात*

और है कि इसके निरंतर बढ़ते दायरे में ये सभी शामिल थे।'' यहां यह बात ध्यान देने की है कि:

1. गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग कभी भी राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए नहीं किया।
2. गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सिद्धांतों पर आधारित और आध्यात्मिकता से निर्देशित था।
3. गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग कभी भी जोर-जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने के लिए नहीं किया।
4. गांधी जी की भाषा, हाव-भाव और गतिविधियां गरिमामय होती थीं और उनमें संवाद तथा सुलह-सफाई की पूरी गुंजाइश रहती थी।
5. गांधी जी ने सत्याग्रह में हमेशा नैतिक सिद्धांतों पर जोर दिया।
6. गांधी जी में इतना साहस था कि जब भी उन्हें यह अहसास होता कि सिद्धांतहीन लोग उनके आंदोलन में घुसपैठ कर स्वार्थ सिद्धि और अवसरवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं तो वे अपने आंदोलन को वापस ले लेते थे।

आज यह बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि गांधी जी ने राजनीति समेत मानवीय प्रयासों के प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिकता की नयी बयार का संचार किया। उन्होंने एक ऐसे संत के रूप में ख्याति प्राप्त की जो राजनीति का अध्यात्म से समन्वय कराना चाहता था। उनका मंत्र था : हर आंख के आंसू पोंछो। शांति के ऐसे विश्व के निर्माण के लिए व्यवहारगत परिवर्तन लाना जरूरी होता है। ऐसे विश्व में ताकतवर व्यक्ति कमजोर का शोषण नहीं कर पाएगा। धनी व्यक्ति निर्धन को हानि नहीं पहुंचा सकेगा और विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति के लिए उपेक्षितों की अनदेखी करना संभव नहीं होगा।

'सर्वधर्म समभाव' या 'सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना' का प्राचीन वैदिक दर्शन गांधी जी के धार्मिक मानववाद का आधार बना जो सदाचार, नैतिकता और आध्यात्मिक सोच पर आधारित था।

आध्यात्मिक जीवन जीना उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से जीना है। गांधी जी कहते थे, *मैं सिर्फ अपने लिए उत्तरदायी नहीं हूं, बल्कि आप सबके लिए उत्तरदायी हूं। ठीक उसी तरह, जिस तरह आप मेरे लिए उत्तरदायी हैं। जब हम सही मायने में निःस्वार्थ जीवन जीते हैं तो हम व्यक्तिगत लाभ या सुख के लिए कभी नहीं सोचते, बल्कि हमेशा वैश्विक समृद्धि और विश्व शांति के लिए सोचते हैं। इसकी वजह यह है कि इतने महान लक्ष्य भी अंततः सरकार पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि ये अंत में आप और मुझ जैसे छोटे लोगों के निःस्वार्थ प्रयासों पर आश्रित हैं और मित्रतापूर्ण अनुनय ही हमारा एकमात्र सफल शिक्षक है।* इंसानों में हमेशा विकसित होने की शक्ति होती है।

वह जिस तरह के जातिविहीन और वर्गविहीन समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे उसका उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचना था। जैसे समाज की स्थापना का उनका लक्ष्य था उसे वह *राम राज्य-दैवी राज्य* कहते थे। उनके राम सर्वशक्तिसंपन्न ईश्वर हैं जो महान कार्यों को करने में उनका मार्गदर्शन करते हैं और जिनकी उपस्थिति सर्वत्र महसूस की जा सकती है। वह जिस राम राज्य की बात करते थे वह ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था था जिसमें एक आदर्श राजा अपनी प्रजा पर शासन तो करता है मगर बिना राजा-प्रजा का भेदभाव किये। सत्य, धर्म और न्याय इस तरह के समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसा समाज जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन में बराबरी का अधिकार होगा, जिसमें किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा।

अगर प्लेटो के आदर्श गणराज्य और गांधी जी के 'राम राज्य' की तुलना करें तो दोनों में काफी समानताएं हैं, हालांकि नये समाज की उनकी सोच के निर्माण में टॉलस्टॉय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी जी और प्लेटो के दृष्टिकोण में अंतर यह है कि प्लेटो में दार्शनिकता नजर आती है जबकि गांधी जी व्यावहारिक और अत्यंत यथार्थवादी हैं।

गांधी जी के लिए अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं और उनका मानना था कि एक नागरिक जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है उसे अपने अधिकारों के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह, गांधी जी का मानना था कि *मौजूदा अन्यायपूर्ण असमानता की स्थितियों में जब चंद लोग ठाठ-बाट की जिंदगी गुजार रहे हैं और करोड़ों आम लोगों को दो जून की रोटी भी नहीं मिल रही, राम राज कैसे कायम हो सकता है।*

भगवान राम जैसे शासक का स्थान आज के संदर्भ में राज्य ने ले लिया है। गांधी जी के आदर्श राजा न सिर्फ लोगों के भौतिक जगत के संरक्षक हैं, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक, नैतिक और सदाचार संबंधी उपलब्धियों के उच्चतर स्तरों तक जाने की प्रेरणा देते हैं।

गांधी जी के जंतर की प्रासंगिकता

इस संदर्भ में गांधी जी की उस सलाह का स्मरण करना उपयोगी होगा जो उन्होंने भारत के नये शासकों को दी थी और जिसे आज गांधी जी की जंत्री कहा जाता है।

गांधी जी ने अपनी इस सलाह में कहा था:

"मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम दुविधा में हो, या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए, तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो–जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं वह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर कोई नियंत्रण फिर मिलेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा?

तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघल कर खत्म हो गए हैं।"

नैतिक विघटन का बढ़ना और सदाचार की धज्जियां उड़ाना

सर्वोदय के रूप में गांधी जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए न्यायसंगत, समानतामूलक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ किले की परिकल्पना की थी। गांधी जी की आदर्श समाज की परिकल्पना में अहिंसक, विकेन्द्रित, जनोन्मुख, चिरस्थायी और फलती-फूलती सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की गयी थी। सर्वोदय समाज के उनके स्वप्न का साकार होना अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है, हालांकि इसके लिए आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और अन्य समर्पित सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने शानदार कार्य किया है। सामाजिक न्याय और सबकी समानता सर्वोदयी सामाजिक व्यवस्था के नींव के पत्थर थे। सर्वोदय समाज के जरिए सार्वजनिक और निजी जीवन में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और सदाचार, नैतिकता तथा आध्यात्मिक मूल्यों में आयी सामान्य गिरावट को कारगर तरीके से रोकना और उसका उन्मूलन किया जाना संभव था।

गांधी जी के अनुसार सात पाप

1. परिश्रम के बिना धन
2. आत्मा के बिना सुख
3. चरित्र के बिना ज्ञान
4. नैतिकता के बिना वाणिज्य
5. मानवता के बिना विज्ञान
6. बलिदान के बिना धर्म, और
7. सिद्धांतों के बिना राजनीति

आइये नये उभरते परिदृश्य को उनकी छोटी-सी मगर, अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तक 'हिन्द स्वराज' (1909) में उनके द्वारा किये गये आकलन को ध्यान में रखकर पढ़ें। इस पुस्तक को अक्सर ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें गांधी जी ने समसामयिक सभ्यता, यांत्रीकरण, अमरता के बढ़ते पंजों और आध्यात्मिक उपायों का जरा भी सम्मान न करने की निंदा करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को राजद्रोह भड़काने वाली बताते हुए इसपर पाबंदी लगा दी थी। गांधी जी के बहुत से सहयोगियों को भी यह पुस्तक विद्रोह को बढ़ावा देने वाली लगी और उन्होंने इसे वापस ले लेने की सलाह दी।

पुस्तक को ध्यान से पढ़ने पर किसी भी अध्यवसायी पाठक को ऐसा महसूस होगा कि गांधी जी की सोच और आकलन देवदूतों जैसा होता था। जब वे नयी उभरती सभ्यता को 'आत्माविहिन' और 'राक्षसी' कहते तो उनकी आलोचना हुई। उन्होंने 'हिन्दस्वराज' के माध्यम से जो चेतावनी दी उसे निर्बाध विकास की वकालत करने वालों, औद्योगिक प्रभुत्व कायम करने और बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के पैरोकारों ने बिना किसी बहस के अनुचित तरीके से खारिज कर दिया।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि साफ-सुथरी राजनीति और व्यवस्थित विकास के नये युग में ले जाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत, दोनों ही जगह अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जिन अनेक प्रतीकों और अवधारणाओं का उपयोग किया उससे सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी वचनबद्धता जाहिर हो जाती है और यही अंतत: हमारी सभ्यता के ताने-बाने का निर्माण करती है।

गांधी जी में किसी प्रकार का मिथ्याभिमान या आडंबर नहीं था। वे औरों को कभी ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहते थे जो उन्होंने न किया हो। वह अपने जीवन की गतिविधियां किस तरह संचालित करते थे यह इतिहास बन चुका है। यहां तक कि वह अपने बच्चों से भी अन्य बच्चों से भिन्न किसी तरह का विशेष तरह का व्यवहार नहीं करते थे। उनका लालन-पालन भी गांधी जी के आश्रमों में अन्य बच्चों की तरह हुआ। वे भी वही भोजन करते थे, उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाते और उसी स्कूल में जाते जिसमें अन्य बच्चे जाते थे। जब गांधी जी को अपने एक बेटे को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने के लिए वजीफे की पेशकश की गयी तो अपने बच्चों की बजाय उन्होंने किसी दूसरे लड़के को इसका मौका दे दिया। यह सच है इसके लिए उन्हें अपने दो बेटों की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा। उनके कुछ आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि गांधी जी ने अपने बच्चों की उपेक्षा की और वह आदर्श पिता नहीं थे। अपने आकर्षक आमदनी वाले कानूनी पेशे को स्वेच्छा से छोड़कर सादे जीवन को स्वीकार करना और सभी स्त्री-पुरुषों की समानता में अटल विश्वास ही वे बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा बनाया।

उन्होंने स्वयं के लिए जो सदाचार और नैतिकता के जो मानदंड निर्धारित किये उनसे जीवन के शाश्वत सिद्धांतों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का पता चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन और कार्यों को विश्व बंधुत्व के सार्वभौम परिकल्पना के अनुरूप विनियंत्रित कर लिया हो वही अपने जीवन के बारे में यह बात कह सकता है कि "मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।" ■

योजना - सही विकल्प

'योजना' के अगस्त-2020 अंक से हमने पाठकों के लिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज़ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' शुरू किया है। इसमें 'योजना' के अंकों में प्रकाशित आलेखों/सामग्री से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ज्ञान के आधार पर प्रश्नों एवं विकल्पों को तैयार किया गया है।

1. किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 3 जून, 2020 को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके फलस्वरूप होने वाले बदलावों पर आधारित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
   1. आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को हटा दिया गया है।
   2. इस बदलाव से अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्ति मिलेगी।
   3. उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की छूट से व्यापक स्तर पर उत्पादन संभव होगा।
   4. कृषि क्षेत्र में निजी/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

   क) केवल 1 सही है।
   ख) उपरोक्त सभी कथन सही हैं।
   ग) केवल 1, 2 व 3 सही हैं।
   घ) केवल 4 सही है।

2. जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है?
   1. मोबाइल फोन प्रचालन
   2. बैंकिंग प्रचालन
   3. पॉवर ग्रिड का नियंत्रण

   क) केवल 1
   ख) केवल 1 तथा 2
   ग) उपरोक्त में से किसी में नहीं
   घ) उपरोक्त में से सभी में

3. अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात/बातें एक समान है/हैं?
   1. दोनों एक ही समयकाल में निर्मित हुए थे।
   2. दोनों का एक ही धार्मिक सम्प्रदाय से संबंध है।
   3. दोनों में शिलाकृत स्मारक (पत्थर से काट कर बनाए गए) हैं।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
   क) केवल 1 व 2
   ख) केवल 3
   ग) केवल 1 व 3
   घ) उपर्युक्त कथनों में से कोई नहीं।

4. स्वांग, नौटंकी तथा तमाशा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
   1. तीनों पारंपरिक नाट्य शैलियां हैं।
   2. तीनों उत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी हैं।
   3. स्वांग की दो शैलियां (रोहतक तथा हाथरस) प्रसिद्ध हैं।
   4. महाराष्ट्र में प्रचलित तमाशा में नृत्य के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, तेज पदचाप व विविध मुद्राओं द्वारा सभी भावनाएं दर्शाई जा सकती हैं।

   क) कथन 1, 3 व 4 सही हैं।
   ख) केवल 1 व 2 सही हैं।
   ग) सभी कथन सही हैं।
   घ) उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है।

5. संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य- भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, ओडिसी और मणिपुरी देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। इन नृत्यों में से कुछ पर आधारित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. 'शब्दम्' को कुचिपुड़ी के प्रदर्शनों में काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है।
   2. 'अष्टपदी' ओडिसी नृत्य का प्रमुख हिस्सा है, इसका इस्तेमाल भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में भी किया जाता है।
   3. गुजरात की झावेरी बहनों ने मणिपुरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
   4. नृत्य में भंगिमाओं और मुद्राओं की वजह से अलग-अलग संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों को साथ लाने में मदद मिलती है।

   क) केवल 2 व 3 सही हैं।
   ख) केवल 1, 2, व 4 सही हैं।
   ग) इनमें से कोई सही नहीं है।
   घ) उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

6. ई-कचरा प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
   1. कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी कैमरे तथा ऐसे ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बेकार हो जाने पर ई-कचरा बनता है।

2. कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप (सीएफएल) तथा मरकरी वाले लैंपों को भी ई-कचरे में शामिल किया गया है।
3. उत्पादकों को ही ई-कचरा इकट्ठा करने का जिम्मेदार बनाया गया है।
4. ये नियम उत्पादकों/निर्माताओं के साथ-साथ विक्रेता उपभोक्ता, कचरा संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता सभी पर लागू होंगे।

क) कथन 2 व 4 सही हैं।
ख) सभी कथन सही हैं।
ग) 2 व 3 सही है लेकिन 1 व 4 गलत हैं।
घ) केवल कथन 4 सही है।

7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

प्रसिद्ध स्थान	नदी
1. पंढरपुर	: चंद्रभागा
2. तिरुचिरापल्ली	: कावेरी
3. हंपी	: मालप्रभा

उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?

क) केवल 1 और 2
ख) केवल 2 और 3
ग) केवल 1 और 3
घ) 1, 2 और 3

8. जून माह की 21वीं तारीख को सूर्य...

क) उत्तर ध्रुवीय वृत (Arctic Circle) पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है।
ख) दक्षिण ध्रुवीय वृत (Antarctic Circle) पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है।
ग) मध्याह्न में भूमध्यरेखा (Equator) पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है।
घ) मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्ष के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है?

क) चीन
ख) भारत
ग) म्यांमार
घ) वियतनाम

10. अलियार (Aliyar), इसापुर (Isapur) और कंगसावती (Kangsabati) स्थानों में क्या समानता है?

क) यहां यूरेनियम निक्षेप (भंडार) खोजे गए हैं।
ख) जल भंडार (वॉटर रिज़र्वियर्स)
ग) भूमिगत गुफा तंत्र (केव सिस्टम)
घ) उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

सही उत्तर : 1. ख, 2. घ, 3. ख, 4. क, 5. घ, 6. ख, 7. क, 8. क, 9. ख, 10. ख

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फॉलो करें

माननीय उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर पुस्तक का लोकार्पण

माननीय उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू संबोधित करते हुए।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पुस्तक की पहली प्रति उपराष्ट्रपति को भेंट करते हुए।

माननीय उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली कॉफी टेबल बुक- "कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग... ए क्रॉनिकल ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडूज थर्ड ईयर इन ऑफिस" का लोकार्पण 11 अगस्त, 2020 को केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में किया गया। श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर पुस्तक की पहली प्रति माननीय उपराष्ट्रपति को भेंट की। पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण (ई-बुक) का विमोचन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। समारोह में सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अमित खरे सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

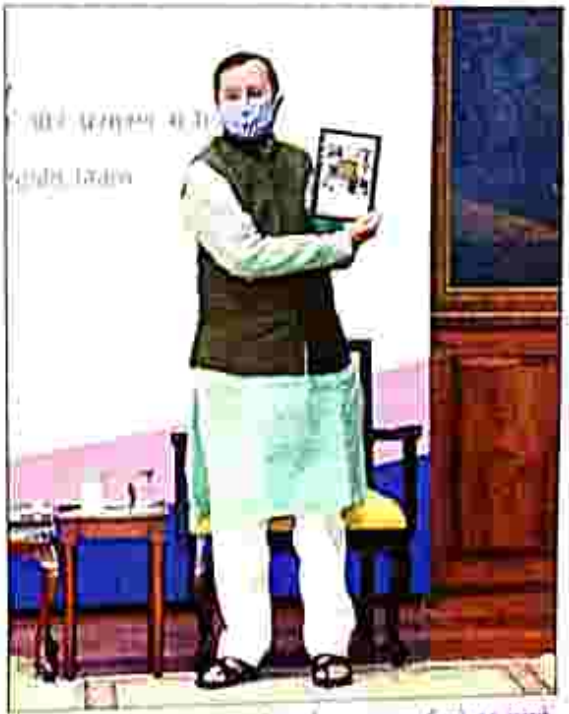

पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण (ई-बुक) का विमोचन करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर।

इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विगत चार महीनों में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में व्यवधान के बाद इस अवधि के दौरान उनकी व्यस्तता सामान्य दिनों से अधिक ही रही, ऐसा इसलिए संभव हो सका है कि उन्होंने जल्द ही अपने आपको रीसेट कर इस 'न्यू नॉर्मल' यानी नई सामान्यता के अनुरूप ढाल लिया। उन्होंने इस अवधि में लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों की प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर, टेक्नोलॉजी माध्यमों का भरसक प्रयोग किया जिससे लोगों से संवाद और संपर्क बना रहा। श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने स्वयं लोगों से टेलीफोन पर बात कर उनसे कुशलक्षेम जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धैर्य और साहस दिया तथा निराशा की ऐसी स्थिति में उनसे अपने नियमित जीवन में कतिपय परिवर्तन कर, इस स्थिति से उबरने की सलाह दी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि उनका यह 'मिशन कनेक्ट' अत्यन्त उपादेय और उपयोगी रहा।

उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन हालिया पहल की सराहना की जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने के लिए शासन व्यवस्था, न्यायतंत्र, और उद्योग जगत में सुधार का प्रयास किया गया है और नॉलेज सोसाइटी के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को रूपांतरित करने के सार्थक उत्थान प्रयासों का उल्लेख करते हुए, श्री नायडू ने श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय

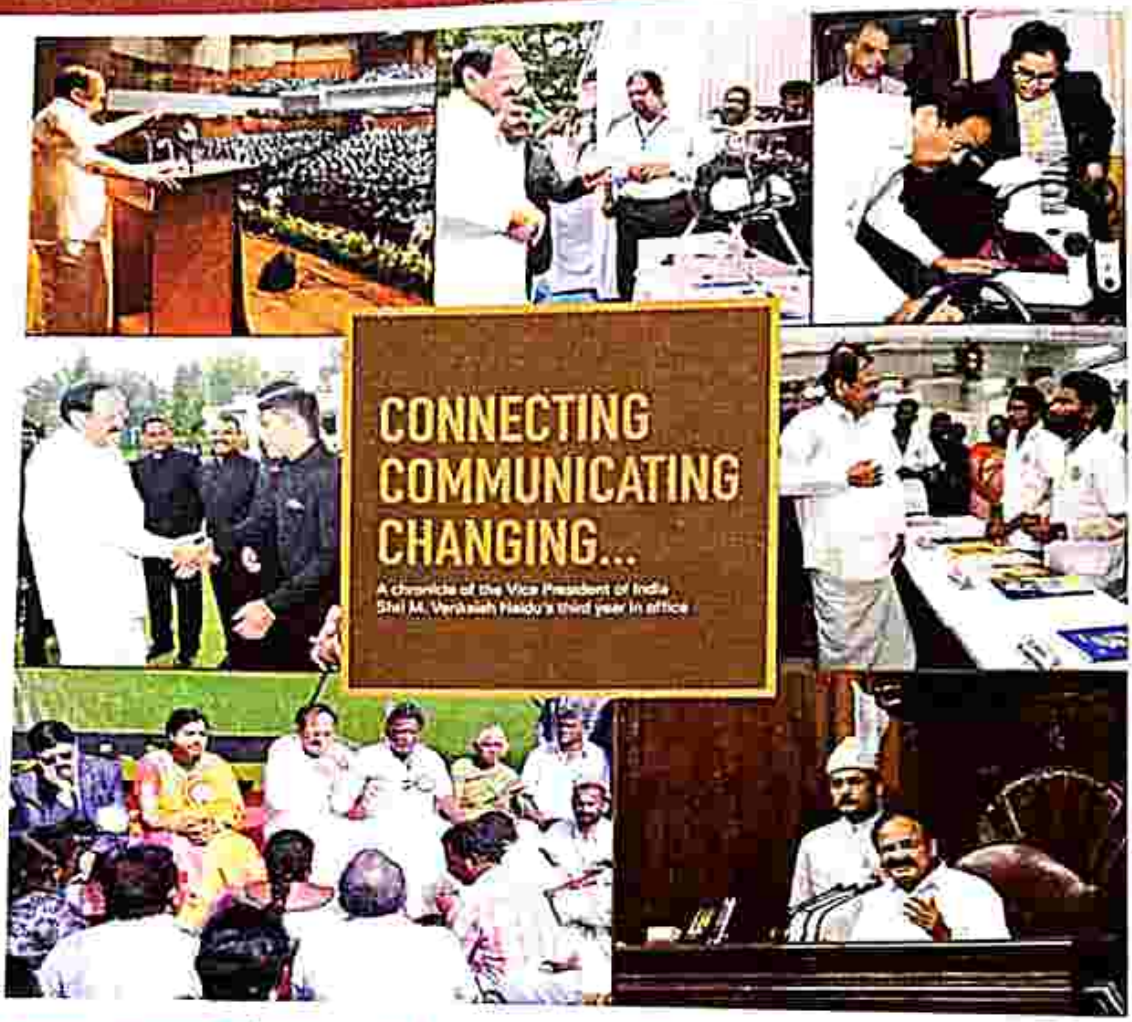

कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग ... ए क्रॉनिकल ऑफ द वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडूज़ थर्ड ईयर इन ऑफिस

प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
आईएसबीएन: 978-93-5409-000-4, मूल्य: 1500 रुपये

उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली 250 से भी अधिक पृष्ठों वाली कॉफी टेबल बुक में उत्कृष्ट शब्दों और 334 चित्रों के जरिए विगत एक वर्ष में उपराष्ट्रपति के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में बताया गया है। इनमें उनकी देश-विदेश की यात्राओं का वृत्तांत भी शामिल है। इस पुस्तक में किसानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, युवाओं, प्रशासकों, उद्योग जगत की हस्तियों एवं कलाकारों इत्यादि के साथ उनके संवाद की झलक भी प्रस्तुत की गई है। श्री एम वेंकैया नायडु की विदेश यात्राओं, विश्व भर के राजनेताओं के साथ उनके वार्तालापों और विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय को उनके संबोधन से जुड़े कार्यक्रमों को भी इस पुस्तक में कवर किया गया है।

श्री नायडु ने राज्यसभा के कामकाज को और भी अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए जो बदलाव किए हैं और इसके फलस्वरूप उच्च सदन के कामकाज में जो उल्लेखनीय सुधार हुआ है उसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान समय का प्रभावकारी ढंग से सदुपयोग किया और अपने मित्रों, शिक्षकों, लंबे समय तक साथ में काम करने वाले सहयोगियों, पुराने एवं नए परिचितों, रिश्तेदारों, सांसदों, आध्यात्मिक गुरुओं एवं पत्रकारों इत्यादि का हालचाल जानने के लिए 'मिशन कनेक्ट' शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की। श्री नायडु ने 11 अगस्त, 2017 को उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। ■

पुस्तक का प्रिंट संस्करण और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी ई-बुक
प्रकाशन विभाग की वेबसाइट https://www.publicationsdivision.nic.in से ऑनलाइन खरीदें जा सकते हैं।

- कोरोना काल में अपने ही गांव में रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। श्रमिक साथी खुद को रि स्किल करें, अप स्किल करें इस पर विश्वास करते हुए, श्रम-शक्ति पर भरोसा करते हुए, गांव के संसाधनों पर भरोसा करते हुए, हम वोकल फॉर लोकल पर बल देते हुए रि-स्किल, अप-स्किल के द्वारा अपने देश की श्रम शक्ति को, हमारे गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।
- मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए, मध्यम वर्ग को अनेक नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान चाहिए और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग का पहला सपना होता है अपना घर होना चाहिए। देश में बहुत बड़ा काम हमने ईएमआई के क्षेत्र में किया और उसके कारण होम लोन सस्ते हुए और जब एक घर के लिए कोई लोन लेता है तो लोन पूरा करते-करते करीब 6 लाख रुपये की उसको छूट मिल जाती है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में, देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को तीन दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी। लेकिन साथ-साथ उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन (नवाचार) बहुत आवश्यक होता है। कभी-कभी आफत में भी कुछ ऐसी चीजें उभरकर आ जाती हैं, नई ताकत दे देती है और इसलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेज एक प्रकार से कल्चर बन गया है।

- देश में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन भी तेजी बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देश में यूपीआई भीम के जरिए एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है।
- हमने तय किया है कि छह लाख से अधिक गांवों में हजारों-लाखों किलोमीटर ऑप्टीकल फाइबर का काम चलाया जाएगा। 1000 दिन के अदर-अंदर देश के छह लाख से अधिक गांवों में ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर दिया जाएगा।
- भारत में महिला शक्ति को जब-जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायु सेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। 40 करोड़ जन-धन खातों में 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं। 25 करोड़ के करीब मुद्रा लोन दिए गए हैं, उसमें 70 प्रतिशत मुद्रा लोन लेने वाली हमारी माताएं-बहनें हैं।
- कोरोना काल खंड में हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान जाना बहुत स्वभाविक है। कोरोना की शुरुआत के समय इसकी जांच के लिए हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी, आज 1400 लैब्स का नेटवर्क हिन्दुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम कर पा रहे हैं।
- हेल्थ सेक्टर में आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी।
- लेह-लद्दाख, करगिल, जम्मू-कश्मीर,, को एक वर्ष पूर्व अनुच्छेद 370 से आजादी मिल चुकी है... एक साल पूरा हो चुका है। ये साल जम्मू-कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्व पूर्ण पड़ाव है। ये साल वहां की महिलाओं को, दलितों को, मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी एक साल रहा है। जम्मू-कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डेलिमिटेशन का काम चल रहा। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी उनकी मांग को हमने पूरा किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है। नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स वहां चल रहे हैं। बिजली के लिए साढ़े सात हजार मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है।
- भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रीड के विजन के साथ पूरी दुनिया को खासतौर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूवेबल इनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के टॉप पांच देशों में अपनी जगह बना चुका है। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और भारत सक्रिय भी है।
- इतनी आपदाओं के बीच सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं। लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने, हमारे वीर-जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर-जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है...ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर-जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं।
- आतंकवाद और विस्तारवाद का भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 184 देशों का भारत को समर्थन मिलना, ये हर हिन्दुस्तानी के लिए गर्व की बात है।
- करीब 173 सीमावर्ती जिलों में हम करीब-करीब एक लाख नये एनसीसी के कैडेट्स तैयार करेंगे और उसमें एक तिहाई हमारी बेटियां हों, यह भी प्रयास रहेगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को सेना प्रशिक्षित करेगी। कोस्टल एरिया के जो कैडेट्स हैं उनको नेवी के लोग प्रशिक्षित करेंगे और जहां एयर बेस है वहां के कैडेट्स को एयरफोर्स की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी।
- पिछले सप्ताह अंडमान-निकोबार में सबमरीन ऑप्टीकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान-निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं।
- हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट्स सब कुछ उत्तम से उत्तम हो, बेस्ट हो, तभी 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना साकार होगी। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

रजि.सं. डी.एल.(एम)-05/3231/2018-20
Reg. No. D.L.(s)-05/3231/2018-20 at RMS, Delhi
29 अगस्त, 2020 को प्रकाशित
• 2-3 सितम्बर, 2020 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2018-20
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

हमारे नए प्रकाशन

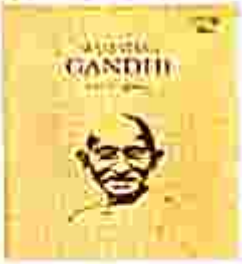

पुनिंदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास, जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन,
आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला की पुस्तकें, कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

@ DPD_INDIA

प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल